

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

बिजनेस लोन एग्रीमेंट

पार्ट-ए

सामान्य नियम और शर्तें

प्रस्तावना:

यह बिजनेस लोन एग्रीमेंट उधारकर्ता, ऋणदाता (यदि कोई हो) और सुविधा प्रदाता (सामूहिक रूप से "पार्टियों") के बीच किया गया है, जिसका विवरण अनुसूची-1 में अधिक विस्तार से दिया गया है। ऋणदाता को भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के रूप में लाइसेंस प्राप्त है ("रिजर्व बैंक") और समय-समय पर वह अपने स्वयं के एनबीएफसी या ऋण देने वाले भागीदारों के माध्यम से विभिन्न ऋण उत्पादों तक पहुंच सुगम बनाकर लघु और मध्यम उद्यमों सहित विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। उधारकर्ता ने सुविधा के लिए ऋणदाता से संपर्क किया और ऋणदाता ने इस समझौते में निहित शर्तों आधार पर उधारकर्ता को अनुसूची-1 में उल्लिखित सुविधा मुहैया कराने पर सहमति व्यक्त की है। यदि कोई सुविधा प्रदाता है, तो वह पार्टियों के बीच आपसी सहमति से तय शर्तों के अनुसार उक्त सुविधा तथा अन्य सहायता प्रदान/व्यवस्था कर रहा है।

ऑपरेटिव टर्म:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस समझौते और अनुसूचियों में प्रयुक्त मोटे अक्षरों में लिखे गए शब्दों का वही अर्थ होगा जिनसे उन्हें वहाँ पर परिभाषित किया गया है। इस समझौते में, जब तक कि कुछ और परिभाषित न किया गया हो, निम्नलिखित मोटे अक्षर वाले शब्दों के अर्थ इस प्रकार होंगे:

- "समझौता" इसका मतलब यह एक व्यावसायिक ऋण समझौता है और इसमें सभी परिशिष्ट और संशोधन शामिल हैं।
- "लागू कानून" में कोई भी संविधान, कानून, विधि, नियम, विनियम, अध्यादेश, निर्णय, आदेश, डिक्री, प्राधिकरण, या कोई भी प्रकाशित निर्देश, दिशानिर्देश, अपेक्षा या सरकारी प्रतिबंध शामिल है, जिसमें कानून का बल हो; अथवा किसी भी न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त में से किसी का भी कोई निर्धारण या उसकी व्याख्या शामिल है—चाहे वह इस समझौते की तिथि को प्रभावी हो या उसके बाद और जिसमें समय-समय पर किए गए संशोधन भी शामिल हैं।
- "उधारकर्ता" इसका मतलब उन इकाईयों/व्यक्तियों से है जिनका विवरण विशेष रूप से अनुसूची-1 में किया गया है और जहां भी संदर्भ की आवश्यकता है, उसमें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट सह-उधारकर्ता का विवरण शामिल है और जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" कहा जाता है। और यह अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के लिए प्रतिकूल नहीं माना जाएगा और इसमें उधारकर्ता के उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे।
- "बाउंस चार्ज" का अर्थ वह राशि है जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को जुर्माने के तौर पर तब दी जाती है, जब उधारकर्ता द्वारा जारी किया गया पीआई बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।
- "बिजनेस डे" मतलब कोई भी दिन (रविवार के अलावा) जब बैंक काम-काज के लिए खुले रहते हैं और जो परक्राम्य उपकरण अधिनियम, 1881 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए अवकाश नहीं है।

"पूर्ववर्ती शर्तें" इसका मतलब है अनुसूची- II में निर्धारित वे पूर्ववर्ती शर्तें जिनका पालन इस सुविधा का लाभ उठाने से पहले किया जाना आवश्यक है।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- (f) "देय तिथि" जिसका अर्थ है, (i) सुविधा की मूल राशि की एक किस्त के संबंध में, पुनर्भुगतान की तारीख; (ii) ब्याज का भुगतान, ब्याज भुगतान की तारीख, और (iii) इस समझौते के तहत देय कोई अन्य राशि, वह तारीख जिस पर ऐसी राशि समझौते की शर्तों के अनुसार देय और भुगतान योग्य हो जाती है।
- (g) "एस्करो समझौता" इसका मतलब है कि नामित खाते की स्थापना और संचालन के संबंध में उधारकर्ता और एस्करो बैंक के बीच ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर, इसकी तारीख को या उसके बारे में निष्पादित समझौता।
- (h) "डिफॉल्ट की घटना" इसका मतलब निम्नलिखित में से किसी भी एक घटना का घटित होना;
- (i) यदि उधारकर्ता, नियत तिथियों तक देय और भुगतान योग्य कोई भी राशि ऋणदाता को भुगतान करने में विफल रहता है;
- (ii) यदि उधारकर्ता इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में चूक करता है, अथवा इस समझौते या किसी अन्य वित्तपोषण दस्तावेज़ के किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन करता है;
- (iii) उधारकर्ता अब व्यवसाय नहीं करता है;
- (iv) किसी भौतिक प्रतिकूल घटना का घटित होना;
- (v) उधारकर्ता दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानून के तहत किसी भी दिवाला समाधान प्रक्रिया, या इसी तरह की किसी प्रक्रिया को शुरू करता है, या शुरू करने के लिए कोई कदम उठाता है या ऐसी किसी प्रक्रिया के अधीन हो जाता है;
- (vi) उधारकर्ता या उसकी किसी भी संपत्ति के संबंध में एक रिसीवर, समापक अधिकारी, प्रशासक, या समाधान पेशेवर की नियुक्ति की जाती है;
- (vii) यदि उधारकर्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए, इस दस्तावेज़ के तहत या इसके संबंध में अथवा किसी अन्य वित्तपोषण दस्तावेज़ के संबंध में अपने संबंधित दायित्वों में से किसी एक का पालन करता है, तो यह गैरकानूनी माना जाता है;
- (viii) उधारकर्ता (A) किसी ऐसे ऋण का भुगतान करने में विफल रहता है जो अब देय और भुगतान योग्य हो गया है; (B) किसी चूक की घटना या इसी तरह के प्रभाव वाले किसी प्रावधान (चाहे उसे किसी भी तरह से वर्णित किया गया हो) के परिणामस्वरूप, उधारकर्ता का कोई ऋण समय से पहले ही देय और भुगतान योग्य हो जाता है, या मांग पर रखा जाता है; या (C) किसी डिफॉल्ट की घटना या इसी तरह के प्रभाव वाले किसी प्रावधान (चाहे उसे किसी भी तरह से वर्णित किया गया हो) के परिणामस्वरूप, उधारकर्ता के ऋण से संबंधित कोई भी प्रतिबद्धता रद्द या निलंबित कर दी जाती है;
- (ix) इस समझौते या किसी अन्य वित्तपोषण दस्तावेज़ के तहत उधारकर्ता द्वारा दी गई कोई भी जानकारी या कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, दिए जाने के समय या दिया गया माना जाने के समय गलत, असत्य या भ्रामक साबित होती है;
- (x) इस समझौते के अनुसार उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत कराने में विफल रहता है
- (xi) उधारकर्ता इस समझौते के अनुसार ऋणदाता को कोई भी आवश्यक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- (i) **"अंतिम निपटान तिथि"** इसका मतलब है कि वह तारीख जिस पर उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता और एस्क्रो बैंक को देय/भुगतान सभी बकाया राशि, वित्तपोषण दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, ऋणदाता की संतुष्टि के अनुरूप पूर्ण रूप से चुका दी गई हैं।
- (j) **"वित्तपोषण दस्तावेज"** इसका मतलब है कि सुविधा प्रदान करने के संबंध में दर्ज किए गए सभी दस्तावेज और/या किसी भी प्रकार का सिक््योरिटी इंटेरेस्ट बनाना और इस समझौते, मंजूरी पत्र, गारंटी, और उधार लेने वाले या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से एग्जीक्यूट किया गया कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट शामिल है (लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है), जिसे उधार देने वाले ने इस रूप में नामित किया हो।
- (k) **"गारंटी"** इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली कोई भी कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत गारंटी जो किसी व्यक्ति ("गारंटर") द्वारा ऋणदाता की सुविधा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।
- (l) **"ब्याज भुगतान की तारीख"** इसका मतलब यह है कि ब्याज भुगतान अनुसूची में निर्धारित तारीखें जिनमें लोन पर ब्याज देय और भुगतान योग्य होता है।
- (m) **"लोन आवेदन फॉर्म"** इसका मतलब यह है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोन आवेदन फॉर्म, जिसे उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में, ई-मेल, फ़ैक्स, टेलीफोनिक बातचीत, किसी भी ऑनलाइन फॉर्म/ई-आवेदन/मोबाइल आवेदन में दी गई जानकारी, या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य माध्यम से विधिवत भरा गया हो, और जिसे ऋणदाता और/या सुविधा प्रदाता (यदि कोई हो) को (जैसा भी मामला हो) जमा किया गया हो।
- (n) **"देर से भुगतान संग्रह शुल्क"** इसका मतलब उन शुल्क (शुल्कों) से होगा, जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को, नियत तिथि पर बकाया राशि (राशियों) के भुगतान में हुए किसी भी विलंब के लिए देय होगा। ये शुल्क विलंबित लोन पर ऋणदाता द्वारा शुरू किए गए वसूली के प्रयासों से संबंधित हैं।
- (o) **"सामग्री प्रतिकूल प्रभाव"** इसका मतलब है कोई भी घटना, परिस्थिति, वाक्या या शर्त जिसने किसी भी तय तारीख तक, (i) उधार लेने वाले की वित्तीय स्थिति, बिज़नेस या कामकाज (पर्यावरणीय, सामाजिक या अन्य) या उसकी भविष्य की संभावनाओं पर; (ii) उधार लेने वाले या गारंटर के वित्तपोषण दस्तावेज के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की क्षमता पर; (iii) किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज की वैधता या उसे लागू करने की क्षमता पर (जिसमें उधार लेने वाले के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कोई भी बदलाव शामिल है, जैसे कि प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग में बदलाव, जिसके बारे में उधार देने वाले को पहले से जानकारी न दी गई हो); (iv) ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट्स या किसी इनवॉइस में कोई बदलाव, या उनकी वैधता खत्म होना, या ऐसी स्थितियाँ जिनसे उनकी वैधता या उन्हें लागू करने की क्षमता खत्म हो जाए; (v) उधार देने वाले की लिखित मंजूरी के बिना, तय खाते के लिए दिए गए ऑपरेशनल निर्देशों में कोई भी बदलाव; (vi) उधार देने वाले की लिखित मंजूरी के बिना, रीपेमेंट के साधनों में कोई भी बदलाव या उनकी वैधता खत्म होना; (vii) उधार लेने वाले द्वारा इस समझौता की शर्तों और नियमों का कोई भी उल्लंघन—इनमें से किसी पर भी कोई बड़ा और बुरा असर डाला हो, या जिससे ऐसा करने की उम्मीद न हो।
- (p) **"बकाया राशि"** इसका मतलब है कि ऋणदाता को देय सभी राशियाँ, जिनमें सुविधा, ब्याज, दंडात्मक आरोप, फोरक्लोज़र शुल्क(यदि कोई हो) और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार अन्य धनराशि, शुल्क, चार्ज आदि शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- (q) **"दंडात्मक आरोप"** इसका मतलब है अनुसूची- 1 में निर्धारित उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज जिस पर उधारकर्ता सुविधा की मंजूरी की किसी भी शर्त का पालन करने या सुविधा का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में ब्याज की गणना करेगा और लागू करेगा, सुविधा पर ब्याज का भुगतान करेगा, कोई भी लागत, शुल्क, खर्च और ऋणदाता द्वारा देय या व्यय/भुगतान किए गए अन्य धन, इस समझौते या किसी अन्य दस्तावेज के तहत संबंधित नियत तिथि पर दंडात्मक शुल्क लगाने से ऋणदाता को उपलब्ध किसी भी अधिकार और उपचार के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कानून और इच्छिटी।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- (r) "भुगतान साधन (ओं) " या " पीएल (एस) इसका मतलब कोई भी इंस्ट्रुमेंट / निर्देश होगा, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो या लिखित, जो फंड ट्रांसफर के लिए हो और इसमें बिना किसी सीमा के, पोस्ट-डेटेड चेक, अधूरे चेक, बैंक अकाउंट से सीधे डेबिट करने के निर्देश, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप से या फंड ट्रांसफर के इंस्ट्रुमेंट की इमेज के ज़रिए भेजा गया फंड ट्रांसफर का मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भेजी गई फंड ट्रांसफर की डिटेल्स वाली इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल, इलेक्ट्रॉनिक टूकेटेड चेक के ज़रिए पेमेंट, अलग-अलग तरह के प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस), एनएसीएच, डिमांड ड्राफ्ट, या कोई अन्य ऐसा इंस्ट्रुमेंट/निर्देश/क्लियरिंग सर्विस शामिल होगी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर फंड ट्रांसफर के लिए नोटिफ़ाई करे और जो ऋणदाता को स्वीकार्य हो।
- (s) "डिफ़ॉल्ट की संभावित घटना" इसका मतलब कोई भी ऐसी घटना, कार्य या शर्त जो सूचना मिलने पर, या समय बीतने पर, या दोनों ही स्थितियों में 'डिफ़ॉल्ट की घटना' मानी जाएगी।
- (t) "फ़ोरक्लोज़र शुल्क" मतलब खंड 6.9 में परिभाषित शुल्क।
- (u) "प्राप्त करने योग्य" इसका मतलब है कि उधारकर्ता द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं और/या ग्राहकों से प्राप्त होनी है/प्राप्त होने योग्य है।
- (v) "तिमाही तिथि" इसका अर्थ है 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर में से प्रत्येक और "तिमाही तारीखों" की व्याख्या तदनुसार की जाएगी।
- (w) "पुनर्भुगतान तिथियां" इसका मतलब है कि पुनर्भुगतान अनुसूची में निर्धारित तिथियां जिन में पुनर्भुगतान किस्त देय और भुगतान योग्य हो जाती हैं।
- (x) "पुनर्भुगतान किस्त" इसका मतलब है (i) पुनर्भुगतान योग्य सुविधा की मूल राशि (या इसका कोई हिस्सा), (ii) सुविधा की मूल राशि पर ब्याज दर के हिसाब से ब्याज पुनर्भुगतान, जो अनुसूची में निर्दिष्ट पुनर्भुगतान तिथि पर चुकाया जाना है।

1.2 व्याख्या

- (a) इस अनुबंध में प्रस्तावनाओं, खंडों, अनुलग्नों और अनुसूचियों के संदर्भ, इस अनुबंध की प्रस्तावनाओं, खंडों, अनुलग्नों और अनुसूचियों के ही संदर्भ हैं।
- (b) एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होंगे और इसके विपरीत किसी भी लिंग को दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग शामिल होंगे।
- (c) किसी भी कानून या नियम का कोई भी संदर्भ—जब तक कि वह इस दस्तावेज़ के विषय या संदर्भ के विपरीत न हो—उस कानून या नियम के संदर्भ के रूप में ही समझा जाएगा, जैसा कि समय-समय पर उसमें संशोधन, परिवर्तन या पुनर्स्थापित किया गया हो।
- (d) इस समझौते में किसी भी समझौते या दस्तावेज़ के लिए किसी भी संदर्भ को संशोधित या पूरक के रूप में ऐसे समझौते या दस्तावेज़ के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।
- (e) अगर कोई नियत तिथि व्यावसायिक दिन नहीं है, तो उससे ठीक पहले वाला व्यावसायिक दिन ही नियत तिथि माना जाएगा।

2. ऋण की राशि और उद्देश्य

- 2.1 ऋणदाता इसके द्वारा उधारकर्ता को ऋण देने के लिए सहमत होता है और उधारकर्ता इस समझौते में निहित नियमों और शर्तों पर ऋणदाता से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमति प्रदान करता है

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- 2.2 उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि इस सुविधा का उपयोग केवल उस उद्देश्य (जैसा कि स्वीकृति पत्र में परिभाषित है) के लिए ही किया जाएगा।
- 2.3 उधारकर्ता मंजूरी पत्र की वैधता की अवधि समाप्त होने से पहले सुविधा की राशि प्राप्त/उपयोग कर लेनी होगी। मंजूरी पत्र की वैधता समाप्त होने तक, यदि कोई भी राशि नहीं निकाली गई है, तो वह राशि उधारकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के (चाहे उसका कारण कुछ भी हो), रद्द मानी जाएगी।
- 2.4 यदि ऋणदाता द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो उधारकर्ता ऋणदाता को ऐसे प्रमाण-पत्र और पुष्टिकरण (किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित) उपलब्ध कराएगा जो इस सुविधा के अंतिम उपयोग को प्रमाणित करता हों।

3. शुल्क, चार्ज और लागत

- 3.1 उधारकर्ता ऋणदाता और सुविधा प्रदाता को (यदि कोई हो), तो इस तरह के शुल्क, लागत, खर्च और शुल्क (किसी भी फोरक्लोज़र शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, कर, बाउंस चार्ज, बीमा शुल्क और कोई भी दंडात्मक शुल्क) अदा करेगा जो अनुसूची-1 में निर्धारित किया गया है।
- 3.2 जब तक कि ऋणदाता द्वारा अन्य छूट न दी जाए, उधारकर्ता इस समझौते अनुसार वित्तपोषण दस्तावेजों को तैयार करने व उन्हें अंतिम रूप देने और निष्पादित करने तथा सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में देय सभी स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्कों तथा खर्चों (कानूनी खर्चों सहित) का वहन करेगा। उधारकर्ता के माँग किए जाने पर, ऋणदाता और सुविधा प्रदाता (यदि कोई हो) को इस समझौते को तैयार करने, इसे पूर्ण रूप देने और निष्पादित करने तथा इस सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में उनके द्वारा किए गए किसी भी खर्च और लागत (यदि कोई हो) की तत्काल पूर्ति करेगा। उधारकर्ता अवगत है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता को किसी भी समय तथा समय-समय पर लागू शुल्कों, प्रभारों और लागतों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। ऋणदाता द्वारा सूचित ऐसे संशोधित शुल्क, प्रभार और लागत, संशोधन की प्रभावी तिथि से लागू शुल्क, प्रभार और लागत माने जाएंगे, और इन्हें सदैव उधारकर्ता द्वारा भुगतान हेतु सहमत तथा इसके द्वारा सुरक्षित माना जाएगा। अनुसूची-1 के तहत, ऋणदाता अपनी वेबसाइट पर ऐसे बदलाव की सूचना संचार के किसी भी माध्यम से उधारकर्ता को देता है तो यह माना जाएगा कि उधारकर्ता को लागू फीस, शुल्कों और लागतों में किसी भी बदलाव की जानकारी मिल गई है।
- 3.3 उधारकर्ता ऋणदाता और सुविधा प्रदाता (यदि कोई हो) को इस समझौते को तैयार करने, इसे अंतिम रूप देने और इसे निष्पादित करने, तथा इस सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में होने वाली किसी भी और सभी प्रकार की हानि, लागत, शुल्क, खर्च और देनदारियों से हर समय सुरक्षित रखेगा और उनकी क्षतिपूर्ति करेगा।

4. संवितरण

- 4.1 ऋणदाता और/या सुविधा प्रदाता (यदि कोई हो) की संतुष्टि के लिए सभी पूर्ववर्ती शर्तों के पूरा होने पर ऋणदाता इस समझौते में निहित शर्तों के अधीन रहते हुए, उधारकर्ता द्वारा अनुरोध की गई राशि के लिए सुविधा प्रदान करेगा। ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दिए गए सभी लोन का कुल योग 'सुविधा' से अधिक नहीं हो सकता है।
- 4.2 जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक उधारकर्ता सुविधा के तहत केवल एक ही संवितरण का हकदार होगा।
- 4.3 ऋणदाता के पास बिना शर्त के यह अधिकार होगा कि वह अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, और बिना कोई कारण बताए, उधारकर्ता को पूर्व सूचना देकर इस सुविधा की स्वीकृति की शर्तों में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
- 4.4 ऋणदाता के पास बिना किसी शर्त के यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय, उधारकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के और किसी भी कारण से इस सुविधा से बिना निकाले गए/बिना उपयोग किए गए/अप्रयुक्त हिस्से को रद्द कर सकता है।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- 4.5 ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह इस सुविधा के तहत उधारकर्ता को वितरित की जा रही राशि में से अनुसूची-1 में निर्दिष्ट सभी लागतों, शुल्कों और प्रभारों (किसी भी प्रोसेसिंग शुल्क और प्रभारों सहित) को घटा दे।
- 4.6 उधारकर्ता एतद्वारा स्वीकार करता है कि ऋण के संवितरण और उधारकर्ता को भुगतान प्राप्त होने के बीच कुछ समय का अंतराल हो सकता है। उधारकर्ता आगे यह सहमत होता है और वचन देता/देती है कि वह वितरित लोन पर ब्याज का भुगतान लोन वितरण की तिथि से ही करेगा/करेगी, चाहे उसे राशि प्राप्त हुई हो या उसका उपयोग किया गया हो या नहीं। इसमें वह समय अवधि भी शामिल है जब राशि उसके खाते में पहुँचती है, और वह ऐसे किसी भी भुगतान के लिए किसी प्रकार की धनवापसी का दावा नहीं करेगा/करेगी।

5. ब्याज और बकाया

- 5.1 उधारकर्ता लोन की मूलधन राशि पर, अनुसूची-1 में निर्धारित तरीके से की गई ब्याज दर की गणना पर ब्याज ("ब्याज") का भुगतान करेगा। इसके अलावा, उधारकर्ता नीचे दिए गए खंड 5.2 में निर्दिष्ट ब्रोकर पीरियड के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। उधारकर्ता पर बकाया ब्याज और मूलधन का कोई भी पुनर्भुगतान उधारकर्ता द्वारा संबंधित नियत तिथि पर पुनर्भुगतान किस्त के रूप में चुकाया जाएगा।
- 5.2 उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि, कर्ज दिए जाने की तारीख और पहली 'ब्याज अवधि' के शुरू होने के बीच की अवधि का ब्याज जिसे "ब्रोकर पीरियड" कहा जाएगा है और इस तरह से हिसाब किया गया ब्याज जिसे प्री-ईएमआई ब्याज कहा जाएगा, उधारकर्ता के विकल्प पर इन तरीकों से लिया/चुकाया जाएगा: (A) उधार दी जा रही रकम में से 'ब्रोकर पीरियड' का ब्याज पहले ही काट लिया जाएगा; या (B) 'ब्रोकर पीरियड' का ब्याज पहली 'ब्याज भुगतान की तारीख' पर चुकाया जाएगा; या (C) 'ब्रोकर पीरियड' का ब्याज, 'रीपेमेंट शेड्यूल' में तय की गई 'भुगतान किस्तों' के साथ चुकाया जाएगा।
- 5.3 यदि उधारकर्ता (A) वित्तपोषण दस्तावेजों की किसी भी अवधि का पालन करने में असफल रहता है, या (B) इस सुविधा से संबंधित मूलधन, ब्याज, अन्य लागतों, फीस और शुल्कों के भुगतान में देरी करता है, तो इस समझौते या किसी अन्य वित्तपोषण दस्तावेज के तहत ऋणदाता के किसी भी अधिकार पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, उधारकर्ता ऋणदाता को लोन पर दंडात्मक आरोप का भुगतान करेगा; इस शुल्क की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस तारीख को डिफॉल्ट की घटना हुई थी, और उस तारीख तक जारी रहेगी जब तक कि उक्त डिफॉल्ट को ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार ठीक नहीं कर दिया जाता है। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है कि दंड शुल्कों का भुगतान उधारकर्ता की ओर से किसी तरह के डिफॉल्ट के कारण ऋणदाता को होने वाली संभावित हानि का एक उचित अनुमान है। दंडात्मक आरोप का भुगतान करने के बाद भी उधारकर्ता समय पर भुगतान करने सहित अपने अन्य दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।
- 5.4 इस सुविधा के संबंध में लागू सभी वैधानिक बकाया (किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सहित) का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा।

6. पुनर्भुगतान / फोरक्लोज़र

- 6.1 उधारकर्ता ऋणदाता को पुनर्भुगतान तिथि पर पुनर्भुगतान किस्तों का भुगतान/पुनर्भुगतान करेगा और सुविधा के संबंध में सभी बकाया का भुगतान किसी भी पीआई के ज़रिए तय समय-सारिणी के अनुसार, अंतिम भुगतान की तारीख तक चुका दिए जाएंगे। उधारकर्ता इसके द्वारा यह समझता है और पुष्टि करता है कि इस सुविधा के संबंध में उधारकर्ता द्वारा जारी किया गया पीएल, ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दी गई किसी भी अन्य सुविधा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके सभी प्रावधान उन पर भी लागू होते हैं। ऋणदाता अपने पूर्ण विवेक में उधारकर्ता से भुगतान का कोई वैकल्पिक तरीका अपनाने या उस पर स्विच करने के लिए अपेक्षा कर सकता है; और उधारकर्ता इस बात के लिए अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है तथा बिना किसी आपत्ति या देरी के ऐसे अनुरोध का पालन करता है।
- 6.2 यदि ऋणदाता उधारकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह सभी पुनर्भुगतान किस्तों और बकाया राशियों का भुगतान/पुनर्भुगतान एक निर्दिष्ट खाते ("डिज़िग्रेटेड अकाउंट" या "एस्करो अकाउंट") के माध्यम से करे, तो

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

उधारकर्ता:(A) एस्क्रो बैंक में एक बैंक खाता खोल कर उसे स्थापित करेगा तथा एस्क्रो समझौते पर हस्ताक्षर करेगा,(B) अपने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश देगा कि वे उधारकर्ता को देय सभी राशियाँ उसी निर्दिष्ट खाते में जमा करें, और(C) एस्क्रो बैंक को स्थायी निर्देश देगा कि निर्दिष्ट खाते में जमा की गई सभी राशियाँ उस खाते में स्थानांतरित की जाएँ, जिसका निर्देश ऋणदाता एस्क्रो बैंक को दे, ताकि पुनर्भुगतान किस्तों और/या बकाया राशियों का समय पर भुगतान किया जा सके।

- 6.3 उधारकर्ता यह वचन देता है कि ऋणदाता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने पर वह सभी पीआई का सम्मान करेगा और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे किसी भी प्रकार से ऋणदाता का भुगतान प्रभावित हो। इसमें बिना किसी सीमा के ये चीजें शामिल हैं:(a) भुगतान रोकने (स्टॉप पेमेंट) के निर्देश जारी करना,(b) उस खाते में बदलाव करना या उसे बंद करना जिससे ऋणदाता को दिए गए पीआई जारी किए गए थे, या(c) उस खाते के हस्ताक्षरकर्ताओं या खाते के नाम में परिवर्तन करना जिससे ऋणदाता को दिए गए पीआई जारी किए गए थे।
- 6.4 किसी भी डिफॉल्ट या अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में, ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता से इस समझौते में उल्लिखित बाउंस चार्ज (यदि कोई हो),दंडात्मक आरोप तथा अन्य सभी शुल्क वसूल कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऋणदाता लागू कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध अन्य कानूनी प्रक्रिया भी अपना सकता है, जिनमें बिना किसी सीमा के 'परक्राम्य उपकरण अधिनियम, 1881' की धारा 138 तथा 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007' की धारा 25(1) के अंतर्गत कार्रवाई शामिल है।
- 6.5 उधारकर्ता ऋणदाता को वह पीआई उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान करता है, जिसकी आवश्यकता ऋणदाता को किसी भी बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए हो सकती है। उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत होता है, स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि उधारकर्ता स्वेच्छा से ऋण के निर्वहन में पीआई जारी करने के लिए सहमत हुआ है/जो ऋणदाता को उसके द्वारा देय है न कि प्रतिभूति के रूप में। उधारकर्ता ऋणदाता को इस समझौते और वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत सभी दायित्वों के निर्वहन पर सभी पीआई को नष्ट करने के लिए अधिकृत करता है।
- 6.6 अंतिम निपटान तिथि तक, ऋणदाता के पास पुनर्भुगतान अनुसूची को संशोधित/पुनर्निर्धारित करने या समझौते या किसी अन्य वित्तपोषण दस्तावेज की किसी भी अवधि या शर्त (चाहे वित्तीय हो या अन्यथा) को बदलने का अधिकार होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के ब्याज दर शामिल है, उधारकर्ता को कम से कम 7 दिनों की पूर्व सूचना के साथ और ऐसा कोई भी परिवर्तन संभावित रूप से प्रभावी होगा, सूचना की तारीख से। बशर्ते कि ऐसी सूचना खंड 17.5 के तहत किसी भी रूप में स्वीकार्य हो सकती है।
- 6.7 सुविधा के संबंध में उधारकर्ता द्वारा किए गए सभी भुगतान और इसके तहत देय सभी राशि बिना किसी कटौती, सेट ऑफ या किसी भी तरह के काउंटर क्लेम के की जाएगी। उधारकर्ता संबंधित सरकारी अधिकारियों को टीडीएस के भुगतान के संबंध में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) (यदि लागू हो) की कटौती सुनिश्चित करेगा। हालाँकि, ऋणदाता उधारकर्ता से मूल टीडीएस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अपनी बुक में टीडीएस का क्रेडिट देगा। टीडीएस रसीदें जमा करने/टीडीएस का भुगतान करने में देरी के कारण उधारकर्ता से लिए जाने वाले किसी भी दंडात्मक शुल्क का भुगतान उधारकर्ता द्वारा बिना किसी देरी या डिमर के किया जाएगा। उधारकर्ता प्रत्येक तिमाही तिथि से पहले ऋणदाता को संबंधित टैक्स कटौती प्रमाण पत्र ("टीडीएस प्रमाण पत्र") जमा करेगा, जिसके अनुसार, ऋणदाता उस राशि को वापस कर देगा जिसके लिए उचित टैक्स क्रेडिट टीडीएस सर्टिफिकेट में परिलक्षित होता है, 30 (तीस) कार्य दिवसों के भीतर उधारकर्ता को। यदि उधारकर्ता लागू कानून के अनुसार करों की कटौती या रोक के बाद कोई भुगतान करता है, तो ऐसी स्थिति में उधारकर्ता प्रत्येक तिमाही के आधार पर, तिमाही की अंतिम तिथि से 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर, पिछली तिमाही में की गई ऐसी कटौतियों के संबंध में प्रासंगिक टीडीएस प्रमाणपत्र ऋणदाता को उपलब्ध कराएगा। यदि उधारकर्ता उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर ऐसा टीडीएस प्रमाणपत्र प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता को उधारकर्ता के खाते से उक्त राशि डेबिट/कटौती करने का अधिकार होगा और ऐसी राशि, यदि कोई हो, ब्याज एवं दंडात्मक शुल्क सहित वसूल योग्य मानी जाएगी।
- 6.8 ऋणदाता, उधारकर्ता की ऋणदाता के प्रति किसी भी देयता के संबंध में, ऋणदाता के कब्जे या अभिरक्षा में सुरक्षित रखी गई अथवा अन्यथा उपलब्ध उधारकर्ता की किसी भी प्रतिभूति, प्राप्य राशि या धनराशि पर ग्रहणाधिकार या समायोजन का अधिकार प्रयोग कर सकता है। यदि ऐसे समायोजन के अधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो ऋणदाता

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

इस अनुबंध के अंतर्गत अनुमत किसी भी माध्यम से उधारकर्ता को शेष दावों का पूर्ण विवरण तथा उन शर्तों सहित सूचना देगा, जिनके अंतर्गत ऋणदाता संबंधित दावे के निपटान/निर्वहन तक उपर्युक्त प्रतिभूति, प्राप्य राशि या धनराशि को अपने पास रखने का अधिकार रखता है।

6.9 फोरक्लोज़र

उधारकर्ता, ऋणदाता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना (जो स्वीकृति ऋणदाता द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों, जिनमें फोरक्लोज़र शुल्क का भुगतान भी शामिल हो सकता है, के अधीन दी जा सकती है), देय तिथियों से पूर्व बकाया मूलधन राशि तथा उस पर देय ब्याज का पूर्ण या आंशिक पूर्व भुगतान/फोरक्लोज़र नहीं करेगा। उधारकर्ता ऋणदाता को कम से कम 30 दिनों में फोरक्लोज़र (यानी पहले से सहमत अवधि या पुनर्भुगतान की तारीख से पहले पुनर्भुगतान) करने के अपने इरादे की पूर्व सूचना देगा, बशर्ते कि उधारकर्ता यहां नीचे दिए गए फोरक्लोज़र शुल्कों को वहन करने के लिए सहमत हो।

यदि ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा किए गए फोरक्लोज़र के अनुरोध को स्वीकार कर लेता है, तो उधारकर्ता ऋणदाता को ऐसी दर पर फोरक्लोज़र शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो ऋणदाता द्वारा उस समय सलाह दी जा सकती है, जब उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को पहले से सहमत पुनर्भुगतान अनुसूची (या अवधि या पुनर्भुगतान की शर्तें या तिथियाँ) से पहले ऋणकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान की गई राशि पर सुविधाओं के लिए ऐसा फोरक्लोज़र अनुरोध किया जाता है, जैसा कि यहां अनुसूची 1 के रूप में संलग्न प्रतिबंध पत्र में निहित है, जिस सुविधा से इस तरह का पुनर्भुगतान संबंधित है या जिसका उल्लेख सुविधा समझौते में किया गया है।

6.10 उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि उधारकर्ता के खिलाफ उधारकर्ताओं के पुनर्भुगतान दायित्वों के लिए सभी धन या भुगतान (दंडात्मक शुल्कों के लिए किसी भी धन सहित) उधारकर्ता के खाते से सीधे ऋणदाता के खाते में किए जाएंगे। उपरोक्त अधिदेश, चूक/बकाया की स्थिति में लागू नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में ऋणदाता वैकल्पिक भुगतान खाते की जानकारी साझा कर सकता है।

7. अभ्यावेदन और वारंटी

उधारकर्ता ऋणदाता को निम्नलिखित अभ्यावेदन और वारंटी देता है, जिन्हें अंतिम निपटान तिथि तक प्रत्येक नियत तिथि पर दोहराया गया माना जाएगा।

- उधारकर्ता भारत के कानूनों के तहत विधिवत संगठित है। उधारकर्ता भारत के कानूनों के अंतर्गत अनुबंध करने के लिए सक्षम है तथा उसके पास वर्तमान में स्वामित्व, पट्टे या संचालनाधीन परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों का स्वामित्व रखने, उन्हें पट्टे पर लेने, उनका संचालन करने तथा वर्तमान में संचालित अपने व्यवसाय को संचालित करने हेतु पूर्ण अधिकार और प्राधिकार है।
- उधारकर्ता ने सुविधा प्राप्त करने तथा इस अनुबंध और वित्तपोषण दस्तावेजों में प्रवेश करने एवं उन्हें निष्पादित/प्रदान करने (तथा उनकी वैधता और प्रवर्तनीयता), उनके अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु सभी आवश्यक प्राधिकरण, सहमतियां, अनुमोदन एवं लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं, और ऐसे सभी प्राधिकरण, सहमतियां, अनुमोदन एवं लाइसेंस वैध एवं प्रभावी हैं।
- इस सुविधा का लाभ उठाना और इस समझौते और वित्तपोषण दस्तावेजों की प्रविष्टि और वितरण, और उसके तहत अपने दायित्वों का प्रदर्शन, किसी भी लागू कानून या उधारकर्ता के संवैधानिक दस्तावेजों के प्रावधानों या उस पर बाध्यकारी किसी अन्य समझौते या इंस्ट्रूमेंट का उल्लंघन नहीं करता है।
- यह समझौता और वित्तपोषण दस्तावेज उधारकर्ता के वैध और बाध्यकारी दायित्वों का गठन करते हैं, जिन्हें उनकी संबंधित शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- (e) किसी भी अदालत या सरकारी प्राधिकरण के समक्ष उधारकर्ता या उधारकर्ता की संपत्ति से या उसके खिलाफ उधारकर्ता की जानकारी में कोई कार्रवाई, मुकदमा, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है।
- (f) कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही विद्यमान है।
- (g) डिफॉल्ट की कोई घटना या डिफॉल्ट की संभावित घटना नहीं हुई है या मौजूद है।
- (h) ऋणदाता को दी गई सभी जानकारी सही और सटीक है, जैसा कि उस तारीख से पहले की तारीख में नहीं है, जिस तारीख को इसे प्रदान किया गया था। उधारकर्ता ने ऋणदाता या सुविधा प्रदाता को कोई भी सामग्री जानकारी प्रदान करने से इनकार नहीं किया है, यदि कोई हो।
- (i) उधारकर्ता के वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में और उसके लिए उसकी वित्तीय स्थिति और संचालन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।
- (j) सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जिनके लिए उधारकर्ता उत्तरदायी है, या जिनके लिए उधारकर्ता खाता के लिए उत्तरदायी है, और जो भुगतान के लिए देय हैं, उनका विधिवत भुगतान कर दिया गया है।
- (k) उधारकर्ता के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (या लागू कोई अन्य समान कानून) के तहत किसी भी दिवाला समाधान प्रक्रिया या अन्य कार्यवाही प्रारंभ, प्रस्तावित अथवा स्वीकृत नहीं की गई है।
- (l) उधारकर्ता, इसके प्रमोटर/डायरेक्टर या गारंटर रिजर्व बैंक/ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड या ऋणदाता की डिफॉल्टर सूची या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण की डिफॉल्टर सूची द्वारा प्रसारित विलफुल डिफॉल्टर की किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, उधारकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक/प्रमोटर की क्षमता में शामिल नहीं करेगा, जो किसी कंपनी/फर्म/एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स/ट्रस्ट का निदेशक/भागीदार/सदस्य/ट्रस्टी हो, जैसा भी मामला हो, जिसकी पहचान विलफुल डिफॉल्टर के रूप में की गई है। यदि ऐसा व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर के रूप में पहचाने जाने वाले निदेशक के रूप में पाया जाता है, तो उधारकर्ता ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाएगा।
- (m) उधारकर्ता के संवैधानिक दस्तावेजों (यदि कोई हों), लागू कानून अथवा उस पर बाध्यकारी किसी अन्य अनुबंध या लिखत के अंतर्गत ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जो इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऋणदाता को सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत परिसंपत्तियों पर उधारकर्ता के अधिकार, स्वामित्व एवं हित के संबंध में ऋणदाता के पक्ष में सुरक्षा हित सृजित करने से रोकती हो।
- (n) उधारकर्ता की संपत्ति (बिना किसी सीमा के, नामित खाते सहित) के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई बकाया बोझ या सुरक्षा ब्याज या पूर्वाधिकार या दावे, या कोई लंबित मुकदमेबाजी की कार्यवाही नहीं है।
- (o) ऋणदाता को अन्यथा बताए जाने के अलावा, आई रिसेवेबल्स पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति के पास छूट नहीं दी गई है।
- (p) उधारकर्ता आगे इस बात से सहमत है कि वह ऋणदाताओं की संतुष्टि के अनुसार, ऋणदाताओं द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, सक्षम/सॉल्वेंट गारंटर उपलब्ध कराएगा, जो उधारकर्ता द्वारा सुविधा तथा/या समय-समय पर उस पर बकाया शेष राशि के विधिवत पुनर्भुगतान की गारंटी देंगे। उधारकर्ता यह भी सहमत है कि उक्त गारंटरों द्वारा ऋणदाताओं के पक्ष में गारंटी विलेख निष्पादित करवाएगा तथा गारंटरों द्वारा दी जाने वाली गारंटी को सुरक्षित करेगा। यदि ऋणदाताओं द्वारा गारंटी की आवश्यकता होती है, तो वह इस सुविधा अनुबंध के साथ संलग्न प्रारूप में होगी, जिसमें ऋणदाता अपने एकमात्र विवेकाधिकार से अपवाद, संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। अनुसूची -1 में सूचीबद्ध गारंटर इसके द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं और गारंटी देते हैं कि मैं/हम उधारकर्ता के दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक संचालन में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

8. वचनबद्धताएँ एवं प्रतिज्ञाएँ

उधारकर्ता ऋणदाता को यह वचन देता है कि अंतिम निपटान तिथि तक, जब तक कि ऋणदाता द्वारा अन्यथा अनुमोदित न हो:

- (a) सुविधा से प्राप्त आय का उपयोग केवल उद्देश्य के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं;
- (b) उधारकर्ता को सुविधा के अलावा कोई और ऋण नहीं देना होगा;
- (c) कि उधारकर्ता ने आज की तिथि तक क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स योजना के अंतर्गत किसी भी ऋणदाता संस्था से कोई मुद्रा ऋण प्राप्त नहीं किया है, और उपर्युक्त स्थिति में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में उधारकर्ता तत्काल ऋणदाता को सूचित करेगा;
- (d) यह सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता के नियंत्रण, स्वामित्व और प्रबंधन (जैसा कि लागू हो) में कोई बदलाव नहीं होगा;
- (e) यह सुनिश्चित करेगा कि इसके प्रमोटर/डायरेक्टर/पार्टनर लोन के संबंध में बकाया राशि के भुगतान के लिए ऋणदाता को भुगतान की जाने वाली किस्त को पहले पूरा किए बिना बिज़नेस में निवेश किए गए बिज़नेस/कैपिटल में कमाए गए मुनाफे और/या किसी भी आय को वापस नहीं लेंगे;
- (f) वह यह सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था करेगा कि कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न न हो अथवा विद्यमान न रहने दिया जाए;
- (g) यह उधारकर्ता के भागीदारों/शेयरधारकों/सदस्यों/निदेशकों या उनके किसी रिश्तेदार द्वारा लाए गए किसी भी पैसे का भुगतान नहीं करेगा;
- (h) यह हर समय लागू कानून का पालन करेगा;
- (i) यह उन सभी वित्तपोषण दस्तावेजों को विधिवत निष्पादित करेगा और वितरित करेगा जिनमें वह एक पक्ष है, जिसमें सभी अनुसूचियाँ, अनुलग्नक और संलग्नक शामिल हैं और ऐसे आगे के दस्तावेज जो समय-समय पर ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो सकते हैं;
- (j) वह किसी भी सरकारी प्राधिकरण के समक्ष आवश्यक सभी फाइलिंग्स तत्काल करेगा या करवाएगा तथा व्यवसाय और इस अनुबंध एवं वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक सभी सहमतियों, अनुमोदनों, लाइसेंसों एवं प्राधिकरणों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाए रखेगा;
- (k) वह उन सभी वित्तपोषण दस्तावेजों, जिनका वह पक्षकार है, की शर्तों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का पालन करेगा तथा ऐसे प्रत्येक वित्तपोषण दस्तावेज को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाए रखेगा, जिनका वह पक्षकार है;
- (l) उधारकर्ता उन सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करेगा जिनका भुगतान लागू कानून के तहत समय अवधि के भीतर और ऐसी आवधिकता पर और इस तरह से करना आवश्यक है जो लागू कानून के तहत निर्धारित है;
- (m) यह तुरंत, और 3 (तीन) दिनों के बाद के मामले में, ऋणदाता को डिफॉल्ट की किसी भी घटना या डिफॉल्ट की किसी भी संभावित घटना के बारे में सूचित करेगा;
- (n) उधारकर्ता, ऋणदाता के प्रतिनिधियों या नामित व्यक्तियों, जिनमें ऑडिटर, तकनीकी विशेषज्ञ एवं प्रबंधन सलाहकार शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, को समय-समय पर उधारकर्ता के परिसरों, कारखानों एवं अन्य संपत्तियों/परिसंपत्तियों, लेखा पुस्तकों तथा अन्य सभी संबंधित खातों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण एवं जांच करने की अनुमति देगा। उधारकर्ता ऐसे और दस्तावेजों, फॉर्म और कागजातों को निष्पादित करेगा, जिनकी ऋणदाता को समय-समय पर, सुविधा के संबंध में आवश्यकता हो सकती है;

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- (o) यह ऐसी जानकारी ऐसे रूप और तरीके से और ऐसे समय पर प्रदान करेगा, जिसकी ऋणदाता या फैसिलिटेटर को आवश्यकता हो;
- (p) वह ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण परिस्थिति के संबंध में ऋणदाता को तत्काल लिखित सूचना देगा, जो इस अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित तरीके से सुविधा के पुनर्भुगतान करने या इस अनुबंध के तहत दायित्वों के अनुपालन करने की उधारकर्ता की क्षमता को प्रभावित करती हो, जिसमें किसी भी लेनदार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा उसके विरुद्ध की गई किसी भी कार्रवाई सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं;
- (q) उधारकर्ता, ऋणदाता को 30 दिन पूर्व सूचना दिए बिना, (i) व्यवसाय में कोई परिवर्तन, (ii) अपनी संरचना या संवैधानिक दस्तावेजों में कोई परिवर्तन, (iii) व्यवसाय का बंद करना, अथवा (iv) पते में कोई परिवर्तन नहीं करेगा;
- (r) उधारकर्ता के बैंक/बैंक खाते में परिवर्तन होने की स्थिति में, वह तत्काल तथा किसी भी स्थिति में परिवर्तन होने की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर नए भुगतान निर्देश (PIs) प्रदान करेगा, और उक्त बैंक या बैंक खाते से नए पुनर्भुगतान निर्देश भी उपलब्ध कराएगा;
- (s) यदि किसी भी समय ऋणदाता की यह राय हो कि किसी भी सुरक्षा का मूल्य अपर्याप्त है, तो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा;
सुविधा के संबंध में प्रदान की गई कोई भी सुरक्षा/गारंटी, यदि कोई हो, पर्याप्त या संतोषजनक नहीं है, तो उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा।
- (t) उधारकर्ता इसके द्वारा यह अभिवेदन और वारंटी देता है कि सुविधा की स्वीकृति के पश्चात किसी भी समय यदि उधारकर्ता का ऋण-से-टर्नओवर अनुपात, सुविधा की स्वीकृति की तिथि पर विद्यमान स्तर से अधिक हो जाता है, तो ऋणदाता को अपने एकमात्र विवेकाधिकार से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:
- (i) उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति तथा इस अनुबंध की शर्तों के अनुपालन का आकलन करने हेतु, ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, उधारकर्ता से अतिरिक्त वित्तीय, परिचालन अथवा अन्य जानकारी एवं दस्तावेज मांगने और प्राप्त करने का अधिकार।
- (ii) इस समझौते की शर्तों के अनुसार, पूरी तरह या आंशिक रूप से सुविधा को एकतरफा रूप से याद करना और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, किसी भी लागू शुल्क, प्रीमियम और शुल्क के साथ-साथ सभी बकाया राशि के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग करना।
- उधारकर्ता आगे स्वीकार करता है और सहमत है कि इस उप-खंड के तहत ऋणदाता के अधिकार वित्तपोषण दस्तावेजों या लागू कानून के तहत ऋणदाता के पास उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों या उपचारों के अलावा होंगे।

9. क्षतिपूर्ति

- 9.1 उधारकर्ता सहमत होता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता किसी भी नकल, टेलीफोनिक आदान-प्रदान और/या ई-मेल (चाहे उस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए हों या नहीं) प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा और उधारकर्ता पर पूरी तरह से बाध्यकारी होगा। उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता से अनुरोध करता है और उसे अधिकृत करता है कि वह समय-समय पर उधारकर्ता द्वारा फ़ैक्स, ई-मेल, टेलीफोन, शॉर्ट मैसेजिंग सेवा अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से दिए गए या दिए गए प्रतीत होने वाले किसी भी निर्देश या संचार पर किसी भी उद्देश्य हेतु कार्य करे और उन पर भरोसा करे। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि (A) फ़ैक्स द्वारा जानकारी भेजना, ई-मेल, टेलीफोन, लघु संदेश सेवा या इलेक्ट्रॉनिक संचार का कोई अन्य रूप जानकारी भेजने का एक सुरक्षित साधन नहीं है; (B) उधारकर्ता को नकल द्वारा निर्देश/संचार भेजने में शामिल जोखिमों के बारे में पता है, ई-मेल, टेलीफोन, लघु संदेश सेवा या इलेक्ट्रॉनिक संचार का कोई अन्य रूप, इस जोखिम को शामिल करना कि ऐसे निर्देश/संचार धोखाधड़ी से या गलती से लिखे जा सकते हैं, परिवर्तित या भेजा जाता है और इच्छित प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है; और (C) ऋणदाता केवल उधारकर्ता की सुविधा और लाभ के लिए निर्देशों/संचार को स्वीकार करने और उस पर कार्य करने के लिए सहमत होता है। उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत होता है कि ऐसे सभी जोखिमों को पूरी

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

तरह से उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। ऋणदाता किसी भी फैक्स सबमिशन, ईमेल, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या टेलीफोन निर्देश के अनुसार या उस पर निर्भर रहने के परिणामस्वरूप ऋणदाता को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा।

- 9.2 उधारकर्ता, ऋणदाता, उसके सहयोगियों, एजेंटों, कर्मचारियों, अधिकारियों एवं सेवकों (प्रत्येक को "क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति" कहा जाएगा) को सुविधा प्रदान करने तथा उसके अंतर्गत देय किसी भी राशि के संबंध में उत्पन्न सभी दावों, मांगों, कार्रवाइयों, देनदारियों, क्षतियों, हानियों (जिसमें लाभ की हानि भी शामिल है), लागतों एवं व्ययों (कानूनी या अन्यथा) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें क्षतिपूर्ति युक्त बनाए रखेगा। इसमें, बिना किसी सीमा के, उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक, सुविधा या किसी वित्तपोषण दस्तावेज के संबंध में ऋणदाता द्वारा अपने अधिकारों के प्रवर्तन, सुविधा के किसी भी आहरण, अथवा सुविधा के अंतर्गत ऋणदाता द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित दावे एवं व्यय शामिल होंगे।
- 9.3 उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति यह वचन देता है कि यदि कोई वित्तपोषण दस्तावेज उस राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य में प्राप्त होता है, जिसमें उसका निष्पादन किया गया है, तो उधारकर्ता ऐसे वित्तपोषण दस्तावेज पर लागू कानून के अंतर्गत प्रचलित स्टाम्प शुल्क दरों के अनुसार अंतरित स्टाम्प शुल्क का भुगतान, ऐसे दस्तावेज की प्राप्ति से 10 कार्यदिवसों के भीतर करेगा।
- 9.4 यदि उधारकर्ता उपरोक्त करने में विफल रहता है, फिर उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा किए गए भुगतानों के खिलाफ ऋणदाता और एक-दूसरे को क्षतिपूर्ति देने का कार्य करता है, जैसा भी मामला हो (जिसमें शामिल हैं), बिना किसी सीमा के, इस तरह के किसी भी स्टाम्प शुल्क का भुगतान) और किसी भी और सभी नुकसान के खिलाफ, देनदारियां, नुकसान, लागत और खर्च (जिसमें शामिल हैं, बिना किसी सीमा के, परामर्श की फीस और खर्च, इस खंड 9.4 के तहत पूरी तरह से क्षतिपूर्ति के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा की गई लागत) जो किसी भी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति को हो सकती है और/या हो सकती है।

10. डिस्क्लोज़र

- 10.1 उधारकर्ता इसके द्वारा उधारकर्ता के जोखिम और लागत पर ऋणदाता को किसी भी तथ्य या जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अधिकृत करता है, उधारकर्ता से संबंधित और/या उधारकर्ता के बकाया को इकट्ठा करने और/या किसी भी प्रतिभूति को लागू करने के लिए और ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, जानकारी, तथ्य और आंकड़े जो ऋणदाता को सही लगते हैं। उधारकर्ता ऋणदाता को क्रेडिट सूचना कंपनियों आदि से डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत करता है और उधारकर्ता के साथ संचार के उद्देश्य से इस तरह एकत्र किए गए डेटा का उपयोग कर सकता है। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से मान्यता देता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हकदार होगा और उसके पास एक या अधिक तीसरे पक्ष को नियुक्त करने के लिए ऐसा करने की पूरी शक्ति और अधिकार है क्योंकि ऋणदाता इस सुविधा के प्रशासन से संबंधित इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य के अधिकारों और शक्तियों का चयन और प्रत्यायोजन कर सकता है, जिसमें उधारकर्ता या उसके समकक्षों से ऋणदाता की ओर से एकत्र करने और प्राप्त करने के अधिकार और अधिकार शामिल हैं, जैसा कि मामला हो सकता है, इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा सभी बकाया राशि और सभी वैध कृत्यों को करने और निष्पादित करने के लिए, कार्य, मामले और उससे जुड़ी चीजें और उनसे आनुषंगिक जिसमें उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए नोटिस भेजना शामिल है, उधारकर्ता से नकद/पीआई/ड्राफ्ट/जनादेश प्राप्त करना और उधारकर्ता को वैध रसीदें और निर्वहन देना।
- 10.2 उधारकर्ता ऋणदाता और उसके किसी भी अधिकारी को इससे संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए सहमति देता है, कोई भी वित्तपोषण दस्तावेज़ या किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज़ के तहत या उससे संबंधित कोई भी लेन-देन, जैसा कि वह उचित समझे: (A) इसका मुख्य कार्यालय, शाखाएं, सहायक कंपनियां, संबद्ध या संबद्ध संस्थाएं; (B) कोई भी व्यक्ति (बिना किसी सीमा के किसी भी सरकारी प्राधिकरण सहित) जिसके लिए किसी भी लागू कानून द्वारा जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है, किसी भी दिशा में, किसी भी सरकारी प्राधिकरण का अनुरोध या आवश्यकता; (C) इसके लेखा परीक्षक या कोई पेशेवर सलाहकार; (D) कोई भी एजेंट, रेफरल पार्टियां, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर और

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें ऋणदाता उधारकर्ता (E) किसी भी व्यक्ति को सुविधा प्रदान करने या सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए आवश्यक समझ सकता है, जिसके साथ ऋणदाता कोई भी ट्रांसफर कर सकता है, असाइनमेंट, सुविधा के संबंध में भागीदारी या अन्य समझौता; (F) अन्य बैंक, लागू कानून के अधीन, यदि उधारकर्ता ने ऐसे बैंक से किसी सुविधा का लाभ उठाया है; और (G) क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड ("सिबिल"), एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सपेरियन), इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इक्विफैक्स), सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (हाई मार्क), सेंट्रल केवाईसी (सीकेवाईसी), सूचना उपयोगिता (आईयू), जैसा कि लागू हो सकता है और/या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य एजेंसी। उधारकर्ता एतद्वारा सहमति प्रदान करता है और ऋणदाता को यह अनुमति देता है कि वह निम्नलिखित सभी अथवा किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण एवं उपलब्ध कराना, जैसा कि ऋणदाता उचित एवं आवश्यक समझे, सिबिल तथा/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य हेतु अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को कर सके: (i) उधारकर्ता से संबंधित जानकारी एवं डेटा; (ii) ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली किसी भी सुविधा के अंतर्गत उधारकर्ता की देनदारियों तथा उसके द्वारा ऋणदाता को प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा से संबंधित जानकारी या डेटा; (iii) उधारकर्ता द्वारा की गई कोई चूक, यदि कोई हो; तथा (iv) ऐसी अन्य जानकारी, जिसे ऋणदाता उचित एवं आवश्यक समझे। इस संबंध में, सिबिल और/या इस तरह से अधिकृत कोई अन्य एजेंसी लागू कानून के अधीन, किसी भी तरह से ऐसी जानकारी का उपयोग और प्रक्रिया कर सकती है, जिसे वह उचित समझ सकती है। यदि उधारकर्ता किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज के अंतर्गत अपने दायित्वों के पालन में चूक करता है, तो ऋणदाता और/अथवा आरबीआई को लागू कानून के अधीन, ऐसी चूक का विवरण तथा उधारकर्ता (जिसमें उसके निदेशक भी शामिल हैं) का नाम डिफॉल्टर के रूप में, जिस प्रकार और जिस माध्यम से वे उपयुक्त समझे, प्रकट या प्रकाशित करने का पूर्ण एवं बिना शर्त अधिकार होगा।

10.3 मैं/हम ऋणदाता को केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर), डिजिलॉकर अथवा किसी अन्य समान रूप से वैध स्रोत से मेरे/हमारे केवाईसी अभिलेख डाउनलोड करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम प्रमाणित एवं आश्वस्त करता/करते हूँ/हैं कि सुविधा प्राप्त करने हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई केवाईसी जानकारी, सीकेवाईसीआर में उपलब्ध जानकारी के समान है, और किसी भी विसंगति की स्थिति में ऋणदाता को किसी भी समय सुविधा को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार होगा।

11. उधारकर्ता एवं ऋणदाता द्वारा स्वीकृति

11.1 इस अनुबंध या अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी बात के बावजूद, उधारकर्ता एवं ऋणदाता द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि, लागू कानून के अधीन, सुविधा प्रदाता (यदि कोई हो) की वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत ऋणदाता या उधारकर्ता के प्रति कोई देयता नहीं होगी, तथा उनमें निहित सभी जानकारी, वचनबद्धताओं एवं दायित्वों के लिए केवल ऋणदाता और उधारकर्ता ही उत्तरदायी होंगे। उधारकर्ता और ऋणदाता इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि:

- उधारकर्ता इस बात से अवगत है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता किसी भी समय और समय-समय पर लागू ब्याज दर में बदलाव करने का हकदार होगा, और इस तरह की संशोधित ब्याज दर को इस तरह के संशोधन की तारीख को और उससे लागू ब्याज दर माना जाएगा और इसे हमेशा उधारकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए सहमत माना जाएगा और इसके द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। ऋणदाता द्वारा अपनी वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित किए जाने और/अथवा अनुसूची-1 में उल्लिखित किसी भी संचार माध्यम के द्वारा उधारकर्ता को सूचित किए जाने पर, लागू ब्याज दर में किसी भी परिवर्तन की सूचना उधारकर्ता को प्राप्त मानी जाएगी;
- कि उन्होंने सुविधा प्राप्त करने/सुविधा उपलब्ध कराने अथवा इस अनुबंध में वर्णित प्रावधानों के संबंध में ऋणदाता की वेबसाइट, वर्तमान में www.FlexiLoans.com ("**वेबसाइट**"), पर उपलब्ध सभी नियम एवं शर्तें, गोपनीयता नीति तथा अन्य सामग्री/जानकारी को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है और उनका पालन करने हेतु पूर्णतः सहमत हैं;
- सुविधा प्रदाता (यदि कोई हो) केवल उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है और एक ऋणदाता नहीं है और इस समझौते के तहत या अन्यथा उधारकर्ता और ऋणदाता के किसी भी कार्य या चूक के लिए किसी भी तरह से व्यस्त या जिम्मेदार नहीं है;

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- (d) सुविधा प्रदाता (यदि कोई हो) उधारकर्ता द्वारा सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा; और
- (e) सुविधा प्रदाता (यदि कोई हो), किसी भी मामले में, इस समझौते के संबंध में या अन्यथा ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किसी भी विवाद का पक्षकार नहीं होगा और किसी भी तरह से उन्हें हुए किसी भी नुकसान और/या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

11.2 उधारकर्ता सहमत होता है और स्वीकार करता है कि प्रत्येक सह-उधारकर्ता, अगर कोई, जैसा कि अनुसूची I में निर्दिष्ट किया गया है, प्रत्येक गारंटी/सह-उधारकर्ता (यदि कोई हो) इस समझौते और वित्तपोषण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होगा। समझौते का प्रत्येक प्रावधान प्रत्येक उधारकर्ता पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से लागू होगा।

11.3 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि सुविधा और उसके तहत देय राशि के संबंध में ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत खाते का कोई भी विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा और बाध्यकारी होगा और इसमें उल्लिखित राशि की शुद्धता का निर्णायक प्रमाण होगा।

11.4 उधारकर्ता सहमत होता है और स्वीकार करता है कि उधारकर्ता को उधारकर्ता के समकक्षों से सुविधा के तहत देय सभी राशियों को स्वीकार करने का अधिकार होगा, जिसमें उन समकक्षों से भी शामिल है, जिन्हें इसके संबंध में नोटिस दिया गया है और प्राप्य से देय उचित राशियां शामिल हैं। लागू कानून के तहत आवश्यक के अलावा, ऋणदाता किसी भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों सहित प्राप्य की स्वीकृति के संबंध में किसी भी सत्यापन या सूचना अनुपालन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

11.5 उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत होता है और स्वीकार करता है कि किसी भी इश्योरेंस प्रॉडक्ट के लिए आवेदन संबंधित इश्योरेंस प्रोवाइडर द्वारा उसके नियमों और शर्तों के अनुसार एकमात्र अनुमोदन और स्वीकृति के अधीन होगा। उधारकर्ता आगे स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि संबंधित इश्योरेंस प्रोवाइडर द्वारा इश्योरेंस आवेदन अस्वीकार करने/इश्योरेंस आवेदन स्वीकार न करने की स्थिति में, ऋणदाता/इश्योरेंस प्रोवाइडर प्रीमियम के तौर पर मिलने वाली राशि को उधारकर्ता को वापस कर देगा। अंततः, पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई है कि उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम की वापसी (जो केवल बीमा आवेदन के अस्वीकृत या स्वीकार न किए जाने की स्थिति में लागू होगी) को छोड़कर, ऋणदाता/बीमा प्रदाता किसी भी अन्य प्रकार के दावे/विवाद के लिए उधारकर्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

11.6 ऋणदाता के अनुरोध पर, उधारकर्ता 3 (तीन) कार्यदिवसों की पूर्व सूचना के साथ (बशर्ते कि यदि किसी प्राधिकरण द्वारा अथवा लागू कानून के अंतर्गत किसी जानकारी की आवश्यकता या मांग की गई हो, तो ऐसी 3 (तीन) कार्यदिवसों की सूचना देना आवश्यक नहीं होगा और उधारकर्ता कम अवधि की सूचना पर भी पहुंच प्रदान करेगा) ऋणदाता, उसके ऑडिटर्स एवं प्रतिनिधियों को निम्नलिखित करने की अनुमति देगा:

- उन साइटों और परिसरों में से किसी पर जाएं जहां उधारकर्ता का व्यवसाय संचालित या पंजीकृत है;
- उधारकर्ता की लेखा पुस्तकों और सभी रिकॉर्ड, प्राधिकरणों, समझौतों, दस्तावेजों और परमिटों तक पहुंच है और उनकी प्रतियां लेने के लिए;
- किसी भी ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और किसी भी अन्य दस्तावेज या रिपोर्ट या उधारकर्ता द्वारा की गई फाइलिंग की प्रतियां प्राप्त करें।

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि भारतीय रिज़र्व बैंक और उसके प्रतिनिधियों को लागू कानून के अनुसार उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

12. घोषणाएँ और उपक्रम :

12.1 उधारकर्ता इसके द्वारा घोषणा करता है और सहमत होता है

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- (i) उनकी कोई भी वर्तमान ऋण सुविधा सीजीटीएमएसई, सीजीएमएफ्यू, मुद्रा आदि जैसी किसी सरकारी योजना और/अथवा अधिसूचना के अंतर्गत आच्छादित नहीं है। उधारकर्ता, अपनी पात्रता के आधार पर, ऋणदाता को अपने विवेकानुसार इस सुविधा को किसी भी सरकारी योजना और/अथवा अधिसूचना, जिनमें क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई), क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (सीजीएमएफ्यू), मुद्रा आदि शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के अंतर्गत शामिल करने की अनुमति देता है। इसके द्वारा उधारकर्ता द्वारा यह सहमति दी जाती है कि सुविधा में किसी भी डिफॉल्ट के मामले में, ऋणदाता के पास उपरोक्त में से किसी भी निर्दिष्ट योजना/अधिसूचना के तहत सरकार द्वारा बनाए गए/सेटल किए गए ट्रस्ट/एजेंसी की वेबसाइट पर उधारकर्ता का नाम और अन्य विवरण सूचीबद्ध करने का अधिकार होगा। अंत में, उधारकर्ता किसी भी सरकारी योजना या अधिसूचना में सुविधा को कवर करने के लिए ऋणदाता द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार के खिलाफ कोई दावा नहीं करने, विवाद शुरू करने या विरोध या डिमर करने का वादा करता है।
- (ii) उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऋणदाता के अनुरोध पर उद्यम पंजीकरण संख्या प्रदान करने के लिए सहमत होता है और वचन देता है। अगर उधारकर्ता उद्यम के तहत पंजीकृत नहीं है, तो उधारकर्ता उद्यम के तहत उधारकर्ता के पंजीकरण की सुविधा के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के साथ उधारकर्ता की आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए ऋणदाता को सहमति देता है और अधिकृत करता है।
- (iii) उधारकर्ता किसी को भी शामिल नहीं करेगा व्यक्ति जिसका नाम इसमें दिखाई देता है की सूची जानबूझकर डिफॉल्टर इस पर निदेशक मंडल, भागीदार या एक प्रभारी व्यक्ति के रूप में, और उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए इकाई है।
(A) यदि ऐसा कोई व्यक्ति उधारकर्ता के निदेशक मंडल/साझेदारों में, अथवा उधारकर्ता इकाई के प्रभारी या उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में पाया जाता है, तो उधारकर्ता ऐसे व्यक्ति को हटाने हेतु त्वरित एवं प्रभावी कदम उठाएगा तथा इसकी सूचना ऋणदाता को देगा।
(B) इसके अलावा, उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऋणदाता को किसी भी मौजूदा सुविधा को रिन्यू करने, कोई एन्हांसमेंट देने, नई सुविधा/आईईएस प्रदान करने या फिर से स्ट्रक्चर करने की कोई बाधता नहीं होगी व्यक्ति उधारकर्ता के साथ जुड़ा हुआ है जिसका नाम विलफुल डिफॉल्टर की सूची में दिखाई देता है। (C) उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऋणदाता, जहाँ भी आवश्यक हो, बकाया/बकाया राशि की फोरक्लोज़र/वसूली के लिए उधारकर्ता/गारंटीकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। (D) अंत में, ऋणदाता के पास लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार "विलफुल डिफॉल्टर/लार्ज डिफॉल्टर" के रूप में क्रेडिट सूचना कंपनियों को उधारकर्ता और/या उससे जुड़े व्यक्तियों के नाम की रिपोर्ट करने का भी अधिकार होगा।
- (iv) उधारकर्ता यह समझता है कि ऋण स्वीकृत करने का निर्णय तथा उस पर लागू ब्याज दर का निर्धारण, ऋणदाता द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है, जो ऋणदाता की ब्याज दर नीति में परिकल्पित प्रत्येक उधारकर्ता के जोखिम वर्गीकरण के आकलन हेतु अपनाए गए विभिन्न मानकों पर आधारित होता है। उक्त नीति की प्रति वेबसाइट <https://flexiloans.com/regulatory> पर उपलब्ध है। ऋणदाता, उधारकर्ता के जोखिम वर्गीकरण के लिए विभिन्न कारकों पर विचार कर सकता है, जैसे कि वित्तपोषित की जाने वाली परिसंपत्ति का प्रकार, उधारकर्ता की प्रोफाइल एवं पुनर्भुगतान क्षमता, उधारकर्ता की अन्य वित्तीय देनदारियां, पूर्व पुनर्भुगतान का रिकॉर्ड (यदि कोई हो), ऋण-से-मूल्य अनुपात, भुगतान का तरीका, ऋण की अवधि, उधारकर्ता का भौगोलिक स्थान, ऋण का अंतिम उपयोग, तथा अन्य संबंधित मानक। ब्याज की दर समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है, जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि जोखिम के प्रेडेशन के दृष्टिकोण का उल्लेख ऋणदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध ब्याज दर नीति में एक पैराग्राफ के रूप में किया गया है।
- (v) ऋणदाता के पास योग्य बैंक/वित्तीय संस्थान के साथ सुविधा को को-लेंट करने का अधिकार है, अगर यह लागू आवश्यकताओं को पूरा करता है, तदनुसार, उधारकर्ता इसके साथ संलग्न अनुसूची -VI में निर्धारित वाचाओं को पूरा करता है और उनसे सहमत होता है। उधारकर्ता स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि यदि सुविधा सह-ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो अनुसूची- VI इस समझौते का एक अभिन्न अंग होगा, और उधारकर्ता पर उसमें बताई गई वाचाओं/दायित्वों का पालन करने का अनिवार्य दायित्व होगा।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- (vi) उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऋणदाता सोर्सिंग के संबंध में प्रसंस्करण, सर्विसिंग, निगरानी, पुनर्प्राप्ति, या सुविधा को लागू करना, तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं को संलग्न करें जिसमें लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स (एलएसपी) शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, रिकवरी एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए), क्रेडिट ब्यूरो, सेवा प्रदाता, और अन्य मध्यस्थ भी इसमें शामिल हैं ("थर्ड पार्टी एजेंट")।
उधारकर्ता आगे इस बात के लिए भी सहमति देता है कि ऋण प्रसंस्करण, सेवा प्रदान करने, वसूली, क्रेडिट रिपोर्टिंग अथवा लागू कानून के अंतर्गत अन्य आवश्यक उद्देश्यों हेतु, आवश्यकता के आधार पर, उसकी जानकारी, जिसमें व्यक्तिगत डेटा भी शामिल है, ऐसे तृतीय पक्ष एजेंटों के साथ साझा की जा सकती है, बशर्ते कि उपयुक्त गोपनीयता एवं डेटा संरक्षण उपायों का पालन किया जाए।
ऋणदाता यह सुनिश्चित करेगा कि तृतीय पक्ष एजेंटों द्वारा की जाने वाली किसी भी वसूली या संग्रहण गतिविधि को लागू नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं बिना किसी दबावपूर्ण तरीके के संचालित किया जाए।
- (vii) मैं /हम "पीईपी-राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति" नहीं हूँ/हैं और न ही किसी भी रूप में ऐसे किसी पक्ष से संबंधित हूँ/हैं, जो वर्तमान में प्रभावी निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग में एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है या पंजीकृत माना जाता है।
- (viii) उधारकर्ता इसके द्वारा घोषणा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उक्त सुविधा अनुसूची - 1 में उल्लिखित उद्देश्य के लिए है और इस सुविधा का उपयोग किसी भी अवैध और/या सट्टा उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा जैसा कि अनुसूची V ई में अधिक विस्तार से दिया गया है। उधारकर्ता आगे कहता है कि ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुविधा की अवधि के दौरान उद्देश्य को किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा।
- (ix) इस समझौते के तहत इंश्योरेंस प्रॉडक्ट की खरीद पूरी तरह से स्वैच्छिक है और ऋणदाता से किसी भी सुविधा का लाभ उठाने से जुड़ी नहीं है। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि:
a) उधारकर्ता को विस्तार से बताए गए लाभों और लागतों सहित उत्पाद के विवरण को स्पष्ट रूप से समझाया गया था।
b) इंश्योरेंस प्रॉडक्ट की इस तरह की बिक्री में कोई गलत बिक्री, जबरदस्ती या अनुचित व्यापार अभ्यास नहीं हुआ हो।
c) चयनित इंश्योरेंस प्रॉडक्ट उधारकर्ता के विश्लेषण और उसकी विशेषताओं/उपयुक्तता के साथ-साथ उसकी आवश्यकता के मूल्यांकन पर आधारित है।
- (x) यह सहमति दी जाती है कि उधारकर्ता ने किसी भी अनुचित प्रभाव, दबाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी के बिना, स्वेच्छा से ऋणदाता की वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रदर्शित सभी लागू ऋण/सुविधा प्रस्तावों तथा केएफएस में से इस सुविधा को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना है।
- (xi) यह हर समय लागू पर्यावरण और सामाजिक उपक्रम (ई एंड एस उपक्रम) का पालन करेगा, जैसा कि विशेष रूप से अनुसूची वीएफ में वर्णित है। सुविधा की अवधि के दौरान।

12.2 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस समझौते के सभी या किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन या अनुपालन में चूक, डिफॉल्ट की घटना मानी जाएगी, और तदनुसार ऋणदाता को सुविधा के अंतर्गत बकाया राशियों की वसूली हेतु उपयुक्त वसूली कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार होगा।

13. राशियों का उपयोग

किसी भी वित्तीय दस्तावेज़ के अंतर्गत भुगतान की गई या वसूली गई किसी भी राशि को,

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

यदि इनमें से किसी का त्याग नहीं किया गया है, निम्नलिखित क्रम में समायोजित किया जाएगा: पहले उधारकर्ता से देय किसी भी लागत और व्यय के लिए, उसके बाद किसी भी दंडात्मक शुल्क के लिए, फिर ब्याज के लिए, और अंत में सुविधा के मूलधन राशि के लिए।

14. डिफॉल्ट की घटना के परिणाम

डिफॉल्ट की घटना होने पर, ऋणदाता, लागू कानून के तहत उसके लिए उपलब्ध सभी अधिकारों के अलावा, उधारकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित में से एक या अधिक उपायों को लागू कर सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा को लागू करना;
- सुविधा के पुनर्भुगतान में तेजी लाना;
- निर्दिष्ट खाते से सभी निकासी को फ्रीज़ करना और रोकना;
- उधारकर्ता से बाउंस शुल्क, दंड शुल्क और किसी भी अन्य शुल्क की वसूली करना;
- लोन रद्द करें और लोन के तहत बकाया सभी राशि (मूलधन, ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित) की घोषणा (लिखित रूप में) करें;
- लेनदारों की प्रक्रिया के लिए मुकदमा; और

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऋणदाता को उधारकर्ता/गारंटर(ओं) के विरुद्ध आपराधिक और/या सिविल कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार होगा, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत पीआई के अनादर तथा (यथाप्रयोज्य) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25(1) के अंतर्गत कार्यवाही शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसमें निहित कोई भी बात ऋणदाताओं को उपलब्ध किसी अन्य सुरक्षा, वर्तमान या भविष्य की, अथवा उधारकर्ता, उसके साझेदारों, गारंटरों या उन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध, जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाताओं को देय धनराशि की वसूली में भुगतान करने या योगदान देने के लिए उत्तरदायी हैं, किसी भी अधिकार या उपचार को प्रभावित या सीमित नहीं करेगी।

15. सहायता और हस्तांतरण

15.1 ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेकानुसार, बिना उधारकर्ता की पूर्व सहमति के, इस समझौते या इसके अंतर्गत किसी अन्य दस्तावेज़ के तहत ऋण एवं सुविधा के बकाया पूर्ण या आंशिक हिस्से, या किसी अन्य अधिकार को किसी भी व्यक्ति को विक्रय या हस्तांतरित कर सकता है (जिसमें असाइनमेंट, नोवेशन, सिक्वोरिटाइजेशन या अन्य किसी माध्यम से हस्तांतरण शामिल है), तथा इसके लिए वह ऐसे तरीके, नियम एवं शर्तें निर्धारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

15.2 उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है कि उपर्युक्त विक्रय या हस्तांतरण/नोवेशन की स्थिति में, वह उस व्यक्ति को, जिसे यह सुविधा असाइन या हस्तांतरित की गई है, अपने नए ऋणदाता के रूप में स्वीकार करेगा तथा ऋणदाता द्वारा निर्देशित अनुसार उस व्यक्ति को सुविधा की पुनर्भुगतान राशि का भुगतान करेगा।

15.3 उधारकर्ता इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को हस्तांतरित या असाइन नहीं करेगा।

16. माफ़ी (छूट)

16.1 ऋणदाता समय-समय पर या किसी भी समय, अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के अधीन, इस समझौते में निहित किसी भी अनुबंध या प्रावधान के संबंध में उधारकर्ता द्वारा की गई किसी भी चूक/उल्लंघन को माफ

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

कर सकता है, और ऐसा करने से ऋणदाता के उन अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो किसी भी भविष्य में होने वाले उल्लंघन के संबंध में उसे प्राप्त हैं।

16.2 इस समझौते तथा इसके अंतर्गत किसी अन्य दस्तावेज़ के तहत ऋणदाता के रूप में अपने किसी भी अधिकार, शक्ति या उपचार के प्रयोग में ऋणदाता द्वारा किया गया कोई विलंब या चूक, उसके ऐसे अधिकार, शक्ति या उपचार को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, और न ही इसे किसी उल्लंघन या डिफॉल्ट की छूट या उसकी स्वीकृति माना जाएगा, और न ही भविष्य में होने वाले किसी समान उल्लंघन या डिफॉल्ट के लिए सहमति समझी जाएगी। साथ ही, किसी एक विशेष उल्लंघन या डिफॉल्ट के संबंध में दी गई कोई छूट किसी अन्य पूर्व या पश्चात में होने वाले उल्लंघन या डिफॉल्ट पर लागू नहीं मानी जाएगी।

17. शासकीय कानून

17.1 यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उन्हीं के अनुसार व्याख्यायित किया जाएगा।

17.2 पार्टियों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, इस तरह के विवाद को इस खंड 17 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा संदर्भित और हल किया जाएगा।

17.3 मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान या कानूनी स्थान मुंबई, चेन्नई या कोलकाता होगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण में 1 (एक) मध्यस्थ शामिल होंगे जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से नियुक्त किया जाएगा।

17.4 मध्यस्थता कार्यवाही में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

17.5 इस समझौते के तहत/उसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद ऋणदाता के विवेक के अनुसार मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या ऐसे अन्य स्थानों पर अदालतों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। इसमें निहित किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, ऋणदाता को यह विकल्प होगा कि वह उस क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में, जहाँ से विषय-वस्तु उत्पन्न होती है, या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर सके।

18. विविध

18.1 पूर्ण समझौता: यह समझौता तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज़ पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते का प्रतिनिधित्व करते हैं और पक्षकारों के बीच हुई सभी पूर्व चर्चाओं को अधिमान्य करते हैं।

18.2 प्राथमिकता: इस समझौते के भाग ए और भाग बी के प्रावधानों को एक साथ और सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाएगा, बशर्ते कि यदि भाग ए और भाग बी के प्रावधानों के बीच कोई असंगति, विरोधाभास या टकराव हो, तो भाग बी में निहित प्रावधान प्रभावी और मान्य होंगे।

18.3 अवैधता: यदि किसी भी समय किसी भी वित्तीय दस्तावेज़ का कोई प्रावधान किसी भी क्षेत्राधिकार के कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार से अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता-योग्यता या प्रवर्तनीयता पर तथा किसी अन्य क्षेत्राधिकार के कानून के अंतर्गत ऐसे प्रावधानों की वैधता, वैधता-योग्यता या प्रवर्तनीयता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव या हानि नहीं पड़ेगी।

18.4 संशोधन: किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज़ के किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि वित्तपोषण दस्तावेज़ों में और अन्यथा पार्टियों के बीच समझौते द्वारा प्रदान किया गया हो।

18.5 नोटिस और संचार:

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- (a) ऋणदाता द्वारा दिए गए किसी भी नोटिस, अनुमोदन, निर्देश, मांग एवं अन्य संचार को विधिवत रूप से दिया और तामील माना जाएगा यदि उसे कुरियर, साधारण डाक, पंजीकृत डाक, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वेबसाइट स्वीकृति, ऑनलाइन स्वीकृति, व्यक्तिगत वितरण या शॉर्ट मैसेज सर्विस के माध्यम से उधारकर्ता के उस पते, फैक्स नंबर, फोन/मोबाइल नंबर या ई-मेल पर भेजा गया हो, जो स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट है (जिसे समय-समय पर उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को सूचना देकर अद्यतन या परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते उस पर ऋणदाता की स्वीकृति प्राप्त हो, जैसा कि आगे उल्लेखित है)। उधारकर्ता यह वचन देता है कि वह ऋण आवेदन पत्र में दिए गए अपने डाक पते, ई-मेल पते, फैक्स नंबर, फोन एवं मोबाइल नंबर(नों) में किसी भी परिवर्तन की जानकारी सदैव ऋणदाता को देता रहेगा तथा ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना देने पर ऋणदाता की लिखित स्वीकृति प्राप्त करेगा।
- (b) फैक्स, ई-मेल, मोबाइल एप्लिकेशन, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भेजे गए सभी नोटिस और संचार, डिलीवरी की प्राप्ति की पुष्टि होने पर विधिवत रूप से प्राप्त और प्रभावी माने जाएंगे; यदि व्यक्तिगत रूप से वितरित किए गए हों, तो वितरण के समय; यदि कुरियर द्वारा भेजे गए हों, तो ओवरनाइट कुरियर में जमा करने के 2 कार्य दिवस बाद; तथा यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजे गए हों, तो वह पंजीकृत पत्र सामान्य डाक प्रक्रिया में जिस समय तक पहुँचना चाहिए था, उस समय प्राप्त माना जाएगा, चाहे वास्तव में वह प्राप्त हुआ हो या नहीं।
- (c) ऋणदाता के अन्य सभी अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, डिफॉल्ट की घटना होने पर, ऋणदाता, उसके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट तथा ऋणदाता द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष, उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए संपर्क विवरणों का उपयोग करते हुए उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत होंगे (जिसमें उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) या प्रतिनिधि(यों), गारंटर/सह-उधारकर्ता(ओं) (यदि कोई हो) तथा तृतीय पक्ष, जिसमें उधारकर्ता के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी जानकारी उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को प्रदान की गई है)।
- (d) उधारकर्ता एतद्वारा पुष्टि करता है, स्वीकार करता है और सहमत होता है कि इस समझौते, वित्तीय दस्तावेजों तथा ऋण आवेदन पत्र की इंटरनेट/वर्ल्ड वाइड वेब/वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वीकृति, पक्षकारों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का निर्माण करती है। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि इस समझौते, नियमों एवं शर्तों, निर्देशों, स्वीकृतियों तथा संचार ("संचार") का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ई-मेल, फैक्स, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति आदि ("इलेक्ट्रॉनिक माध्यम") के जरिए प्रसारण विभिन्न जोखिमों से युक्त होता है, जिनमें धोखाधड़ीपूर्ण परिवर्तन, गलत प्रसारण तथा गोपनीयता का अभाव शामिल हैं। हालाँकि, उधारकर्ता उपरोक्त सभी या किसी भी रूप में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल हैं, संचार प्राप्त करने तथा इस समझौते के अंतर्गत विभिन्न मामलों, जिसमें सुविधा तथा उसके संचालन से संबंधित विषय भी शामिल हैं, के संबंध में उपरोक्त रूपों में संचार प्रदान करने की इच्छा रखता है।
- (e) उधारकर्ता एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से ऋणदाता को यह पुष्टि करता है और वचन देता है कि: (i) ऋणदाता किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या अन्य किसी तरीके से प्रदान किए गए संचार पर (ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना) भरोसा करने तथा उन्हें अपनी आवश्यकताओं हेतु वास्तविक मानने का अधिकार रखेगा। अगर यह सवाल उठता है कि कौन-सा संचार प्रदान किया गया था या प्राप्त हुआ था, तो ऋणदाता के अभिलेख को अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा; (ii) ऋणदाता को प्राप्त किसी भी संचार के संबंध में किसी भी प्रकार का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा; (iii) उधारकर्ता यह पुष्टि करता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रेषित किसी भी संचार के संपूर्ण या आंशिक भाग के अनुसार कार्य करने के लिए ऋणदाता बाध्य नहीं होगा, और ऐसा करना पूरी तरह उधारकर्ता के अपने जोखिम पर होगा; (iv) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त संचार के आधार पर ऋणदाता द्वारा किसी भी कार्य, कार्य करने से इनकार, चूक या कार्य में देरी के परिणामों के लिए ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा; (v) ऋणदाता को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त संचार के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले उसके लिखित रूप में प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी, तथा ऐसे संचार का लिखित रूप में प्राप्त न होना या असंगति किसी भी प्रकार से इस समझौते या अन्यथा के अंतर्गत ऋणदाता के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी; (vi) उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता केवल इस धारा में तथा इस समझौते में निहित उपक्रमों और क्षतिपूर्तियों के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किसी भी संचार पर कार्य करने के लिए सहमत है।

18.6 स्थानांतरण: उधारकर्ता, ऋणदाता से अपने खाते को स्थानांतरित करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है। इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर, ऋणदाता अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर अपनी सहमति या

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अस्वीकृति प्रदान करेगा। यदि ऋणदाता द्वारा सहमति दी गई है, तो ऐसा ट्रांसफर लागू कानून के अधीन होगा, सहमति दिए जाने के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

18.7 डेटा संरक्षण: उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता, लागू कानून के अधीन रहते हुए, यदि उसने लागू कानून के अनुसार डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं, तो सुविधा या उधारकर्ता से संबंधित डेटा, जानकारी या विवरण के किसी भी दुरुपयोग के लिए उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा, और यदि किसी भी प्रकार का डेटा लीक, उल्लंघन या दुरुपयोग ऐसे किसी भी कारण या परिस्थिति के कारण होता है जो ऋणदाता के नियंत्रण से बाहर है, जिसमें मैलवेयर, वायरस, सुरक्षा उल्लंघन, अनधिकृत पहुँच आदि शामिल हैं, और यह सब ऋणदाता द्वारा लागू कानून के अंतर्गत पर्याप्त डेटा संरक्षण उपाय अपनाए जाने के बावजूद होता है, तो इसके लिए ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा।

18.8 प्रतिलिपियाँ: यह समझौता किसी भी संख्या में प्रतिलिपियों में निष्पादित किया जा सकता है, और प्रत्येक प्रतिलिपि का वही प्रभाव होगा जैसे कि सभी हस्ताक्षर एक ही प्रति पर किए गए हों।

18.9 उधारकर्ता के अधिकार:

उधारकर्ता, सुविधा या ऋणदाता के संबंध में किसी भी शिकायत या प्रश्नों के मामले में, शिकायत निवारण तंत्र के तहत निर्दिष्ट तरीके से ऋणदाता के शिकायत निवारण अधिकारी के पास अपनी शिकायतें उठा सकता है, जिनका विवरण निम्नलिखित लिंक के तहत ऋणदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

निष्पक्ष अभ्यास संहिता <https://flexiloans.com/regulatory>)

शिकायत निवारण तंत्र: ऋणदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक <https://flexiloans.com/grievance-redressal-mechanism> के माध्यम से।

18.10 रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति:

ऋणदाता, उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि की शांतिपूर्ण एवं विधिसम्मत वसूली करेगा तथा इस कार्य को ऋणदाता की ओर से किसी एजेंट को आउटसोर्स कर सकता है। ऐसे वसूली एजेंटों की अद्यतन सूची निम्न लिंक पर आसानी से उपलब्ध है: <https://flexiloans.com/regulatory>

19. आधार सहमति

उधारकर्ता निम्नलिखित को स्वीकार करता है और घोषित करता है:

(a) मैं/हम एतद्वारा स्वेच्छा से, अपने/हमारे विवेकानुसार, यूआईडीएआई द्वारा जारी भौतिक आधार कार्ड/भौतिक ई-आधार/ई-आधार/मास्कड आधार/ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक आधार एक्सएमएल (आधार) की प्रति ऋणदाता को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत करते हैं: (A) यूआईडीएआई की आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से मेरी/हमारी पहचान का प्रमाणीकरण करने तथा यूआईडीएआई से जनसांख्यिकीय विवरण (फोटोग्राफ सहित) प्राप्त करने हेतु मेरे/हमारे आधार विवरण का उपयोग करना; (B) आधार से संबंधित मामलों के बारे में ऋणदाता द्वारा एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करना; तथा (C) लागू कानून(नों) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार मेरे/हमारे आधार विवरण को यूआईडीएआई, संबंधित नियामक और/या वैधानिक प्राधिकरणों के साथ साझा करना।

(b) मैं/हम इस बात से अवगत हूँ/हैं कि आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। मैं/हम स्वेच्छा से उक्त उद्देश्य के लिए ऋणदाता से सुविधा और प्रसंस्करण निर्देशों का लाभ उठाने के संबंध में अपनी सहमति देते हैं और इसके द्वारा यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित इस तरह के स्वीकार्य तरीके से या इसके लिए किसी भी लागू कानून के संदर्भ में अपनी आधार की वास्तविकता स्थापित करने के लिए ऋणदाता को अपनी सहमति देते हैं।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- (c) मैं/हम एतद्वारा ऋणदाता (तथा उसके सेवा प्रदाताओं) को निम्नलिखित सूचित उद्देश्यों के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं और अधिकृत करते हैं: (i) पीएमएल अधिनियम, 2002 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी एवं आवधिक केवाईसी प्रक्रिया हेतु, अथवा मेरी/हमारी पहचान स्थापित करने, मेरी/हमारी पहचान का सत्यापन करने, ऑफलाइन सत्यापन या ई-केवाईसी या यस/नो प्रमाणीकरण, जनसांख्यिकीय या अन्य प्रमाणीकरण/सत्यापन/पहचान करने हेतु, जैसा कि लागू कानून के अंतर्गत अनुमति हो, बैंक/एचएसएल के सभी खातों, सुविधाओं, सेवाओं एवं वर्तमान तथा भविष्य के संबंधों के लिए; (ii) उपरोक्त सूचित उद्देश्यों के लिए सूचना को एकत्रित करने, साझा करने, संग्रहीत करने, सुरक्षित रखने, अभिलेख बनाए रखने तथा उसका उपयोग करने हेतु, साथ ही नियामक एवं कानूनी रिपोर्टिंग व फाइलिंग के लिए तथा/या लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक होने पर; (iii) सहमति, सूचना अथवा प्रमाणीकरण/पहचान/सत्यापन आदि के रिकॉर्ड एवं लॉग्स को साक्ष्य के उद्देश्य से प्रस्तुत करने हेतु, जिसमें न्यायालय, किसी प्राधिकरण या मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत करना शामिल है।
- (d) ऋणदाता ने मुझे सूचित किया है कि मेरे द्वारा यहां प्रस्तुत किया गया आधार, उपर्युक्त उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त या कानून की आवश्यकताओं के अनुसार ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- (e) मैं/हम एतद्वारा समझते हैं कि मेरे/हमारे आधार विवरण के अद्यतन के अनुरोध पर निम्नलिखित स्थितियों में प्रक्रिया नहीं की जाएगी: (A) मेरे/हमारे द्वारा प्रदान किए गए आधार विवरण गलत होने पर; (B) यूआईडीएआई के साथ प्रमाणीकरण के दौरान मेरे/हमारे विवरण का यूआईडीएआई रिकॉर्ड से मेल न खाने के कारण प्रमाणीकरण विफल होने पर; (C) यूआईडीएआई के साथ आधार विवरण के प्रमाणीकरण के दौरान किसी तकनीकी खराबी/विफलता के होने पर।
- (f) आधार एकत्र करने की सहमति और उद्देश्य मुझे अंग्रेजी/हिंदी भाषा में समझाया गया है।
- (g) मैं/हम समझते हैं कि आधार संख्या एवं कोर बायोमेट्रिक्स को कानून के अनुसार तथा सीआईडीआर में प्रस्तुत करने के उद्देश्य को छोड़कर न तो संग्रहीत किया जाएगा और न ही साझा किया जाएगा।

जहां उधारकर्ता और गारंटीकर्ता का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एक ही व्यक्ति है, ऐसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक ही हस्ताक्षर उधारकर्ता और गारंटीकर्ता दोनों की ओर से इस समझौते के निष्पादन के लिए पर्याप्त होगा।

उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

सह-उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और
डिलीवर किया गया है

नीचे उल्लिखित नामित पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित
और डिलीवर किया गया है

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

भाग बी
अनुसूची I
सेक्शन लेटर

ऋणदाता का नाम	एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड																		
उधारकर्ता का नाम	<p><बिज़नेस का नाम>, एक एकमात्र प्रोपराइटरशिप जिसका प्रतिनिधित्व <प्रोपराइटर का नाम> द्वारा किया जाता है, जिसमें स्थायी खाता संख्या <पैन> के साथ <ऑफिस का पता> पर होता है।</p> <p><बिज़नेस का नाम>, एक पार्टनरशिप फर्म जिसका परमानेंट अकाउंट नंबर <एफआईआरएम पैन> है, जिसका ऑफिस <बिज़नेस एड्रेस> पर है <कंपनी नाम>, स्थायी खाता संख्या वाली कंपनी <कंपनी पैन>, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित, 1956/2013 जिसका पंजीकृत कार्यालय <बिज़नेस एड्रेस> पर स्थित है।</p> <p><कंपनी नाम>, एक सीमित देयता साझेदारी, स्थायी खाता संख्या के साथ <कंपनी पैन>, भारत के कानूनों के तहत निगमित, जिसका व्यवसाय का प्रमुख स्थान <बिज़नेस एड्रेस> पर स्थित है।</p>																		
उधारकर्ता का प्रकार	<p>a) व्यक्तिगत b) सोल प्रोपराइटर c) पार्टनरशिप फर्म d) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) e) कंपनी f) हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) g) एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स/कोऑपरेटिव सोसाइटी</p> <p>(कृपया लागू होने के अनुसार बनाए रखें)</p>																		
सह-उधारकर्ता का नाम (यदि लागू हो)	<उधारकर्ता का नाम> स्थायी खाता संख्या <सह उधारकर्ता पैन> वाला व्यक्ति जिसका आवासीय पता <आवासीय पता> है																		
गारंटी देने वाले का नाम (यदि लागू हो)	<table border="1"><thead><tr><th>विवरण</th><th>गारंटर का नाम</th><th>गारंटी देने वाले का पता</th></tr></thead><tbody><tr><td>गारंटर 1</td><td>[•]</td><td>[•]</td></tr><tr><td>गारंटर 2</td><td>[•]</td><td>[•]</td></tr><tr><td>गारंटर 3</td><td>[•]</td><td>[•]</td></tr><tr><td>गारंटर 4</td><td>[•]</td><td>[•]</td></tr><tr><td>गारंटर 5</td><td>[•]</td><td>[•]</td></tr></tbody></table>	विवरण	गारंटर का नाम	गारंटी देने वाले का पता	गारंटर 1	[•]	[•]	गारंटर 2	[•]	[•]	गारंटर 3	[•]	[•]	गारंटर 4	[•]	[•]	गारंटर 5	[•]	[•]
विवरण	गारंटर का नाम	गारंटी देने वाले का पता																	
गारंटर 1	[•]	[•]																	
गारंटर 2	[•]	[•]																	
गारंटर 3	[•]	[•]																	
गारंटर 4	[•]	[•]																	
गारंटर 5	[•]	[•]																	
जीएसटी संख्या (यदि लागू हो)																			
सुविधा की प्रकृति	टर्म लोन																		
फ्रेश/रिन्यूअल/टॉप अप	[•]																		
सुविधा राशि	रुपये [•]/- (केवल भारतीय रुपये [•])																		
उद्देश्य	दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए																		
लोन अवधि (महीनों में)	[•]																		

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

टॉप अप के लिए सेट ऑफ की जाने वाली कुल आउटस्टैंडिंग/राशि	:	रुपये [●]/- (कुल बकाया राशि) *
संवितरण राशि	:	रुपये < _ _ _ > - वितरित की जाने वाली राशि (शुल्क और कुल बकाया राशि में कटौती के बाद)।* * ऊपर बताई गई संवितरण राशि लागू टैक्स और लागू शुल्कों में कटौती के बाद निर्धारित की गई है (नीचे दिए गए चार्ज शेड्यूल को देखें)। * * इस टॉप-अप सुविधा के उद्देश्य के लिए उधारकर्ता लोन आईडी _____ वाले मूल लोन के निपटान और समापन को स्वीकार करता है और अधिकृत करता है ("मूल सुविधा"), जिसके अनुसार ऋणदाता सुविधा राशि से कुल बकाया राशि का निपटान करेगा, और कुल वितरित राशि उपरोक्त निपटान पर निर्भर करेगी।
ब्याज दर प्रति वर्ष (% प्रति वर्ष)	:	[●]100% प्रति वर्ष
प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (% प्रति वर्ष) (घटते शेष आधार पर)*	:	[●]%
वार्षिक प्रतिशत दर ("एपीआर") **	:	[●]%
पुनर्भुगतान की आवृत्ति	:	मासिक
पुनः भुगतान विवरण	:	[●] रुपये की ईएमआई/किश्तों द्वारा पुनर्भुगतान [●]/- एनएसीएच डेबिट निर्देश/भुगतान का कोई अन्य तरीका।
सुरक्षा विवरण (यदि लागू हो)	:	रुपये के लिए ईएनएसीएच या फिजिकल एनएसीएच [●]/-। भौतिक एनएसीएच के मामले में, उधारकर्ता को रुपये की सुविधा राशि के बराबर मूल्य से अधिक मूल्य का एक पूर्ण मूल्य चेक जमा करना होगा [●]/- के साथ-साथ 5 पोस्ट-डेटेड चेक भी शामिल हैं। ऋणदाता आवश्यक समझने पर पोस्ट-डेटेड चेक की आवश्यकता को माफ कर सकते हैं या आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त संख्या में पोस्ट-डेटेड चेक की मांग कर सकते हैं। यदि ऋणदाता द्वारा अपेक्षित हो, तो उधारकर्ता ऋणदाता को उसकी स्वीकृत रूपरेखा एवं तरीके में डिमांड प्रॉमिसरी नोट तथा लेटर ऑफ कंटिन्यूटी निष्पादित कर प्रदान करेगा, और उधारकर्ता द्वारा किसी भी डिफॉल्ट की घटना होने की स्थिति में, ऋणदाता अपने विवेकानुसार उन्हें प्रवर्तित करने का अधिकार रखेगा। उधारकर्ता समय-समय पर (जैसा कि ऋणदाताओं द्वारा अनुरोध किया जा सकता है) ऐसे दस्तावेजों (ऋणदाताओं को स्वीकार्य प्रारूप में) को तुरंत निष्पादित करेगा और ऋणदाताओं को वितरित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मांग वचन पत्र वैध और तब तक जीवित रहे, जब तक कि इसके तहत लागू होने पर उधारकर्ता के सभी दायित्वों का पूर्ण और अंतिम निर्वहन न हो जाए।
सांकेतिक अंतिम पुनर्भुगतान तिथि ***	:	जिस तारीख को उधारकर्ता से ऋणदाता को देय सभी राशियों का भुगतान/पुनर्भुगतान किया जाएगा, वह इस प्रकार है:

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

		ए. यदि संवितरण [●] को या उससे पहले किया जाता है: पर [●]; बी. यदि संवितरण पर या उसके बाद किया जाता है: [●] पर [●]।		
ईएमआई/किस्त राशि	:	रुपये [●]/-	ईएमआई/किस्तों की संख्या	[●]
संकेतात्मक प्रथम ईएमआई / किस्त प्रारंभ तिथि	:	a. यदि सुविधा ऋणदाता द्वारा [●] को या उससे पहले वितरित की जाती है, तो पहली ईएमआई [●] पर देय होगी; b. यदि सुविधा ऋणदाता द्वारा [●] पर या उसके बाद वितरित की जाती है, तो पहली ईएमआई [●] पर देय होगी।		
कूलिंग ऑफ/लुक-अप पीरियड ****	:	3 दिन		
अग्रिम प्रसंस्करण शुल्क जिसमें शामिल हैं लागू टैक्स	:	रुपये [●]/-	वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क ¹ शामिल हैं लागू टैक्स	रुपये [●]/-
लागू करों सहित कुल प्रोसेसिंग शुल्क	:	रुपये [●]/-	बाउंस शुल्क (रु. / प्रति बाउंस घटना)	900/- रुपये तक
स्टाम्प ड्यूटी शुल्क	:	रुपये [●]/-	लागू करों सहित दस्तावेज़ीकरण शुल्क	रुपये [●]/-
एनएसीएच/इंस्ट्रुमेंट्स एक्टिवेशन फीस (लागू टैक्स सहित)	:	रुपये 590/-	प्राथमिकता क्रेडिट प्रोग्राम शुल्क ² (साथ ही लागू कर)	रुपये [●]/-
बैंक अकाउंट स्वेप शुल्क (प्रति घटना) (प्लस लागू टैक्स)	:	रुपये 1000 तक -	मैडेट मेंटेनेंस चार्ज (प्लस लागू टैक्स)	रुपये 1000 तक-पुनः सक्रिय होने तक प्रति माह।
प्री-ईएमआई ब्याज		रुपये [●]/- प्री-ईएमआई ब्याज का मतलब होगा और इसमें संवितरण की तारीख से लेकर ईएमआई भुगतान चक्र शुरू होने की तारीख तक की गणना की गई ब्याज शामिल होगी, जैसा कि विशेष रूप से नीचे दिए गए चित्र में दिया गया है। प्री-ईएमआई ब्याज का भुगतान सिर्फ पहली ईएमआई किस्त के साथ किया जाएगा।		
इंश्योरेंस प्रीमियम (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी, इसके बाद इंश्योरर) जिसमें लागू टैक्स **** शामिल हैं	:	रुपये [●]/-	लागू टैक्स सहित हेल्थ एंड वेलनेस पैकेज	रुपये [●]/-
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम		रुपये 0/-	लाइफ इंश्योरेंस नॉमिनी का नाम	-
लाइफ इंश्योरेंस नॉमिनी का जन्मतिथि		-	इंश्योरर के साथ संबंध	-

¹ वार्षिक प्रोसेसिंग शुल्क, उधारकर्ता द्वारा चुनी गई सुविधा की अवधि तक वार्षिक आधार पर लगाया जाएगा।

² प्राथमिकता क्रेडिट प्रोग्राम शुल्क

सीजीटीएमएसई जैसी सरकारी योजना द्वारा समर्थित लेन-देन में लगाया जाएगा

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट राशि (लागू टैक्स सहित)	:	रुपये [●]/-			
मर्चेट इश्योरेंस प्रीमियम (लागू टैक्स सहित)	:	रुपये [●]/-			
देर से भुगतान संग्रह शुल्क	:	10 लाख से कम के लोन के लिए रुपये 1000 तक 10 लाख रुपये या उससे अधिक के लोन के लिए अधिकतम रुपये 1500 तक 15 लाख रुपये या उससे अधिक के लोन के लिए अधिकतम रुपये 2000/- तक, जो संग्रह/वसूली कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु नियत तिथि के 3 दिन बाद देय होगा	कानूनी (प्लस टैक्स)	शुल्क लागू	वास्तविक में
दंडात्मक आरोप	:	36% प्रति वर्ष तक दिनों के लिए बकाया ईएमआई राशि/राशियों पर अधिकतम 36% प्रति वर्ष की दर से लागू।	फोरक्लोज़र शुल्क (इसके अलावा, लागू टैक्स) (मूल बकाया राशि पर देय है जिसे देय तिथि की समाप्ति से पहले बंद करने का प्रस्ताव है।)	5%	
मध्यस्थता और अधिकार क्षेत्र का स्थान	:	ऋणदाता के विवेक के अनुसार मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या ऐसी अन्य जगह।			
इसकी सुविधा के तहत उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले दस्तावेज	:	1) व्यक्तिगत केवाईसी-आधार या कोई अन्य आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ और पैन 2) उधारकर्ता का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट 3) उधारकर्ता का व्यवसाय प्रमाण 4) हस्ताक्षरित एनएसीएच फॉर्म 5) हस्ताक्षरित चेक 6) यहां अनुसूची के तहत निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिगत गारंटी (यदि लागू हो) 7) यहां दी गई अनुसूचियों के तहत निर्धारित दस्तावेजों के साथ इस सुविधा समझौते की स्वीकृति। 8) भागीदारी प्राधिकरण पत्र, यदि लागू हो। 9) बोर्ड संकल्प (यदि लागू हो) 10) प्राधिकरण पत्र, यदि लागू हो 11) ऋणदाता की आवश्यकता अनुसार कोई अन्य आवश्यकताएँ।			
नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	:	सुश्री प्रणाली सावंत फ़ोन: 8879758863 ईमेल: nodal.grievance@epimoney.com			
नोटिस के लिए पता	:	उधारकर्ता का व्यवसाय पता [●];			

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

कर और लेवी	:	उपरोक्त उल्लिखित शुल्कों पर, लागू होने के अनुसार, सभी कर एवं वैधानिक लेवी लगाए जाएंगे, जिनमें वस्तु एवं सेवा कर सहित अन्य लागू कर शामिल हैं।
अतिरिक्त नियम और शर्तें	:	<p>किस्त शुरू होने की तारीख की गणना इस प्रकार की जाएगी (उदाहरण)</p> <p>i) अगर लोन 15 अक्टूबर को या उससे पहले संवितरण किया जाता है, तो हर महीने की 4 तारीख को ईएमआई देय तिथि के साथ, पहली किस्त 4 नवंबर को देय होगी। पहली किस्त के लिए, कोई प्री-ईएमआई ब्याज लागू नहीं होगा, इस मामले में ब्याज की गणना संवितरण की तारीख से 3 नवंबर तक की जाएगी।</p> <p>ii) अगर लोन 16 अक्टूबर को या उसके बाद संवितरण किया जाता है, तो हर महीने की 4 तारीख को ईएमआई देय तिथि के साथ, पहली किस्त 4 दिसंबर को देय होगी। इस मामले में, प्री-ईएमआई ब्याज की गणना संवितरण की तारीख से 3 नवंबर (ईएमआई भुगतान चक्र शुरू होने की तारीख) तक की जाएगी और इसका भुगतान 4 दिसंबर को देय पहली किस्त के साथ किया जाएगा।</p>
<p>* उधारकर्ता इस बात से अवगत है कि ऊपर बताई गई फ्लैट ब्याज दर केवल उदाहरण के लिए है, और यह कि मासिक ब्याज के साथ कम्पाउंड किए गए बैलेंस को कम करने के आधार पर सुविधा पर ब्याज लिया जाएगा। दर की गणना निम्नलिखित के अनुसार की जाती है: - ब्याज की दर% = (महीनों में ईएमआई x अवधि)-प्रिंसिपल x 100 प्रिंसिपल x अवधि वर्ष में।</p> <p>** वार्षिक प्रतिशत दर-प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (आईआरआर दृष्टिकोण और शेष राशि को कम करने की विधि का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर गणना की जाती है)</p> <p>***उपरोक्त में किसी भी बात के बावजूद, उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि उपर्युक्त तिथियाँ केवल संकेतात्मक प्रकृति की हैं तथा ऊपर उल्लिखित संबंधित वितरण तिथियों के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है और स्वीकार करता है कि वास्तविक पुनर्भुगतान तिथियाँ उस पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार होंगी, जिसे ऋण आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने पर ऋणदाता द्वारा अंतिम रूप देकर उधारकर्ता के साथ साझा किया जाएगा।</p> <p>**** कूलिंग-ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से सुविधा के फोरक्लोज़र पर कोई दंड शुल्क नहीं लिया जाएगा। सुविधा समझौते की स्वीकृति की तारीख से कूलिंग ऑफ अवधि शुरू होगी।</p> <p>**** उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी द्वारा प्रदान किया जा रहा है।</p>		
मूलधन एवं ब्याज का विभाजन (ऋण वितरण की तिथि से ही आपके ऋण खाते पर ब्याज संचित होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए संबंधित तालिका में उल्लिखित मूल्य केवल संकेतात्मक हैं; वास्तविक मूल्यों सहित पुनर्भुगतान अनुसूची वितरण के पश्चात साझा की जाएगी)।		रुपये [●]/-
उधारकर्ता निर्देश <ul style="list-style-type: none">• यदि उपरोक्त दस्तावेज़ रिक्त हो, तो कृपया उस पर हस्ताक्षर न करें।• अपने ऋण की प्रोसेसिंग के लिए किसी को भी नकद भुगतान न करें। यदि आपसे ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो कृपया मना करें और हमसे संपर्क करें।• ऋणदाता के किसी भी प्रतिनिधि को किसी शुल्क/प्रभार के संबंध में किए गए सभी भुगतानों के लिए कृपया वैध रसीद अवश्य प्राप्त करें।		

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- यदि आपको की गई कोई मौखिक सूचना/संचार उपरोक्त नियम एवं शर्तों के विपरीत हो, तो कृपया हमसे 022-68219595 पर संपर्क करें (सोमवार से शनिवार, प्रातः 10:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) या हमें myaccount@flexiloans.com पर लिखें myaccount@flexiloans.com

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान) निर्देश, 2025 (13 फरवरी, 2026 तक अद्यतन) संबंधी दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.No.275/21.04.048/2025-26 के अनुसार, ऋणदाताओं को उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव की पहचान करते हुए, डिफॉल्ट होते ही उन्हें विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक है। एसएमए/एनपीए वर्गीकरण के संबंध में उदाहरण: (i) यदि सुविधा के संबंध में पुनर्भुगतान तिथि 31 मार्च को पड़ती है, और उस तिथि पर देय संबंधित बकाया राशि, ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता खातों के वर्गीकरण हेतु दिन-अंत प्रक्रिया चलाने से पहले, उस पुनर्भुगतान तिथि पर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में, 31 मार्च की दिन-अंत प्रक्रिया के बाद सुविधा को एसएमए-0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। (ii) यदि सुविधा निरंतर अतिदेय बनी रहती है, तो 31 मार्च से 30वें दिन की दिन-अंत प्रक्रिया चलने पर, अर्थात् सुविधा के लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने के पूर्ण होने पर, ऋण खाते को एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल होगी। (iii) इसी तरह, यदि सुविधा एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद भी बकाया बनी रहती है, तो 31 मार्च से 60वें दिन यानी 30 मई को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर इसे एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा। (iv) अगर यह सुविधा आगे भी बकाया बनी रहती है, तो 31 मार्च से 90वें दिन यानी 29 जून को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर इसे एनपीए में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

बीमा संबंधी दस्तावेज़ (लागू होने की स्थिति - जहाँ भी विकल्प चुना गया हो)

उधारकर्ता, अपने द्वारा प्राप्त बीमा उत्पाद/बीमा पॉलिसी को नियंत्रित करने वाले नियम एवं शर्तों की पुष्टि एवं स्वीकृति करता है तथा निम्नानुसार घोषित करता है:

- **असाइनमेंट हेतु घोषणा:** मेरी मृत्यु / निदान / शल्य चिकित्सा प्रक्रिया (जैसा कि स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा जारी पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है) की स्थिति में, तथा यदि एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड ("ऋणदाता") के प्रति कोई राशि बकाया या अतिदेय हो, तो मैं एतद्वारा मुझे देय दावा राशि ऋणदाता को असाइन करता/करती हूँ तथा आगे यह घोषित करता/करती हूँ कि यह रसीद स्वास्थ्य बीमाकर्ता के लिए पूर्ण एवं पर्याप्त निर्वहन मानी जाएगी। हेल्थ इश्योरर की इस पॉलिसी को इसके बाद हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी के रूप में संदर्भित किया जाता है
- **नियम व शर्तें:**
 1. इश्योरेंस पॉलिसी के आवेदन की पूर्व शर्त के तौर पर, उधारकर्ता मंजूरी नोट के साथ इश्योरेंस डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने के लिए सहमत होता है और स्वीकार करता है।
 2. हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी शुरू होने की तारीख से, हेल्थ इश्योरर द्वारा इश्योर्ड व्यक्ति को देय राशि ("इश्योर्ड" शब्द "उधारकर्ता" को संदर्भित करता है जैसा कि सुविधा समझौते के तहत परिभाषित किया गया है) और सभी अधिकार, शीर्षक, इस हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी के तहत इश्योर्ड व्यक्ति के लाभ और ब्याज ऋणदाता के पक्ष में दिए गए हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है।
 3. इस हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी के तहत कोई भी राशि देय होने पर, उसका भुगतान हेल्थ इश्योरर द्वारा ऋणदाता को किया जाएगा, लेकिन यह प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग से अधिक नहीं होगा। इस हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी के तहत देय किसी भी राशि के प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग से अधिक होने की स्थिति में, कंपनी इश्योर्ड व्यक्ति को प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग से अधिक राशि का भुगतान करेगी।
 4. ऋणदाता द्वारा ऐसी राशि की प्राप्ति, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमाकर्ता की समस्त देयताओं से उसे पूर्णतः मुक्त कर देगी तथा यह बीमित व्यक्ति और उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों,

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

उत्तराधिकारियों अथवा विधिक प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होगी।

● इश्योर्ड आगे घोषणा करता है कि:

1. उपरोक्त सभी स्टेटमेंट, जवाब और/या मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण (इश्योर्स डिक्लेरेशन फॉर्म के तहत सहित) मेरी जानकारी के अनुसार सभी मामलों में सही और पूर्ण हैं।
2. मेरे द्वारा दी गई कोई भी/सभी जानकारी हेल्थ इश्योर्स पॉलिसी का आधार बनेगी और यह हेल्थ इश्योरर की बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन है और प्रीमियम का पूरा भुगतान करने के बाद ही हेल्थ इश्योर्स पॉलिसी लागू होगी।
3. मैं हेल्थ इश्योरर के साथ इश्योर्स डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने के बाद लेकिन हेल्थ इश्योरर द्वारा जोखिम स्वीकृति के संचार से पहले मेरे व्यवसाय या सामान्य स्वास्थ्य या जीवन के संबंध में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में लिखित रूप में सूचित करूंगा।
4. स्वास्थ्य बीमाकर्ता को यह अधिकार एवं अनुमति होगी कि वह किसी भी ऐसे डॉक्टर या अस्पताल से, जिसने किसी भी समय मेरा/मेरे नामित व्यक्तियों का उपचार किया हो, अथवा किसी पूर्व या वर्तमान नियोक्ता से, मेरी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित करने वाले किसी भी विषय के संबंध में चिकित्सा जानकारी प्राप्त कर सके, और/या किसी अन्य बीमा कंपनी से, जिसके समक्ष मैंने/हमने बीमा हेतु आवेदन किया हो, मेरी/हमारी बीमा प्रस्ताव प्रक्रिया और/या दावा निपटान के उद्देश्य से जानकारी प्राप्त कर सके।
5. मुझे हेल्थ इश्योर्स पॉलिसी की विस्तृत शर्तें प्रदान की गई हैं। मैंने हेल्थ इश्योर्स पॉलिसी की विस्तृत शर्तों को पढ़ लिया है, समझा है और मुझे इसकी जानकारी है।
6. मैंने हेल्थ इश्योर्स पॉलिसी के नियम और शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और इसका पालन करने की पुष्टि करता हूं। मैं इससे सहमत हूं कि हेल्थ इश्योर्स पॉलिसी के तहत इश्योर्स कवरेज/जोखिम पूरे प्रीमियम की वसूली के अधीन शुरू हो जाएंगे। मैं इसे स्वीकार करता हूं हेल्थ इश्योरर को इश्योर्स डिक्लेरेशन फॉर्म के मेरे आवेदन/सबमिशन को हेल्थ इश्योरर द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा। हेल्थ इश्योरर अपने विवेक से किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. मैं हेल्थ इश्योरर को अपने प्रस्ताव से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत करता हूं, जिसमें प्रस्ताव और/या क्लेम सेटलमेंट को अंडरराइट करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए और किसी भी सरकारी और/या नियामक प्राधिकरण के साथ मेरे मेडिकल रिकॉर्ड शामिल हैं।
8. मैं घोषणा करता हूं कि इस हेल्थ इश्योर्स पॉलिसी की सामग्री और यहां दिए गए नियमों और शर्तों के बारे में मुझे पूरी तरह से समझाया गया है और मैं प्रस्तावित कॉन्ट्रैक्ट के महत्व को पूरी तरह से समझ गया हूं।
9. मैं समझता हूं कि इश्योर्स कवरेज सुविधा के वितरण की तारीख से पहले या हेल्थ इश्योरर द्वारा पूरा प्रीमियम प्राप्त होने के बाद शुरू नहीं होगा, जो भी बाद में हेल्थ इश्योरर द्वारा अंडरराइटिंग अनुमोदन के अधीन होगा।
10. मैं इसके द्वारा पुष्टि करता हूं कि हेल्थ इश्योर्स पॉलिसी में मेरा इश्योरेबल हिट है और प्रीमियम किसी तीसरे पक्ष की संस्था या व्यक्ति द्वारा वहन नहीं किया जाता है।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

11. मैं/हम इंश्योरर (आईआरडीए पंजी. नंबर 115) द्वारा अंडरराइट की गई इनकम प्रोटेक्ट पॉलिसी और ग्रुप प्रोटेक्ट इंश्योरेंस के तहत मुझे/हमें नामांकित करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।
12. मैं/हम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर लागू सभी नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं तथा आगे, लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमत सीमा तक, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत मेरे/हमारे नामांकन के उद्देश्य से स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा आवश्यक मेरे/हमारे व्यक्तिगत विवरण साझा करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।
13. यदि ऊपर दी गई घोषणा किसी भी समय दिखाई जाती है या गलत पाई जाती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर समाप्त हो जाएगा और हेल्थ इंश्योरर या ऋणदाता किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
14. यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है, अथवा किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़/व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और/या संबंधित दस्तावेज़ों में किसी प्रकार की गलत प्रस्तुति, अपूर्ण विवरण या जानकारी का खुलासा न किया जाना पाया जाता है, या मेरे/हमारे द्वारा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी स्वास्थ्य बीमाकर्ता के विकल्प पर निरस्त करने योग्य होगी।
15. हेल्थ इंश्योरर की देनदारी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि ग्राहक द्वारा बनाई गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रस्ताव को हेल्थ इंश्योरर द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है और सुविधा के वितरण के बाद हेल्थ इंश्योरर द्वारा प्रीमियम विधिवत प्राप्त नहीं किया जाता है।

• अन्य नियम और शर्तें।

1. क्रिटिकल इलनेस कवर केवल उन ग्राहकों पर लागू होगा, जो सुविधा के वितरण की तारीख तक आयु वर्ग 18-45 वर्ष में हैं।
2. क्रिटिकल इलनेस कवर उन ग्राहकों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने इंश्योरेंस डिक्लेरेशन फॉर्म में बताए गए किसी भी सवाल की पुष्टि नहीं की है।

ग्रुप सेफगार्ड/ग्रुप एक्टिव सिक्वोर और हॉस्पिटल डेली कैश प्रॉडक्ट सुविधा के वितरण की तारीख तक आयु वर्ग 18-65 वर्ष के सभी ग्राहकों पर लागू होगा।

• रद्दीकरण खंड

लोन के प्री-क्लोजर/लोन कैंसिल/लोन रिन्यूअल के मामले में, उधारकर्ता से एकत्र किया गया इंश्योरेंस प्रीमियम उधारकर्ता को वापस नहीं किया जाएगा और लोन के प्री-क्लोजर/लोन कैंसिल/लोन के रिन्यूअल की तारीख से पॉलिसी प्रभावी नहीं होगी। लोन के प्री-क्लोजर/लोन कैंसिल/लोन रिन्यूअल की तारीख के बाद पॉलिसी के तहत कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जीवन बीमा संबंधी दस्तावेज़ (जहाँ विकल्प चुना गया हो वहाँ लागू)

उधारकर्ता (जिसे "इंश्योर्ड" भी कहा जाता है) पॉलिसी को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों की पुष्टि करता है और उन्हें स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के उद्देश्य के लिए, ऋणदाता को पॉलिसीहोल्डर/मास्टर पॉलिसी होल्डर (एमपीएच) माना जाएगा। उधारकर्ता आगे कहता है:

• असाइनमेंट की घोषणा

मेरी मृत्यु / निदान / शल्य चिकित्सा प्रक्रिया (जैसा कि जीवन बीमाकर्ता द्वारा जारी जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

किया गया है) की स्थिति में, तथा यदि एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड ("ऋणदाता" या "पॉलिसीधारक") के प्रति कोई राशि बकाया या अतिदेय हो, तो मैं एतद्वारा मुझे देय दावा राशि पॉलिसीधारक को असाइन करता/करती हूँ तथा आगे यह घोषित करता/करती हूँ कि यह रसीद जीवन बीमाकर्ता के लिए पूर्ण एवं पर्याप्त निर्वहन मानी जाएगी। लाइफ इंश्योरर की इस पॉलिसी को इसके बाद "पॉलिसी" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

• नियम और शर्तें

इंश्योर्ड निम्नानुसार घोषित करता है:

मैं समझता हूँ, सहमत हूँ और पुष्टि करता हूँ कि सभी स्टेटमेंट और यह घोषणा लाइफ इंश्योरर और पॉलिसीहोल्डर ("इंश्योरर") के बीच अनुबंध का आधार हैं। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अधीन, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, यदि कोई असत्य कथन इसमें निहित हैं या किसी भौतिक तथ्य का कोई प्रकटीकरण नहीं हुआ है, जहां तक मेरा संबंध है, इंश्योर्ड के नाम पर लाइफ इंश्योरर द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिसी को अमान्य माना जा सकता है।

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने बीमित व्यक्ति के नाम तथा मेरे जीवन पर जीवन बीमाकर्ता द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिसी को नियंत्रित करने वाले योजना के नियमों एवं किसी भी अतिरिक्त नियमों, मानक पॉलिसी प्रावधानों तथा किसी भी अतिरिक्त प्रावधानों को पढ़ लिया है और समझ लिया है, तथा मैं सहमत हूँ और पुष्टि करता/करती हूँ कि वे मुझ पर बाध्यकारी होंगे। मैं बीमाकर्ता को यह अधिकृत करता/करती हूँ कि वह जीवन बीमाकर्ता को उसकी आवश्यकता अनुसार विवरण प्रदान कर सके, जिसमें ऊपर दिए गए विवरण तथा उनमें किए गए किसी भी परिवर्तन का विवरण शामिल है, तथा मेरी ओर से देय/मुझसे प्राप्त प्रीमियम राशि को जीवन बीमाकर्ता को भुगतान कर सके।

मैं समझता हूँ कि कोई भी वैधानिक लेवी या किसी भी अप्रत्यक्ष टैक्स सहित शुल्क लाइफ इंश्योरर द्वारा अभी या भविष्य में मुझसे लिया जा सकता है और मैं इसका भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

मैं समझता हूँ कि इंश्योरर के पास बिना कारण बताए किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने और इस बात की पुष्टि करने का अधिकार है कि मैं उसका कोई दावा नहीं करूंगा।

मैं कॉन्ट्रैक्ट के महत्व को समझता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस एक्ट 1938 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है और यह तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि लाइफ इंश्योरर द्वारा इसके सामान्य नियमों और शर्तों पर जारी इस आवेदन की लिखित स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है।

मैं आगे सहमत हूँ कि यदि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि के बाद लेकिन पॉलिसी जारी होने से पूर्व (i) मेरे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति या स्वास्थ्य स्थिति में कोई प्रतिकूल परिवर्तन होता है, जो कंपनी के जोखिम अंडरराइटिंग संबंधी निर्णय को प्रभावित कर सकता है, या (ii) मेरे जीवन अथवा बीमित किए जाने वाले जीवन के संबंध में किसी भी बीमाकर्ता के समक्ष किया गया बीमा प्रस्ताव या पॉलिसी पुनर्जीवन हेतु आवेदन वापस ले लिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, स्थगित किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है अथवा प्रस्तावित शर्तों से भिन्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता है, तो मैं इसकी सूचना तत्काल लिखित रूप में जीवन बीमाकर्ता को दूंगा/दूंगी। ऐसा न करने पर पॉलिसी की लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि किसी भी त्रुटि के मामले में, चूक, गलत जानकारी, खाली फ़ॉर्म, योजना सदस्य की ओर से खामियों के कारण क्लेम स्टेज पर आदि का पता लगाया जाता है, ऐसे क्लेम को लाइफ इंश्योरर द्वारा अमान्य माना जाएगा और क्लेम पेआउट को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।

मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिसीहोल्डर/एमएचपी द्वारा लाइफ इंश्योरर के साथ पॉलिसीहोल्डर/एमएचपी द्वारा सदस्य नामांकन विवरण साझा किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर मेडिकल टेस्ट/रिपोर्ट/जांच से संबंधित आगे की आवश्यकताओं सहित लाइफ इंश्योरर द्वारा उठाई गई कोई भी आवश्यकता/शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, उक्त नामांकन के लिए प्राप्त प्रीमियम राशि, रिफंड किया जाएगा और संबंधित सदस्य के नामांकन को वापस लिया गया माना जाएगा।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

मैं घोषणा करता/करती हूँ तथा एतद्वारा कंपनी या उसके किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि को यह सहमति एवं प्राधिकरण प्रदान करता/करती हूँ कि वे किसी भी ऐसे डॉक्टर या अस्पताल से, जिन्होंने किसी भी समय मेरा उपचार किया हो, अथवा किसी पूर्व या वर्तमान नियोक्ता से, मेरी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित करने वाले किसी भी विषय के संबंध में चिकित्सा जानकारी प्राप्त कर सकें, तथा बीमा प्रस्ताव के अंडरराइटिंग और/या दावा निपटान के उद्देश्य से किसी भी बीमा कंपनी से, जिसके समक्ष बीमा हेतु आवेदन किया गया हो, जानकारी प्राप्त कर सकें।

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि मुझे/हमें इंश्योरेंस देने के लिए हेल्थ इंश्योरर/लाइफ इंश्योरर की सभी शर्तों को मुझे/हमें पूरा करना होगा और हेल्थ इंश्योरर/लाइफ इंश्योरर किसी भी कारण से मुझे/हमें इंश्योरेंस देने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट (सीएचआर) घोषणा (प्रयोज्यता-जहां भी सीएचआर चुना गया है)

मैं/हम स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि मैं/हमने अपने विवेक पर क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट (सीएचआर) का विकल्प चुना है। मैं/हम समझते हैं कि यह रिपोर्ट किसी थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा तैयार की गई है और यह सीएचआर केवल मेरी/हमारी समग्र वित्तीय स्थिति का संकेत है।

मैं/हम आगे स्वीकार करते हैं, सहमत होते हैं और निम्नलिखित कार्य करते हैं:

- कि सीएचआर, मेरी/हमारी क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) रिपोर्ट का सारांश एवं विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है और यह सीआईसी के पास उपलब्ध मेरे/हमारे उधार संबंधी विवरणों (यदि कोई हों) की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
- कि सीएचआर में क्रेडिट ब्यूरो के स्कोर को बेहतर बनाने और बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत सुझाव शामिल हैं।
- कि ऋणदाता केवल सीएचआर के प्रावधान की सुविधा दे रहे हैं और सीएचआर के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में, किसी भी प्रश्न या विवाद के लिए, किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे मैं/हमें सीधे संबंधित सीआईसी से संपर्क करना होगा।
- कि ऋणदाता/(ओं) और/या थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर सीएचआर में डिलीवरी या परफॉर्मंस या अशुद्धियों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
- मैं/हम निम्नलिखित नियमों और शर्तों से सहमत हैं:
- सीएचआर डाउनलोड करने के लिए मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए लिंक के माध्यम से और मेरे पंजीकृत ईमेल आईडी पर, या सुविधा के वितरण के बाद संचार के किसी अन्य साधन के माध्यम से उपलब्ध होगा।
 - कि सीएचआर वेरिफिकेशन के बाद जेनरेट किया जाएगा और ज़रूरी फ़ील्ड/ज़रूरी जानकारी भरी जाएगी।
 - कि सीएचआर के लिए काटा गया कोई भी शुल्क नॉन-रिफंडेबल है, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां लोन कैंसिल किया गया है।
- कि मुझे/हमें पता है कि यह लोन सुविधा वैकल्पिक है और लोन आवेदन के लिए यह पूर्व-शर्त नहीं है।
- सीआईसी (ओं) के पास उपलब्ध मेरी जानकारी के संबंध में किसी भी प्रतिकूल गतिविधि/डिफॉल्ट आदि की खोज की स्थिति में, मैं/हम ऋणदाता (ओं) को यह जानकारी प्रदान करने के लिए थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को अधिकृत करते हैं।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

लोन को पहले से बंद करने/लोन रद्द करने/लोन के रिन्यूअल के मामले में, उधारकर्ता से एकत्र किए गए शुल्क उधारकर्ता को वापस नहीं किए जाएंगे

स्वास्थ्य और कल्याण पैकेज घोषणा (लागूता - जहाँ भी स्वास्थ्य एवं वेलनेस पैकेज का विकल्प चुना गया हो)

- मैं/हम स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि मैं/हमने अपने विवेक पर हेल्थ एंड वेलनेस पैकेज (एच एंड डब्ल्यू) का विकल्प चुना है।
- मैं/हम समझते हैं कि यह सेवा मेडिबडी द्वारा प्रदान की जाती है, जो डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और इसी तरह के अन्य पैकेज प्रदान करने के व्यवसाय में हैं।
- मैं/हम आगे स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि लोन के प्री-क्लोजर/सुविधा के रद्द होने/सुविधा के नवीनीकरण के मामले में, मुझे/हमसे एकत्र किए गए शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे।
- मैं/हम इसके द्वारा ऋणदाता/ओं को इन प्रोडक्ट्स/सेवाओं के लिए मेरी सदस्यता को सक्षम करने के लिए मेडिबडी के साथ मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई मेरी/हमारी जानकारी (व्यक्तिगत जानकारी सहित) साझा करने के लिए अधिकृत करते हैं।
- मैं/हम आगे ऋणदाता/ओं को समय-समय पर, मेडिबडी को मेरे/हमारे लोन खाते से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिकृत करते हैं क्योंकि ऋणदाता/ओं को यह सही लग सकता है।
- मैं/हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि इस सुविधा हेतु प्रदान किया गया पंजीकृत मोबाइल नंबर मेरा/हमारा स्वामित्व वाला/मेरे/हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला है, तथा मेरे एचएंडडब्ल्यू मेडिबडी के संबंध में, मेडिबडी अथवा मेडिबडी के नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को समय-समय पर स्वास्थ्य पैकेज संबंधी विवरण भेजने हेतु एसएमएस/ई-मेल/टेलीफोन, जिसमें वाट्सअप आदि भी शामिल हैं, किसी भी माध्यम से मुझे/हमसे संपर्क करने के लिए अधिकृत किया जाता है, भले ही पंजीकृत संपर्क नंबर डीएनडी/डीएनसी रजिस्ट्री में पंजीकृत हो।
- मैं/हम इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि ऋणदाता केवल एच एंड डब्ल्यू के प्रावधान को सुविधाजनक बना रहे हैं और मेडिबडी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। किसी भी प्रश्न या विवाद के मामले में, मुझे/हमें सीधे मेडिबडी से संपर्क करना होगा।
- मैं/हम स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि डॉक्टरों से परामर्श करने, अपॉइंटमेंट बुक करने या किसी ग्राहक संबंधी समस्या की स्थिति में, मैं/हम मेडिबडी से ईमेल आईडी: Doctorconsultations@medibuddy.in तथा ग्राहक सेवा नंबर: 08045686596 पर संपर्क करेंगे।

नियम और शर्तें

उधारकर्ता, उधारकर्ता द्वारा लिए गए बीमा उत्पाद को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों की पुष्टि करता है और उन्हें स्वीकार करता है और निम्नानुसार कहता है:

इंश्योरेंस पॉलिसी के आवेदन की पूर्व शर्त के तौर पर, उधारकर्ता मंजूरी नोट के साथ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने के लिए सहमत होता है और स्वीकार करता है।

* मैं सहमत हूँ कि पॉलिसी जारी करते समय मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है और मेरी एक पक्की (आरसीसी) दुकान है और मेरी दुकान बेसमेंट में स्थित नहीं है और पिछले 3 वर्षों में कोई नुकसान नहीं हुआ है

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

इंश्योर्ड आगे घोषणा करता है कि:

1. इस पॉलिसी को फ्लेक्सिलोन्स के प्लेटफॉर्म पर लोन लेने वाले मर्चेन्ट को अटैचमेंट के तौर पर बेचा जाना है।
2. पॉलिसी मर्चेन्ट और दुकान के नाम पर जारी की गई है जैसा कि इस इंश्योरेंस प्रॉडक्ट की खरीद के दौरान दिया गया था।
3. दुकान की संरचना आरसीसी निर्माण से बनी है।
4. दुकान बेसमेंट में स्थित नहीं है और सामान भी बेसमेंट में स्टोर नहीं किया जाता है।
5. दुकान न तो स्क्रेप की दुकान है और न ही गहने की दुकान।
6. पॉलिसी 1 कैलेंडर वर्ष के लिए वैध होगी।
7. गारंटीड है कि जोखिम वाले स्थान परिसर के भीतर कोई भी खतरनाक सामान स्टोर नहीं है।
8. खुले क्षेत्र में रखी गई वस्तुओं को पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया जाएगा।
9. पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर होने वाले किसी भी नुकसान या हानि को पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

आग (सामग्री)

- अतिरिक्त: हर एवं प्रत्येक दावा के मामले में, दावा राशि का 5% अथवा न्यूनतम ₹10,000/- (जो भी अधिक हो) लागू होगा।
- भूकंप हेतु अतिरिक्त: हर एवं प्रत्येक दावे के मामले में, हर एवं प्रत्येक हानि के संबंध में दावा राशि का 5% अथवा न्यूनतम ₹25,000/- (जो भी अधिक हो) लागू होगा।
- इस पॉलिसी के तहत आतंकवाद को बाहर रखा गया है।

चोरी/संधमारी

- अतिरिक्त: हर एवं प्रत्येक हानि के मामले में, दावा राशि का 5% अथवा न्यूनतम ₹5,000 (जो भी अधिक हो) लागू होगा।
- चोरी को पॉलिसी के तहत बाहर रखा गया है।
- 50 हजार रुपये से अधिक की चोरी के मामलों के लिए पॉलिसी जांच रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।

रद्दीकरण खंड

लोन के प्री-क्लोजर/लोन कैंसिल/लोन रिन्यूअल के मामले में, उधारकर्ता से एकत्र किया गया इंश्योरेंस प्रीमियम उधारकर्ता को वापस नहीं किया जाएगा और लोन के प्री-क्लोजर/लोन कैंसिल/लोन के रिन्यूअल की तारीख से पॉलिसी प्रभावी नहीं होगी। लोन के प्री-क्लोजर/लोन कैंसिल/लोन रिन्यूअल की तारीख के बाद पॉलिसी के तहत कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया है

सह-उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है

नाम वाले ऋणदाता द्वारा हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची II

पूर्ववर्ती शर्तें

उधारकर्ता इस सुविधा के तहत पहले संवितरण की तारीख को या उससे पहले, ऋणदाता की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा:

- (a) उधारकर्ता के संवैधानिक दस्तावेजों की प्रमाणित सही कॉपी (यदि लागू हो)।
- (b) उधारकर्ता के साझेदारों/प्रबंध निकाय/शेयरधारकों/निदेशक मंडल द्वारा सुविधा प्राप्त करने तथा इस समझौते एवं वित्तीय दस्तावेजों के निष्पादन एवं सुपुर्दगी हेतु दी गई स्वीकृति/संकल्प (विशेष या अन्यथा) की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि।
- (c) प्रत्येक पुनर्भुगतान किस्त के लिए, पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार भुगतान के लिए।
- (d) यदि ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो, तो उधारकर्ता ने नामित खाता स्थापित किया होगा और एस्करो बैंक के साथ इसकी स्थापना और संचालन के लिए एस्करो समझौते सहित आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किया होगा।
- (e) विधिवत भरे गए लोन आवेदन पत्र को सबमिट करना।
- (f) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी लागू "अपने ग्राहक को जानें" आवश्यकताओं को पूरा करना।
- (g) ऋणदाता को संतोषजनक रूप और तरीके से सभी प्रासंगिक वित्तपोषण दस्तावेजों का निष्पादन और वितरण।
- (h) निगमों से अनुमोदन और प्रमाणपत्रों सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, उपयुक्त अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमोदन और अनुमति प्रस्तुत करना।
- (i) ऋणदाता के रूप में किसी अन्य दस्तावेज़ या लेखन की आवश्यकता अपने विवेक से हो सकती है।
- (j) उधारकर्ता ने पीआई जमा कर दिए होंगे।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची III

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण द्वारा ऋण संवितरण के लिए निर्देश

सेवा में,

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड ("एपिमनी")

7वीं मंजिल, साउथ एनेक्सी, टॉवर 2, वन वर्ल्ड सेंटर,
841, सेनापति बापट मार्ग, एल्फिस्टन, सैधम नगर,
लोअर परेल, मुंबई -400013

विषय: संवितरण के लिए प्राधिकरण

श्रीमान,

रु..... की क्रेडिट सुविधा प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र का संदर्भ लें।
कृपया निम्नलिखित जानकारी के अनुसार लोन संवितरण चेक/एनईएफटी तैयार करें:

लाभार्थी का नाम	बैंक का नाम	आईएफए ससी कोड	बैंक अकाउंट नं	राशि
(चेक पर नाम के अनुसार)	(बैंक का नाम)	(आईएफए ससी कोड)	(खाता संख्या)	(शुद्ध संवितरण राशि)
(चेक पर नाम के अनुसार)	(बैंक का नाम)	(आईएफए ससी कोड)	(खाता संख्या)	(शुद्ध संवितरण राशि)

उपरोक्त प्राप्तकर्ता के पक्ष में सुविधा राशि का वितरण मेरे/हमारे सुविधा के संबंध में दायित्वों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। उपरोक्त प्राप्तकर्ता के पक्ष में सुविधा का संवितरण मेरे/हमारे द्वारा दी गई और उसका लाभ उठाने वाली सुविधा का संवितरण माना जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि:

- ऊपर दिए गए विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही, सत्य और पूर्ण हैं। मैं/हम भुगतान निर्देश में दिए गए विवरणों की सटीकता के लिए जिम्मेदार होंगे।
- मैं/हम एतद्वारा सहमत हैं कि यदि ईपीआईमनी ने सद्भावना में तथा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर संबंधी निर्देशों के अनुपालन में किसी भुगतान निर्देश को निष्पादित किया है, तो ऐसे किसी भी भुगतान निर्देश से मैं/हम बाध्य होंगे।
- उपरोक्त लाभार्थी के पक्ष में लोन का वितरण मेरे/हमारे द्वारा दिया गया और लिया गया लोन माना जाएगा। उपरोक्त लाभार्थी के पक्ष में ऋण राशि का वितरण मेरे/हमारे ऋण सुविधा के संबंध में दायित्वों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।
- एपिमनी किसी भी अपूर्ण जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के प्रसारण, डिलीवरी या गैर-डिलीवरी में विलंब, अथवा उसके प्रसारण या डिलीवरी में किसी भी त्रुटि, चूक या भूल, या उसके नियंत्रण से परे किसी भी कार्य या घटना के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उपरोक्त के बावजूद, यदि एपिमनी की किसी लापरवाही के कारण भुगतान निर्देश के अनुसार निधि अंतरण के निष्पादन में कोई त्रुटि होती है या निधि अंतरण के पूर्ण होने में विलंब होता है, तो ऐसे विलंब या त्रुटि के कारण हुई हानि की स्थिति में एपिमनी की देयता केवल विलंबित भुगतान के मामले में विलंब की अवधि के लिए बैंक दर पर ब्याज के भुगतान तक ही सीमित होगी।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- इस आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण गलत बेनिफिशियरी को नॉन-क्रेडिट या रेमिटेंस राशि क्रेडिट करने के लिए एपिमनी उत्तरदायी नहीं होगी।
- बेनिफिशियरी बैंक इनवर्ड रेमिटेंस पर शुल्क लगा सकता है और उसे भेजी गई राशि में से काट सकता है।

मैं समझता हूँ कि सभी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) निर्देश अपरिवर्तनीय हैं और एनईएफटी के माध्यम से प्रेषण के संबंध में भुगतान रोकने के निर्देश देने की कोई सुविधा नहीं है।

आपको धन्यवाद
भवदीय,

उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया है

सह-उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया है

नाम वाले ऋणदाता द्वारा हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया

तारीख: DD/MM/YYYY

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची IV

व्यक्तिगत गारंटी का कार्य

यह व्यक्तिगत गारंटी ("व्यक्तिगत गारंटी") पर निष्पादित किया जाता है <_> को <_> द्वारा:

विवरण	गारंटर का नाम	गारंटी देने वाले का पता
गारंटर 1, जिसका अभिप्राय, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके विधिक उत्तराधिकारियों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को भी शामिल माना जाएगा।	[●]	[●]
गारंटर 2, जिसका अभिप्राय, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके विधिक उत्तराधिकारियों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को भी शामिल माना जाएगा	[●]	[●]
गारंटर 3 जिसका अभिप्राय, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक भी शामिल माने जाएंगे	[●]	[●]
गारंटर 4, जिसका अभिप्राय, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक भी शामिल माने जाएंगे	[●]	[●]
गारंटर 5, जिसका अभिप्राय, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके विधिक उत्तराधिकारियों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को भी शामिल माना जाएगा।	[●]	[●]

इनके पक्ष में:

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड, एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 119, दूसरी मंजिल, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई - 600 018 में है और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय 7वीं मंजिल, साउथ एनेक्सी, टॉवर 2, वन वर्ल्ड सेंटर, 841, सेनापति बापट मार्ग,

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

एलफिंस्टन, सैधम नगर, लोअर परेल, मुंबई-400013 में स्थित है, (इसके बाद इसे "ऋणदाता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसका अर्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे);

गारंटर 1, गारंटर 2, गारंटर 3, गारंटर 4 और गारंटर 5 को इसके बाद सामूहिक रूप से "गारंटर" और व्यक्तिगत रूप से "गारंटर" कहा जाएगा।

जबकि:

- (1) गारंटर के अनुरोध पर, लेंडर ने <_> को, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस <_> में है, <_> देने पर सहमति जताई है (जिसे आगे "उधारकर्ता" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति का मतलब, जब तक कि वह संदर्भ या उसके मतलब के खिलाफ न हो, उसके उत्तराधिकारियों और मंजूर असाइनी को माना जाएगा और इसमें शामिल किया जाएगा)।
- (2) <_> रुपये (केवल भारतीय रुपये <_>) तक की एक टर्म लोन सुविधा (जिसे आगे "सुविधा" कहा जाएगा) <_> तारीख के सुविधा समझौते में बताए गए नियमों और शर्तों और सिक्योरिटीज़ पर (जिसे आगे "सुविधा समझौता" कहा जाएगा, जिसमें कोई भी बदलाव, सप्लीमेंट या संशोधन शामिल होगा) जो समय-समय पर उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच किया जाएगा, जिसमें सभी सप्लीमेंट, बदलाव और संशोधन शामिल हैं।
- (3) लोन देने वाले की तरफ से उधारकर्ता को फ़ैसिलिटी देने के लिए राज़ी होने की शर्तों में से एक यह है कि गारंटर, लोन देने वाले के पक्ष में, फ़ैसिलिटी के तहत या उसके संबंध में समय-समय पर बकाया सभी अमाउंट के रीपेमेंट के लिए बिना शर्त और इर्रिवोकैबल कंटेन्सिंग गारंटी देंगे।

अतः, इस व्यक्तिगत गारंटी में उल्लिखित आधारों तथा अन्य अच्छे और मूल्यवान प्रतिफलों (जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है) के विचार में, गारंटर निम्नलिखित वचन देते हैं और सहमत होते हैं:

1. गारंटी

- 1.1 गारंटर(ओं) द्वारा ऋणदाता की किसी भी पहली मांग पर ऋणदाता को देय पुनर्भुगतान की अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी दी जाती है, बिना किसी आपत्ति के, इस सुविधा के तहत उधारकर्ता द्वारा ऐसे ऋणदाता को देय किसी भी या सभी राशियों को, जिसमें मूल राशि <_> रुपये (केवल भारतीय रुपये) शामिल है जो इस सुविधा के तहत बकाया है और सभी ब्याज, दंड शुल्क, व्यय और अन्य सभी धनराशियां, जो भी उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय और देय हैं ("गारंटीकृत राशि"), ऋणदाता की संतुष्टि के लिए, ऋणदाता को चुकाने में उधारकर्ता की ओर से विफलता की स्थिति में या सुविधा/सुविधा समझौते के तहत चूक की घटना पर। गारंटर ऋणदाता को यह वचन देता है कि जब भी उधारकर्ता सुविधा समझौते या किसी अन्य वित्तपोषण दस्तावेज़ (इसके प्रावधानों के अनुसार) के तहत देय होने पर किसी भी राशि का भुगतान नहीं करता है, ऋणदाता भुगतान करने के लिए गारंटर से कॉल करने का हकदार होगा, जैसा कि ऋणदाता द्वारा दिए गए डिमांड सर्टिफिकेट में बताया गया है। गारंटर, दोनों उधारदाताओं की ओर से, किसी भी एक उधारदाता द्वारा मांग किए जाने पर, बिना किसी विरोध, देरी या आनाकानी के, तत्काल वह राशि चुकाएगा; मानो उस राशि के संबंध में वह स्वयं ही मूल उधारकर्ता हो।
- 1.2 खंड 1.1 पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके तहत कोई भी मांग करने से पहले, ऋणदाता को उधारकर्ता के विरुद्ध कोई कदम उठाने, कोई मांग करने, किसी उपचार का प्रयोग करने या कोई निर्णय प्राप्त करने; वित्तपोषण दस्तावेज़ों के तहत किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस देने; या उधारकर्ता के विघटन या समापन के मामले में कोई दावा या प्रमाण प्रस्तुत करने या फाइल करने; अथवा गारंटीकृत दायित्वों के संबंध में ऋणदाता के पास वर्तमान में या भविष्य में रखी गई किसी भी प्रतिभूति को लागू करने या लागू करवाने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 1.3 इसके अंतर्गत आने वाले दायित्व, उधारकर्ता या किसी अन्य गारंटर के दायित्वों से स्वतंत्र हैं। गारंटर, इस पर्सनल गारंटी में दिए गए अन्य प्रावधानों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, ऋणदाता के प्रति प्राथमिक बाध्यकारी और

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

मुख्य उधारकर्ता के रूप में—न कि केवल ज़मानतदार के रूप में—पूर्ण क्षतिपूर्ति के आधार पर, ऋणदाता को किसी भी कारण से होने वाली क्षति की भरपाई करेंगे; भले ही वह कारण, या उससे संबंधित कोई तथ्य या परिस्थिति, ऋणदाता या उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार को ज्ञात थी, या ज्ञात होनी चाहिए थी।

2. कोई डिस्चार्ज नहीं

- 2.1 गारंटीड राशि और इस व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित सभी मामलों के संबंध में ऋणदाता का निर्णय अंतिम और गारंटी देने वालों के लिए बाध्यकारी होगा। न तो यहां निहित गारंटीकर्ताओं के दायित्व, और न ही ऋणदाता को गारंटीकर्ताओं के संबंध में दिए गए किसी अन्य अधिकार, शक्तियों और उपचार पर उनकी प्रवर्तनीयता के रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- 2.2 इस व्यक्तिगत गारंटी के तहत गारंटर की ज़िम्मेदारियों पर, फ़ैसिलिटी की शर्तों में किसी भी संशोधन, नवीनीकरण, पूरक, विस्तार या बदलाव का; या किसी भी समय, उधारकर्ता या फ़ैसिलिटी से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को दी गई किसी भी प्रकार की रियायत, समझौता, माफ़ी या अन्य छूट का कोई असर नहीं पड़ेगा।
- 2.3 गारंटर को ऋणदाता की ओर से किसी भी अधिनियम या चूक या किसी अन्य मामले या चीज द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, जो गारंटी से संबंधित कानून के तहत गारंटर को जारी करने का प्रभाव होगा और गारंटर इसके द्वारा ऋणदाता के पक्ष में छूट देता है, जहां तक इस व्यक्तिगत गारंटी के किसी भी प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो, सभी मुचलके और अन्य अधिकार जिन्हें गारंटर अन्यथा लागू करने का हकदार हो सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133, 134, 135, 139 और 141 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, गारंटीकर्ता ज़मानतदारों को दिए गए अधिकार का हकदार नहीं होगा।
- 2.4 जब तक वित्तीय दस्तावेज़ के तहत उधारकर्ता की सभी ज़िम्मेदारियाँ ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार पूरी नहीं हो जातीं, तब तक गारंटर इस बात से सहमत है कि (i) उधारकर्ता के दिवालिया होने या लिक्विडेशन की स्थिति में, वह ऋणदाता के साथ मुकाबले में लिक्विडेशन की कार्रवाई में साबित नहीं होगा; (ii) उसके पास उधारकर्ता के खिलाफ सबरोगेशन या हज़ाने का अधिकार नहीं होगा, और न ही वह कानून के तहत मौजूद ऐसे किसी भी अधिकार का इस्तेमाल करेगा, उधारकर्ता से गारंटीड ज़िम्मेदारियों से जुड़ी किसी भी रकम का दावा करने के लिए, जिसमें सबरोगेशन और उधारकर्ता के दिवालिया होने का सबूत शामिल है, और ऐसे किसी भी अधिकार का फायदा ऋणदाता के लिए ट्रस्ट पर रखेगा; और (iii) वह उधारकर्ता से या उसके अकाउंट में किसी भी पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन या सिक्वोरिटी का फायदा नहीं लेगा, क्लेम नहीं करेगा या नहीं लेगा, या उधारकर्ता के खिलाफ सेट-ऑफ के किसी भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगा।
- 2.5 इस व्यक्तिगत गारंटी के तहत गारंटर की ज़िम्मेदारियों पर किसी भी ऐसे काम, गलती या चीज़ (चाहे गारंटर या ऋणदाता को पता हो या न हो) का असर नहीं पड़ेगा, जो इस नियम के बिना, इस पर्सनल गारंटी के तहत उसकी किसी भी ज़िम्मेदारी को कम करेगा, रिलीज़ करेगा या उस पर बुरा असर डालेगा। इनमें शामिल हैं:
 - a) उधारकर्ता या अन्य व्यक्ति को दिया गया कोई भी समय, छूट या सहमति, या उसके साथ संयोजन;
 - b) (B) किसी लेनदार के साथ किसी संरचना या व्यवस्था की शर्तों के तहत उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को मुक्त करना;
 - c) उधारकर्ता या अन्य व्यक्ति की परिसंपत्तियों पर किसी अधिकार या सुरक्षा को लेना, परिवर्तन, समझौता, विनिमय, नवीकरण या जारी करना या पूर्ण करने से इनकार करना या उपेक्षा करना या किसी भी उपकरण के संबंध में किसी औपचारिकता या अन्य आवश्यकता को प्रस्तुत न करना या उसका पालन न करना या किसी भी सुरक्षा का पूरा मूल्य वसूल करने में विफलता;
 - d) उधारकर्ता (ओं) या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति, अधिकार या स्थिति की कोई असमर्थता या कमी;

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- e) कोई भी संशोधन, नोवेशन, सप्लीमेंट, एक्सटेंशन (चाहे मैच्योरिटी का हो या अन्यथा) या रीस्टेटमेंट (प्रत्येक मामले में, हालाँकि मौलिक और किसी भी प्रकृति का है, और चाहे अधिक कठिन हो या नहीं) या किसी वित्तपोषण दस्तावेज़ या किसी अन्य दस्तावेज़ या सुरक्षा का प्रतिस्थापन;
- f) किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज़ या किसी अन्य दस्तावेज़ या सुरक्षा के तहत किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व की कोई अप्रवर्तनीयता, अवैधता या अयोग्यता;
- g) गारंटर का कोई दिवालियापन, पागलपन, दिवालियापन या मृत्यु या दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और उससे संबंधित विनियमों के तहत उधारकर्ता की दिवालियापन, जैसा भी मामला हो, समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है;
- h) उधारकर्ता के संविधान में कोई बदलाव या समापन या किसी अन्य कंपनी, निगम या संस्था के साथ उधारकर्ता का कोई अवशोषण, विलय या सामामेलन, या ऋणदाता के संविधान में कोई बदलाव;
- i) उधारकर्ता के प्रबंधन में कोई बदलाव या उधारकर्ता के प्रबंधन का अधिग्रहण;
- j) किसी कानून के अनुसार उधारकर्ता और/या उसके किसी भी उपक्रम का अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण;
- k) उधारकर्ता की ओर से उधार लेने की शक्तियों की अनुपस्थिति या कमी या ऐसी शक्तियों के प्रयोग में कोई अनियमितता;
- l) ऋणदाता की स्थिति या स्टेटस में कोई बदलाव;
- m) ऐसी शक्ति के प्रयोग में गारंटी और/या क्षतिपूर्ति या कोई अनियमितता देने के लिए गारंटीकर्ता की ओर से शक्तियों की अनुपस्थिति या कमी;
- n) सुविधा समझौते के निर्वाह के दौरान गारंटीकर्ता द्वारा इस व्यक्तिगत गारंटी का कोई भी निरसन;
- o) कोई अन्य अधिनियम, घटना या चूक जो इस प्रावधान के लिए इसके तहत गारंटीकर्ता के दायित्वों को बाधित, निर्वहन या अन्यथा प्रभावित करने के लिए काम करेगा या कर सकता है;
- p) उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के साथ किया गया या निपटाया गया कोई भी भुगतान; या
- q) कोई दिवालियापन या इसी तरह की कार्यवाही।

3. अभ्यावेदन वारंटी और अनुबंध

- 3.1 गारंटर इसके द्वारा ऋणदाता का प्रतिनिधित्व करते हैं और गारंटी देते हैं और इस व्यक्तिगत गारंटी के निर्वाह के दौरान यह कार्य करते हैं:
 - i. इस व्यक्तिगत गारंटी के तहत गारंटीकर्ताओं को गारंटीकर्ता के दायित्वों में प्रवेश करने और उनका पालन करने में सक्षम बनाने के लिए गारंटीकर्ताओं के पास आवश्यक शक्तियां हैं और होंगी;
 - ii. इस व्यक्तिगत गारंटी और अन्य ऋण सुविधा का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन जिसके लिए गारंटर पक्ष हैं, (A) उस पर या उसकी किसी भी संपत्ति पर बाध्यकारी किसी भी समझौते या (B) किसी भी लागू कानून, नियम या विनियमन के साथ संघर्ष नहीं करेगा;

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- iii. गारंटर किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए या किसी भी व्यक्ति को कोई गारंटी या क्षतिपूर्ति (किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत आवश्यक के अलावा) नहीं देंगे या अन्यथा ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के संबंध में स्वेच्छा से कोई देनदारी, चाहे वास्तविक हो या आकस्मिक, स्वीकार नहीं करेंगे;
 - iv. गारंटरों ने वर्तमान व्यक्तिगत गारंटी पर अपनी पूर्ण स्वतंत्र इच्छा से और बिना किसी दबाव/अनुचित प्रभाव/दबाव आदि के हस्ताक्षर किए हैं और उसे निष्पादित किया है। इसके अलावा, गारंटर बताता है कि उसे इस व्यक्तिगत गारंटी पर हस्ताक्षर/निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विचार/मुआवजा नहीं दिया गया है;
 - v. गारंटीकर्ता यह वचन देता है कि इस व्यक्तिगत गारंटी की तारीख को किए गए व्यवसाय/रोजगार की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया जाएगा या ऋणदाता की संतुष्टि के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता के सभी दायित्वों के निर्वहन तक उसका व्यवसाय/रोजगार करना बंद कर दिया जाएगा।
 - vi. अनुसूची- I में सूचीबद्ध गारंटर, इसके द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं और गारंटी देते हैं कि मैं/हम उधारकर्ता के दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक संचालन में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
- 3.2 गारंटर इसके द्वारा ऋणदाता को लगातार यह कन्फर्म करता है और वादा करता है कि गारंटर इस व्यक्तिगत गारंटी में बताए गए किसी भी रिप्रेजेंटेशन / वारंटी / अंडरटेकिंग / वादे के उल्लंघन की वजह से ऋणदाता को होने वाले किसी भी नुकसान, डैमेज, कॉस्ट, क्लेम और खर्च के लिए हर्जाना देने के लिए सहमत है।
 - 3.3 यह भी साफ़ तौर पर सहमति है कि अगर किसी भी वजह से गारंटी लागू नहीं की जा सकती या कानून के तहत लागू नहीं की जा सकती, तो नीचे दी गई गारंटी को गारंटर के खिलाफ़ हर्जाने के तौर पर लागू किया जा सकता है और वह सहमत है और यह वादा करता है कि वह ऋणदाता को किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और दूसरे चार्ज की भरपाई करेगा जो ऋणदाता को उधारकर्ता से वसूलने पड़ सकते हैं।
 - 3.4 गारंटर यह मानता है कि उसने फैसिलिटी एग्रीमेंट, सैंक्शन लेटर, केएफसी और दूसरे जुड़े फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के सभी प्रोविज़न्स को पढ़ और समझ लिया है और इसके अलावा यह भी कन्फर्म करता है कि वह इसमें किसी भी बदलाव या अमेंडमेंट से सहमत है और कन्फर्म करता है।
4. **दंडात्मक चार्ज**

अगर गारंटर, ऋणदाता की मांग के 7 दिनों के अंदर गारंटीड अमाउंट का पेमेंट नहीं करते हैं, तो गारंटर को गारंटीड अमाउंट या कोई दूसरी रेट देनी होगी, जो ऋणदाता अपनी मर्जी से, ऐसी मांग के सब्जेक्ट मैटर वाली गारंटीड अमाउंट पर तय करेगा, यह पहली मांग की तारीख से लेकर गारंटर के पेमेंट तक होगा।
5. **गारंटी के संबंध में क्षतिपूर्ति**

गारंटर इसके द्वारा ऋणदाता को क्षतिपूर्ति देता है और इस बात से सहमत होता है कि जब तक लोन सुविधा बकाया है, उधारकर्ता द्वारा देय है, तब तक वह ऋणदाता को सभी कार्यों, कार्यवाही, दावों और मांगों, शुल्कों, दंडों, करों, हानियों, क्षतियों, लागत (कानूनी लागतों सहित) शुल्कों और खर्चों और अन्य देनदारियों से सुरक्षित रखेगा, जो भी दावा किया गया हो या सहन किया गया हो या वहन किया गया हो या ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को सुविधा देने के कारण वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत देय धन की वसूली के लिए उधारकर्ता और/या गारंटर के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही सहित।
6. **टर्मिनेशन**

यह व्यक्तिगत गारंटी तब तक पूरी तरह से लागू रहेगी, जब तक उधारकर्ता द्वारा लोन सुविधा के तहत सभी देनदारियों का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया जाता है और जब तक उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता द्वारा लिखित रूप में निर्वहन की पुष्टि नहीं हो जाती है।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

7. गारंटी जारी रखना

यह व्यक्तिगत गारंटी एक निरंतर गारंटी होगी और यह उस अंतिम शेष राशि पर लागू होगी जो सुविधा के तहत उधारकर्ता उधारकर्ता के कारण हो सकती है।

8. मैनर ऑफ़ डिमांड

इस व्यक्तिगत गारंटी के तहत की गई कोई भी डिमांड, ऋणदाता द्वारा गारंटर को सही तरीके से दी गई मानी जाएगी, जिसे डिमांड नोटिस के रूप में पोस्ट से भेजा जाएगा, जो गारंटर के पते पर होगा; जो ऊपर दिया गया है और यह तब भी लागू होगा जब: (i) इस पते में कोई बदलाव हो; और (ii) पते में ऐसे बदलाव की सूचना ऋणदाता को दी जाए। किसी भी मांग को डाक द्वारा भेजे जाने के 24 (चौबीसों) घंटे बाद गारंटीकर्ता द्वारा प्राप्त माना जाएगा और ऋणदाता के किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने पर यह पर्याप्त होगा। ऋणदाता द्वारा गारंटर को दी गई या की गई कोई भी मांग इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि इसके तहत गारंटर की देनदारी अर्जित हुई है और गारंटर की देनदारी की सीमा ऐसी मांग में बताई गई राशि है।

सुविधा समझौते और/या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत देय किसी भी राशि के अनुसार या उसके संबंध में उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में दिया गया कोई भी प्रवेश या स्वीकृति गारंटीकर्ता पर बाध्यकारी होगी। गारंटर, ऋणदाता को दिए गए किसी भी अकाउंट स्टेटमेंट के सही होने को मानता है, जिसे ऋणदाता ने सर्टिफ़ाई किया है और यह गारंटर के लिए बाध्यकारी और अंतिम होगा और गारंटर यह भी सहमत है कि कोई एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट करते समय, उधारकर्ता को इंडियन लिमिटेड एक्ट, 1963 के मकसद के लिए गारंटर का ऑथराइज़्ड एजेंट माना जाएगा।

9. असाइनमेंट

गारंटर अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त इस बात से सहमत हैं कि गारंटर ऋणदाता की पूर्व लिखित अनुमति के अलावा इस व्यक्तिगत गारंटी के तहत अपने किसी भी अधिकार या दायित्व को असाइन या ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऋणदाता को, सह-ऋण देने वाले फ्रेमवर्क समझौते की शर्तों के अधीन रहते हुए, इस सुविधा का पूरा या आंशिक हिस्सा, या इस सुविधा के तहत बकाया राशि, या वित्तपोषण दस्तावेजों (इस व्यक्तिगत गारंटी सहित) के तहत ऋणदाता के किसी भी अन्य अधिकार और दायित्वों को बेचने या हस्तांतरित करने (असाइनमेंट, सिक्युरिटाइजेशन या किसी अन्य तरीके से) का अधिकार होगा। यह बिक्री या हस्तांतरण ऐसे तरीके से, या ऐसी शर्तों और निबंधनों के तहत किया जाएगा, जैसा कि ऋणदाता अपने विवेक से तय करे; और ऐसा करने के लिए उसे गारंटर से परामर्श करने या उसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी। गारंटर स्पष्ट रूप से सहमत है कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, बिक्री या हस्तांतरण की स्थिति में, वह उस व्यक्ति को, जिसे यह सुविधा बेची या हस्तांतरित की जाती है, ऋणदाता के रूप में स्वीकार करेगा; और इस व्यक्तिगत गारंटी तथा अन्य सभी वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करेगा, जिनमें गारंटर एक पक्ष है।

10. किसी भी प्रावधान की अमान्यता

यदि इस व्यक्तिगत गारंटी का कोई प्रावधान किसी भी लागू कानून के तहत किसी भी संबंध में अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता और प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या बाधित नहीं होगी।

11. पार्टियां

इस व्यक्तिगत गारंटी को किसी भी संख्या में समकक्षों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से सभी को एक साथ लिया जाए तो एक ही साधन का गठन होगा।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

12. बदलने की शक्ति

गारंटर इससे सहमत हैं कि गारंटर की सहमति के बिना और किसी भी तरह से गारंटर के दायित्वों को प्रभावित या निर्वहन किए बिना या गारंटर के प्रति दायित्व के बिना, ऋणदाता किसी भी समय गारंटीकर्ता की सहमति या नोटिस के बिना कर सकता है:

- किसी भी सुरक्षा प्रदाता या किसी अन्य पार्टी के खिलाफ किसी भी अधिकार का प्रयोग या प्रयोग करने से बचें;
- किसी भी गारंटीड दायित्वों, उसके साथ किसी भी सुरक्षा या किसी भी दायित्व (इस व्यक्तिगत गारंटी के तहत सहित) के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी भी दायित्व का निपटान, जारी करना या समझौता करना;
- फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के किसी भी और सभी प्रोविज़न में बदलाव करना, उन्हें बदलना, माफ़ करना, रिलीज़ करना या मॉडिफ़ाई करना, जिसमें बिना किसी लिमिट के, फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स का कोई भी मॉडिफ़िकेशन, वेरिफ़ेशन, माफ़ करना, रिलीज़ करना या अमेंडमेंट शामिल है, जिसमें गारंटर पार्टी नहीं है, जिससे फैसिलिटी का कुल प्रिंसिपल अमाउंट, या उस पर इंटररेस्ट रेट, या फैसिलिटी एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट किए जाने वाले प्रिंसिपल या इंटररेस्ट का अमाउंट, जैसा भी मामला हो, बढ़ जाता है; और
- सुविधा के रीपेमेंट और/या ब्याज, पेनल्टी चार्ज और दूसरे पैसे/चार्ज के पेमेंट को, जो उधारकर्ता ऋणदाता को देना है, ऐसे नियमों और शर्तों पर टालना, आगे बढ़ाना या बदलना, जैसा ऋणदाता ज़रूरी समझे, जिसमें ब्याज दर में कोई भी बढ़ोतरी शामिल है।

गारंटर इस बात से सहमत है कि इस पर्सनल गारंटी के तहत लायबिलिटी पर किसी भी तरह से ऐसे किसी भी बदलाव, बदलाव, मॉडिफ़िकेशन, वेवर, डिस्पेंसेशन विद या रिलीज़ का असर नहीं पड़ेगा, और सिक्योरिटी में ऐसे किसी भी बदलाव, बदलाव, मॉडिफ़िकेशन, वेवर, डिस्पेंसेशन विद, या रिलीज़ को लागू करने के लिए गारंटर की किसी और सहमति की ज़रूरत नहीं है। गारंटर यह कन्फर्म करता है कि ऐसा बदलाव उधारकर्ता को बदली हुई शर्तों के बारे में बताने पर गारंटर के लिए बाइंडिंग होगा।

13. डिस्क्लोज़र

ऋणदाता गारंटर और गारंटी के बारे में किसी भी जानकारी का खुलासा कर सकता है, क्योंकि ऋणदाता निम्नलिखित के लिए उचित मान सकता है:

- ऋणदाता का कोई भी सहयोगी;
- ऋणदाता या ऋणदाता के किसी भी सहयोगी के पेशेवर सलाहकार और सेवा प्रदाता, जो ऋणदाता या ऋणदाता के सहयोगी के लिए गोपनीयता के कर्तव्य के तहत है;
- कंपनी या किसी अन्य सुरक्षा प्रदाता और ऋणदाता के बीच वित्तपोषण दस्तावेजों या किसी अन्य दस्तावेज के तहत ऋणदाता के अधिकारों और/या दायित्वों के संबंध में कोई वास्तविक या संभावित भागीदार या उप-भागीदार या कोई समनुदेशिती, नवपात्र या हस्तांतरिती (या पूर्वगामी किसी का एजेंट या सलाहकार);
- कोई भी रेटिंग एजेंसी, बीमाकर्ता या बीमा ब्रोकर या ऋणदाता या ऋणदाता के किसी सहयोगी को क्रेडिट सुरक्षा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदाता; या
- कोई भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, रेगुलेटरी, सुपरवाइज़री, सरकारी या क्वासी-गवर्नमेंटल अथॉरिटी जिसका ऋणदाता या ऋणदाता से जुड़ी किसी कंपनी पर अधिकार हो।

14. शुल्क और व्यय

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

गारंटर, इस पर्सनल गारंटी से जुड़े सभी खर्चों, चार्ज और नुकसान या क्षति (जिसमें तैयारी, बातचीत, बदलाव और/या लागू करना शामिल है) और किसी भी संबंधित और/या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए ऋणदाता को रीइंबर्समेंट करेंगे।

15. विवादों का समाधान

- 15.1 पार्टियां इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करती हैं कि इस पर्सनल गारंटी के दौरान या उसके बाद पार्टियों के बीच इससे जुड़े किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, जिसमें पर्सनल गारंटी या इसके किसी क्लॉज़ की व्याख्या से जुड़ा कोई विवाद या मतभेद शामिल है, उसे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के नियमों या उसके किसी कानूनी बदलाव के अनुसार सुलझाया जाएगा और इसे पार्टियों द्वारा आपसी सहमति से नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र आर्बिट्रेटर ("आर्बिट्रेटर") को भेजा जाएगा। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करने की जगह मुंबई, चेन्नई या कोलकाता या ऋणदाता की मर्जी के हिसाब से कोई दूसरी जगह होगी।
- 15.2 मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु, इनकार, लापरवाही, अक्षमता, अयोग्यता की स्थिति में, ऋणदाता द्वारा मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा, और कार्यवाही वहीं से जारी रहेगी जहां से पूर्ववर्ती ने छोड़ी थी।

16. सरकार का कानून और न्याय

यह व्यक्तिगत गारंटी और इस व्यक्तिगत गारंटी के तहत/इसके संबंध में निष्पादित सभी दस्तावेज़ भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और समझा जाएगा। यह पर्सनल गारंटी और इस पर्सनल गारंटी के तहत/इससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स भारत के कानूनों के हिसाब से चलेंगे और समझे जाएंगे।

17. घोषणा और सहमति

- 17.1 केवाईसी घोषणा - उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) द्वारा इस विलेख की अनुसूची वी ए और अनुसूची वी बी के तहत विशेष रूप से निर्धारित घोषणा और वचन दिया जाता है।
- 17.2 गारंटीकर्ता ऋणदाता को क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से अपनी क्रेडिट जानकारी प्राप्त करने और सुविधा को संसाधित करने के लिए आंतरिक और नियामक मूल्यांकन करने के लिए सीकेवाईसी/डिजिलॉकर आदि से अपने केवाईसी रिकॉर्ड फ़ैच करने के लिए बिना शर्त सहमति देता है। इसके अलावा, इस पर्सनल गारंटी पर साइन करके गारंटर <https://epimoney.in/privacy-policy.php> पर उपलब्ध ऋणदाता की प्राइवैसी पॉलिसी को मानता है और उसे स्वीकार करता है।

जहां उधारकर्ता और गारंटीकर्ता का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एक ही व्यक्ति है, ऐसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक ही हस्ताक्षर उधारकर्ता और गारंटीकर्ता दोनों की ओर से इस समझौते के निष्पादन के लिए पर्याप्त होगा।

इसके सबूत के तौर पर, यह पर्सनल गारंटी, बताए गए गारंटर ने ऊपर लिखे दिन और साल को ठीक से बनाकर दे दी है, और सिग्नेचर इस पेज के नीचे दिख रहे हैं।

नामित गारंटर द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची V A

केवाईसी घोषणा (उधारकर्ता)

इसके बाद बताए गए कर्जदार, इसके द्वारा मिलकर और अलग-अलग घोषणा करते हैं (जैसा लागू हो) और कन्फर्म करते हैं कि कर्जदार का नाम और जन्म की तारीख, जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट (इसके बाद "ओवीडी" और इसमें आधार शामिल है) में भी बताई गई है, नीचे दी गई जानकारी के जैसा ही है:

	नाम	पैन के अनुसार जन्म तिथि
"उधारकर्ता 1", जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे	[•]	[•]
"उधारकर्ता 2", जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे	[•]	[•]
"उधारकर्ता 3", जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे	[•]	[•]
"उधारकर्ता 4", जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे	[•]	[•]
"उधारकर्ता 5", जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे	[•]	[•]

मैं/हम मानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए ओवीडी जमा करना ज़रूरी है और ये पैन जमा करने के अलावा, मेरी पहचान, क्रेडेंशियल और क्रेडिट सुविधा की मंजूरी/अनुदान के लिए एलिजिबिलिटी के वेरिफिकेशन के लिए ऋणदाता को दिए जाने हैं। मैं/हम मानते हैं कि ऋणदाता द्वारा किसी भी क्रेडिट सुविधा के लिए मेरे/हमारे एप्लीकेशन पर विचार किए जाने के लिए, मुझे/हमें अपना पैन देना ज़रूरी है।

मैं/हम घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि ऊपर बताए गए दोनों दस्तावेजी प्रमाण (ओवीडी और पैन) मुझे/हमें जारी किए गए थे। मैं/हम समझते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा और उपरोक्त जानकारी में किसी भी विसंगति के मामले में उसे तुरंत ऋणदाता को सूचित किया जाएगा।

अगर मेरे/हमारे द्वारा ओवीडी या पैन के तहत या अन्यथा दी गई कोई भी जानकारी धोखाधड़ी वाली पाई जाती है, तो मैं/हम ऋणदाता को किसी भी नुकसान/नुकसान या ऋणदाता के खिलाफ उठाए गए दावों के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे। मैं/हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में मुझे/हमें स्वीकृत/दिया गया लोन रद्द/रद्द कर दिया जाएगा।

धन्यवाद।
भवदीय,
[•][•]

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची V B

केवाईसी घोषणा (गारंटर)

इसके बाद बताए गए गारंटर, मिलकर और अलग-अलग घोषणा करते हैं (जैसा लागू हो) और कन्फर्म करते हैं कि गारंटर का नाम और जन्म की तारीख, जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट (इसके बाद " ओवीडी " और इसमें आधार शामिल है) में भी बताई गई है, नीचे दी गई जानकारी के जैसा ही है:

	नाम	पैन के अनुसार जन्म तिथि
"गारंटर 1", इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे	[●]	[●]
"गारंटर 2", इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे	[●]	[●]
"गारंटर 3", जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे	[●]	[●]
"गारंटर 4", जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे	[●]	[●]
"गारंटर 5", इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे	[●]	[●]

मैं/हम मानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए ओवीडी जमा करना ज़रूरी है और ये पैन जमा करने के अलावा, मेरी पहचान, क्रेडेंशियल और क्रेडिट सुविधा की मंजूरी/अनुदान के लिए एलिजिबिलिटी के वेरिफिकेशन के लिए ऋणदाता को दिए जाने हैं। मैं/हम मानते हैं कि ऋणदाता द्वारा किसी भी क्रेडिट सुविधा के लिए मेरे/हमारे एप्लीकेशन पर विचार किए जाने के लिए, मुझे/हमें अपना पैन देना ज़रूरी है।

मैं/हम घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि ऊपर बताए गए दोनों दस्तावेजी प्रमाण (ओवीडी और पैन) मुझे/हमें जारी किए गए थे। मैं/हम समझते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा और उपरोक्त जानकारी में किसी भी विसंगति के मामले में उसे तुरंत ऋणदाता को सूचित किया जाएगा।

अगर मेरे/हमारे द्वारा ओवीडी या पैन के तहत या अन्यथा दी गई कोई भी जानकारी धोखाधड़ी वाली पाई जाती है, तो मैं/हम ऋणदाता को किसी भी नुकसान/नुकसान या ऋणदाता के खिलाफ उठाए गए दावों के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे। मैं/हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में मुझे/हमें स्वीकृत/दिया गया लोन रद्द/रद्द कर दिया जाएगा।

धन्यवाद।
भवदीय,
[●] [●]

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची V C

उधारकर्ता द्वारा घोषणा

- मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ और समझ सकता हूँ और इसलिए कन्फर्म करता/करती हूँ कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म, लोन एग्रीमेंट, दूसरे सभी एग्रीमेंट, अंडरटेकिंग, डिक्लोरेशन, डीड, मेमोरेंडम वगैरह (जिन्हें आगे "फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स" कहा जाएगा) के कंटेंट/टर्म्स एंड कंडीशंस और नेचर को पढ़ और समझ लिया है।
- मैं इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैंने सभी लोन दस्तावेजों के नियमों और शर्तों और मेरे हितों पर इसके प्रभावों को समझने के बाद लोन दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।
- मैं आगे पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैंने इस घोषणा को बिना किसी अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, गलत प्रस्तुति या धोखाधड़ी के निष्पादित किया है और मैंने अपनी स्वतंत्र सहमति और इच्छा के साथ यह घोषणा दी है।

उधारकर्ता के हस्ताक्षर

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची V E

अंतिम उपयोग घोषणा

सेवा में,
एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड,
7वीं मंजिल, साउथ एनेक्सी, टॉवर 2,
वन वर्ल्ड सेंटर, 841, सेनापति बापट मार्ग,
एल्फिंस्टन, सैधम नगर, लोअर परेल,
मुंबई -400013 महाराष्ट्र, भारत।

विषय: सुविधा के लिए अंतिम उपयोग घोषणा।

उधारकर्ता इसके द्वारा गंभीरता से पुष्टि करता है और घोषणा करता है कि:

- i. सुविधा से प्राप्त आय का उपयोग उस उद्देश्य के लिए सख्ती से किया जाएगा जिसके लिए सुविधा को मंजूरी दी गई है।
- ii. उक्त सुविधा राशि का उपयोग रियल एस्टेट या पूंजी बाजारों में निवेश, या पैसे उधार देने की गतिविधियों, या अवैध, सट्टेबाजी और असामाजिक गतिविधियों, या लागू कानूनों द्वारा अनुमत न किसी भी उद्देश्य के लिए, या ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जिसके लिए एनबीएफसी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति नहीं है।
- iii. सभी सहायक दस्तावेजों (चालान, अनुबंध, भुगतान प्रमाण, आदि) को बनाए रखा जाएगा और अनुरोध पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- iv. उधारकर्ता, सुविधा दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करता है।

मैं/हम समझते हैं कि किसी भी गलत प्रस्तुति के परिणामस्वरूप ऋणदाता द्वारा अपने विवेक से सुविधा और/या कानूनी कार्रवाई को वापस लिया जा सकता है।

यह घोषणा स्वेच्छा से और सद्भावना से की गई है।

उधारकर्ता के लिए,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची वी एफ

ई एंड एस वचनबद्धता

उधारकर्ता इसके द्वारा इस समझौते की पूरी अवधि के दौरान और जब तक इस समझौते के तहत कोई भी दायित्व बकाया रहता है, तब तक इसका प्रतिनिधित्व करता है, वारंटी देता है और उसे निभाता है:

ऋणग्राही आगे यह पुष्टि करता है और वचन देता है कि:

- ऋणकर्ता ने आवश्यक अनुपालनों (जैसा कि लागू हो)का पालन किया है :
 - फैक्ट्री लाइसेंस,
 - संचालन के लिए सहमति
 - दुकान और प्रतिष्ठान लाइसेंस
 - जीएसटी सर्टिफिकेट
- उधारकर्ता निम्नलिखित का अनुपालन करता है (जैसा कि लागू हो सकता है)
 - बीमा (कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 10 या अधिक कर्मचारियों/श्रमिकों को नियोजित करने वाले उधारकर्ताओं पर लागू)
 - भविष्य निधि (कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और विविध प्रावधान अधिनियम 20 या उससे अधिक कर्मचारियों/श्रमिकों को नियुक्त करने वाले उधारकर्ताओं पर लागू)
- वे, जैसा भी लागू हो, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत भुगतान संबंधी नियमों का पालन करते हैं।
- वह/वे बाल श्रम या ज़बरदस्ती का श्रम नहीं करवाते हैं।

उधारकर्ता के लिए,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची VI (सह-ऋण करार¹)

1.1 सह-ऋण:

- (a) मैं समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि ऋणदाता ने आरबीआई द्वारा 05 नवंबर, 2020 की अधिसूचना, जिसका शीर्षक 'बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को सह-ऋण' ('सह-ऋण दिशानिर्देश') है, के माध्यम से अधिसूचित सह-ऋण दिशानिर्देशों के अंतर्गत पात्र कुछ बैंकों के साथ सह-ऋण व्यवस्था की है। सह-उधार व्यवस्था की विशेषताएं तथा ऐसी सह-उधार व्यवस्था के अंतर्गत [भागीदार एनबीएफसी अर्थात् ऋणदाता] तथा सह-उधार बैंकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस अनुसूची में निर्धारित की गई हैं। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि को-लेंडिंग अरेजमेंट के तहत, ऊपर बताए गए को-लेंडिंग बैंक ("बैंक"/ "को-लेंडिंग बैंक") इस सुविधा में हिस्सा लेने के लिए अपने ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऋणदाता के साथ को-ऋणदाता बन सकते हैं, उस फंडिंग रेश्यो तक जो दोनों पार्टियों के बीच आपसी सहमति से तय हुआ है और जैसा मास्टर एग्रीमेंट में बताया गया है ("बैंक कंट्रीब्यूशन")। मैं समझता/समझती हूँ और पुष्टि करता/करती हूँ कि सुविधा का ऐसा हिस्सा ("बैंक की भागीदारी") पूरी तरह से और हमेशा के लिए बैंक को सौंप दिया जाएगा, इस उद्देश्य और इरादे से कि बैंक को बैंक की भागीदारी का पूर्ण और पूर्ण मालिक माना जाएगा और इस तरह कानूनी तौर पर और लाभकारी रूप से सुविधा के ऐसे सभी हिस्सों का हकदार होगा, जो सभी बाधाओं से मुक्त होगा। इसके अलावा, मैं सहमत हूँ और इसकी पुष्टि करता हूँ कि बैंक द्वारा ऋणदाता (पार्टनर एनबीएफसी) को बैंक कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर किए जाने पर, फैसिलिटी की शर्तें इस तरह से असाइन की गई मानी जाएंगी कि बैंक फैसिलिटी का को-ऋणदाता बन जाएगा और यह माना जाएगा कि उसने ऋणदाता के साथ मिलकर एक को-ऋणदाता के तौर पर इस दस्तावेज़ को एग्जीक्यूट किया है।
- (b) मैं यह समझता और स्वीकार करता हूँ कि, यदि यह सुविधा ऋणदाता और किसी बैंक के बीच हुए सह-ऋण समझौते के अधीन है, तो वित्तपोषण दस्तावेजों के मुख्य भाग और अन्य अनुभागों में निर्धारित शर्तों के अलावा, इस अनुसूची में निर्धारित अतिरिक्त शर्तें भी इस सुविधा पर लागू होंगी; और मैंने इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मुख्य निकाय के तहत निर्धारित शर्तों और वित्तपोषण दस्तावेजों की अन्य धाराओं और यहां अनुसूची के तहत निर्धारित अतिरिक्त शर्तों के बीच असंगतता की स्थिति में, यहां अनुसूची के तहत निर्धारित शर्तें ऐसी विसंगति की सीमा तक प्रबल होंगी।

1.2 केवाईसी क्लॉज

मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि उपरोक्त सह-ऋण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और संबंधित विवरण बैंक के साथ साझा करने की आवश्यकता है। इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके, मैं इसके द्वारा ऋणदाता को इस तरह की जानकारी शेर करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ, जिसमें बैंक इस सह-लेंडिंग व्यवस्था में भागीदार है। इसके अलावा, मैं इसके द्वारा ऋणदाता और बैंक को यह सहमति देता हूँ कि वे इस सुविधा से संबंधित कोई भी जानकारी या डेटा, और मेरी व्यक्तिगत केवाईसी जानकारी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और/या भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल केवाईसीरजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को बता सकते हैं। मैं समझता हूँ, सहमत हूँ और जानता हूँ कि ऐसी एजेंसियां ऐसी जानकारी का उपयोग कर सकती हैं या साझा कर सकती हैं जो उन्हें उचित और सही लगे।

¹ यह एक सांकेतिक अनुसूची है; इस अनुसूची में निर्धारित शर्तों को, बैंक और भागीदार एनबीएफसी के बीच पूर्व-निर्धारित व्यवस्था की बारीकियों को और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

1.3 एफएटीसीए

मैं समझता हूँ, सहमत हूँ और इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक और स्थायी निवासी हूँ और भारत की कर व्यवस्था के अधीन हूँ।

1.4 शिकायत निवारण

उधारकर्ता, इस सुविधा के संबंध में, कर्ज़ देने वाले के पास myaccount@flexiloans.com पर या कर्ज़ देने वाले के कस्टमर केयर नंबर 022 - 68219595 पर (सोमवार से शनिवार, राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर, सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच) शिकायत दर्ज करा सकता है; या संबंधित अधिकारी को संबोधित करते हुए सीधे लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। ऋणदाता 30 (तीस) दिनों के भीतर, शिकायत का समाधान करेगा, जिसमें विफल रहने पर उधारकर्ता के पास एनबीएफसी के लिए संबंधित बैंकिंग लोकपाल/लोकपाल या आरबीआई में ग्राहक शिक्षा और संरक्षण प्रकोष्ठ (सीईपीसी) के साथ इसे रेज़ करने का विकल्प होगा।

सह-ऋण व्यवस्था की विशेषताएं, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और अन्य नियम और शर्तें

1. बैंक योगदान

- सह-ऋण व्यवस्था के अनुसार, यदि उधारकर्ता द्वारा ली गई सुविधा संबंधित सह-ऋण बैंक के चयन मानदंडों को पूरा करती है, और यदि सह-ऋण बैंक इसे स्वीकार कर लेता है, तो सह-ऋण बैंक, बैंक के योगदान के अनुसार, सुविधा की राशि का वह हिस्सा उपलब्ध कराएगा; और सुविधा का एक हिस्सा सह-ऋण बैंक को सौंपा/हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

को-लेंडिंग बैंक द्वारा बैंक योगदान के हस्तांतरण पर, सुविधा में ऋणदाता के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, को-लेंडिंग बैंक को (उस सीमा तक, जिस तक वह बैंक योगदान के हस्तांतरण के अनुसार हकदार है) पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए हस्तांतरित हो जाएंगे।

- इसके अलावा, सुविधा की शर्तों को इस तरह से नया/असाइन किया गया माना जाएगा कि सह-लेंडिंग बैंक सुविधा का सह-ऋणदाता बन जाएगा और यह माना जाएगा कि उसने ऋणदाता के साथ एक सह-ऋणदाता के रूप में वित्तपोषण दस्तावेजों (जिसमें ऋणदाता एक पार्टी है) को निष्पादित किया है और सुविधा के ऋणदाता को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत सभी संदर्भों को ऋणदाता और ऐसे सह-लेंडिंग बैंक दोनों का अर्थ माना जाएगा और इसमें शामिल किया जाएगा।

2. सह-लेंडिंग बैंक और ऋणदाता की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और वाचाएं

- सह-ऋण व्यवस्था के तहत संबंधित सह-ऋणदाता बैंक द्वारा सुविधा के एक हिस्से को नए सिरे से/सौंपे/स्थानांतरित किए जाने की परवाह किए बिना, ऋणदाता उधारकर्ता के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ़ इंटरफेस बना रहेगा।
- ऋणदाता के पास अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होंगी:
 - अपनी ओर से और सह-ऋणदाता बैंक की ओर से उधारकर्ता से सुविधा के खिलाफ प्राप्य और पुनर्भुगतान राशि का संग्रह;
 - अपनी ओर से और सह-ऋणदाता बैंक की ओर से उधारकर्ता से सभी प्रवर्तन आय का संग्रह; और
 - उधारकर्ता के विवरण और खातों का रखरखाव।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

- c. ऋणदाता और सह-ऋणदाता बैंक, ऋणदाता और सह-ऋणदाता बैंक द्वारा आपसी सहमति से तैयार की गई एक मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने पर सहमत हुए हैं; इस प्रक्रिया की निगरानी और समीक्षा, ऋणदाता और सह-ऋणदाता बैंक की इच्छा अनुसार, आपसी सहमति से समय-समय पर की जाएगी।
 - d. को-लेंडिंग बैंक और ऋणदाता ने कन्फर्म किया है कि वे लोन के संबंध में सभी मामलों में को-लेंडिंग गाइडलाइंस के तहत तय को-लेंडिंग मॉडल को फॉलो करेंगे, जिन्हें समय-समय पर बदला जाता है।
 - e. बैंक एक उधारकर्ता खाता भी बनाए रखेगा। हालाँकि, इस सुविधा के संबंध में उधारकर्ता से बकाया राशियों की सभी वसूली और संग्रह, तथा सुविधा की सर्विसिंग और वसूली से संबंधित ऐसे सभी कार्य और निष्पादन ऋणदाता द्वारा ही किए जाएँगे; इसलिए, इस सुविधा के संबंध में उधारकर्ता द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल ऋणदाता को ही किए जाएँगे, जब तक कि ऋणदाता द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए।
3. बिजनेस कंटेन्यूटी प्लान
- सह-लेंडिंग बैंक और ऋणदाता ने सह-लेंडिंग व्यवस्था समाप्त होने की स्थिति में सुविधा के पुनर्भुगतान तक उधारकर्ता को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावसायिक निरंतरता योजना तैयार की है।
4. उधारकर्ता की घोषणाएं
- a. उधारकर्ता यह समझता है और उसे इस बात की जानकारी है कि, यदि यह सुविधा सह-ऋण व्यवस्था के अंतर्गत आती है, तो वह खाता जिसमें पुनर्भुगतान की राशि जमा की जानी है, बदल सकता है; और ऐसे में, सह-ऋण संस्था के साथ मिलकर एस्करो खाता ही पुनर्भुगतान की राशि जमा करने के लिए निर्धारित खाता हो सकता है। उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता को आवश्यक निर्देश जारी करने और ई-एनएसीएच, एनएसीएच या भुगतान के किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे मेरे स्थायी निर्देशों में प्राप्तकर्ता खाते के विवरण को बदलने के लिए अधिकृत करता है।
 - b. उधारकर्ता ने फाइनेंसिंग दस्तावेजों और अन्य संबंधित दस्तावेजों (यदि कोई हों) के नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है, उनकी पुष्टि कर ली है, उन्हें समझ लिया है और उन पर अपरिवर्तनीय रूप से सहमति दे दी है; इसमें सह-ऋण व्यवस्थाओं पर लागू होने वाली प्रक्रिया और दिशानिर्देश शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
 - c. कर्जदार इस बात से सहमत है कि कर्ज देने वाले और सह-कर्ज देने वाले बैंक के बीच हुए/होने वाले सह-कर्ज देने के इंतज़ाम अपरिवर्तनीय होंगे और कर्जदार पर बाध्यकारी होंगे; और कर्जदार, किसी भी कारण से, फाइनेंसिंग दस्तावेजों और सह-कर्ज देने के इंतज़ाम की शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा।
 - d. उधारकर्ता आगे यह समझता है और स्वीकार करता है कि कर्जदार को दी गई/दी जाने वाली सुविधा की प्रोसेसिंग, वसूली और सर्विसिंग के लिए, कर्जदाता सुविधा के भुगतान/वापसी/फोरक्लोज़र के लिए, कर्जदाता या सह-ऋणदाता बैंक के पक्ष में नए एनएसीएच मैडेट और ऑटो-डेबिट निर्देश ले सकता है। उधारकर्ता इस बात से सहमत है और समझता है कि ऋणदाता प्राप्त सुविधा के भुगतान/पुनर्भुगतान/फोरक्लोज़र की दिशा में सह-लेंडिंग बैंक के पक्ष में ऋणदाता के पक्ष में बनाए गए एनएसीएच जनादेश/ऑटो डेबिट निर्देशों को भी स्थानांतरित कर सकता है।
 - e. उधारकर्ता को सह-ऋणदाता बैंक को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि,
 - (i) (जहाँ उधारकर्ता कोई व्यक्ति है) वह किसी बैंक या बैंकिंग कंपनी का निदेशक, अथवा किसी निदेशक का कोई विनिर्दिष्ट निकट संबंधी नहीं है;

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

(ii) (जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है) भागीदारों में से कोई भी निदेशक नहीं है या किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक के निकट संबंध में निर्दिष्ट नहीं है; और
(iii) (जहां उधारकर्ता एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है) इसका कोई भी निदेशक, किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक का निदेशक या निर्दिष्ट निकट संबंध नहीं है।

- (ii) घोषणा में सह-ऋणदाता बैंक के निदेशक से उधारकर्ता के संबंधों का विवरण भी दिया जाना चाहिए।
(iii) इसके अलावा, निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, को-लेंडिंग बैंक को तुरंत वह सुविधा वापस ले लेनी चाहिए, जब यह पता चले कि उधारकर्ता ने (ऊपर दी गई) कोई झूठी घोषणा की है।

5. विविध

- a. ऋणदाता अपनी ओर से और को-लेंडिंग बैंक की ओर से फाइनेंसिंग दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेगा।
b. सह-ऋण व्यवस्था के अनुसार, ऋणदाता सह-ऋण बैंक के अनुरोध पर, सह-ऋण बैंक को वह कोई भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे जो उन्हें प्राप्त हुई हो और जो सुविधा से संबंधित हो, और/या उधारकर्ता के परिचालन, वित्तीय स्थितियों या व्यवसाय से संबंधित हो।
c. सह-ऋण दिशानिर्देशों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार, उधारकर्ता से ऋणदाता और सह-ऋणदाता बैंक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत सुविधा पर सभी समावेशी ब्याज दर ली जाएगी।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची VII मुख्य तथ्य विवरण (KFS) अनुलग्नक ए भाग 1 (ब्याज दर और फ्रीस/शुल्क)

1	ऋण प्रस्ताव/खाता संख्या	[]	ऋण का प्रकार	टर्म लोन (नॉन-एमआईटीसी)				
2	स्वीकृत लोन राशि (रुपये में)	[] /-						
3	संवितरण अनुसूची (i) चरणों में संवितरण या 100% अग्रिम (ii) यदि यह चरणबद्ध है, तो प्रासंगिक विवरण के साथ ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें	100% अग्रिम						
4	लोन अवधि (वर्ष/महीने/दिन)	[] महीने						
5	किस्त का विवरण							
	किस्त का प्रकार	ईपीआई की संख्या ¹	ईपीआई (रुपये)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद				
	मासिक	[]	रुपये []/-	[]				
6	ब्याज दर (%) और प्रकार (फिक्स्ड/फ्लैट या फ्लोटिंग/रिड्यूसिंग या हाइब्रिड)	[] % फ्लैट						
7	निश्चित ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी							
	संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (S)	अंतिम दर (%) आर = (B) + (S)	आवधिकता (महीने) रीसेट करें ²	संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव (आर में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए, में बदलाव:) ³		
					B	S	ईपीआई (रुपये)	ईपीआई की संख्या
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	शुल्क/चार्ज ⁴							
					आरई (A) को देय		RE (B) के माध्यम से किसी तीसरे पक्ष को देय	
					एक बार/रेकरिक	राशि (रुपये में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो ⁵	एक बार/रेकरिक	राशि (रुपये में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो ⁵
(i)	कुल प्रोसेसिंग शुल्क (लागू टैक्स सहित)		एक बार	[]			NA	NA

² क्रेडिट प्रोफाइल में बदलाव के अलावा, फिक्स्ड रीसेट

³ कृपया 18 अगस्त, 2023 का सर्कुलर 'समान मासिक किस्तों (ईएमआई) पर आधारित पर्सनल लोन पर फ्लोटिंग ब्याज दर का रीसेट' देखें

⁵ आवृत्ति का उल्लेख करें, जहाँ यह बार-बार होती हो

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

(आई) (A)	वार्षिक प्रोसेसिंग शुल्क ⁶ (लागू टैक्स सहित)	रिकरिंग	<input type="checkbox"/>	NA	NA
(1)(B)	अग्रिम प्रोसेसिंग शुल्क (लागू टैक्स सहित)	एक बार	<input type="checkbox"/>	NA	NA
(ii)	बीमा शुल्क (यदि कोई हो)	NA	NA	एक बार	<input type="checkbox"/>
(iii)	क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट के लिए शुल्क (यदि कोई हो) (टैक्स सहित)	एक बार	<input type="checkbox"/>	एक बार	<input type="checkbox"/>
(iv)	स्वास्थ्य और कल्याण पैकेज के लिए शुल्क (यदि कोई हो) (टैक्स सहित)	एक बार	<input type="checkbox"/>	एक बार	<input type="checkbox"/>
(v)	मूल्यांकन फीस	NA	NA	NA	NA
(vi)	स्टाम्प ड्यूटी शुल्क	NA	NA	एक बार	<input type="checkbox"/>
(vii)	दस्तावेजीकरण शुल्क (लागू टैक्स सहित)	एक बार	<input type="checkbox"/>	NA	NA
कुल राशि (i से VIII का योग)		-	रुपये <input type="checkbox"/>	-	रुपये <input type="checkbox"/>
9	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%) ⁷	<input type="checkbox"/> %			
10	आकस्मिक शुल्कों का विवरण (रुपये में या % में, जैसा लागू हो)				
(i)	भुगतान में देरी के मामले में, यदि कोई हो, तो दंड शुल्क	36% प्रति वर्ष तक डिफॉल्ट की अवधि के लिए, बकाया EMI की राशि पर आनुपातिक आधार पर लागू।			
(ii)	चेक बाउंस शुल्क, प्रति घटना	900/- रुपये तक			
(iii)	विलंबित भुगतान वसूली शुल्क, प्रति घटना	10 लाख से कम के लोन के लिए रुपये 1000 तक 10 लाख रुपये या उससे अधिक के लोन के लिए अधिकतम रुपये 1500 तक 15 लाख रुपये या उससे अधिक के लोन के लिए अधिकतम रुपये 2000/- तक, जो संग्रह/वसूली कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु नियत तिथि के 3 दिन बाद देय होगा			
(iv)	फोरक्लोज़र शुल्क, यदि लागू हो (इसके अलावा, मूल बकाया राशि पर देय लागू टैक्स, जिसे देय तिथि की समाप्ति से पहले बंद करने का प्रस्ताव है)	मूल ऋण बकाया राशि का 5%			

⁶ वार्षिक प्रोसेसिंग शुल्क उधारकर्ता द्वारा चुनी गई सुविधा की अवधि तक वार्षिक आधार पर लगाया जाएगा।

⁷ ऊपर बिंदु 9 में उल्लिखित वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) में, करों और स्टाम्प शुल्क जैसे वैधानिक शुल्क शामिल नहीं हैं। कृपया अनुलग्नक बी में दिए गए चित्रण को देखें

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

(v)	एनएसीएच/इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिवेशन फीस (लागू टैक्स सहित)	रुपये 590/-
(vi)	प्राथमिकता क्रेडिट प्रोग्राम शुल्क ⁸ (लागू टैक्स सहित)	रुपये [●]
(vii)	बैंक अकाउंट स्वेप शुल्क (प्रति घटना) (प्लस लागू टैक्स)	रुपये 1000 तक -
(viii)	मैडेट मैटेनेंस चार्ज (प्लस लागू टैक्स)	रुपये 1000 तक-पुनः सक्रिय होने तक प्रति माह
(ix)	कानूनी शुल्क (प्लस लागू टैक्स)	वास्तविक में
(x)	अन्य दंडात्मक शुल्क	NA

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	ऋण समझौते का वह खंड जो वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित है।	रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति: ऋणदाता, उधारकर्ता पर बकाया राशियों की वसूली शांतिपूर्ण और वैध तरीके से करेगा, और इस कार्य के लिए अपनी ओर से किसी एजेंट को आउटसोर्स करेगा। ऐसे रिकवरी एजेंटों की एक अपडेटेड सूची आसानी से यहां उपलब्ध है: https://flexiloans.com/regulatory उक्त खंड को ऋण समझौते के खंड 18.10 के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।
2	ऋण समझौते का खंड जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देता है	उधारकर्ता के अधिकार: ऋण लेने वाला इस सुविधा या ऋणदाता के संबंध में किसी भी शिकायत या प्रश्न के मामले में, ऋणदाता की वेबसाइट पर दिए गए

⁸ प्राथमिकता क्रेडिट प्रोग्राम शुल्क सीजीटीएमएसई जैसी सरकारी योजना द्वारा समर्थित लेन-देन में लगाया जाएगा

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

		'शिकायत निवारण तंत्र' — https://flexiloans.com/grievance-redressal-mechanism में बताए गए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। उक्तखंड को ऋण समझौते के खंड 18.9 के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	नाम: सुश्री प्रणाली सावंत फ़ोन: 8879758863 ईमेल: nodal.grievance@epimoney.com
4	क्या ऋण अन्य आरई को हस्तांतरित करने या प्रतिभूतिकरण के अधीन है, या भविष्य में हो सकता है (हां/नहीं)	हां
5	कोलैबोरेशन लेंडिंग एग्रीमेंट (जैसे, को-लेंडिंग/आउटसोर्सिंग) के तहत लोन देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है:	
मूल आरई का नाम, इसके फंडिंग अनुपात के साथ		पार्टनर RE का नाम, साथ ही इसके फंडिंग अनुपात
एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड		मिश्रित ब्याज की दर
		जैसा कि ऊपर अनुबंध 'A' के भाग 1 के बिंदु 6 में उल्लेख किया गया है।
6	डिजिटल लोन के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं ⁹ :	
(i)	कूलिंग-ऑफ/लुक-अप पीरियड, RE की बोर्ड द्वारा मंजूर पॉलिसी के अनुसार, जिसके दौरान लोन चुकाने पर उधार लेने वाले से कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी (नोट: इस केएफसी में (8) (i), (8) (iii) और (8) (viii) के तहत बताए गए चार्ज, कूलिंग-ऑफ पीरियड सहित, फैसिलिटी की पूरी अवधि के दौरान वापस नहीं किए जाएंगे)। कूलिंग ऑफ अवधि सुविधा समझौते की स्वीकृति की तारीख से शुरू होगी।)	3 दिन
(ii)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए ऑथराइज्ड एलएसपी का विवरण	कोई नहीं

अनुलग्नक बी

रिटेल और एमएसएमई लोन के लिए एपीआर की गणना के लिए उदाहरण

क्रम संख्या	पैरामीटर	डिटेल्स
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (क्रम संख्या केएफएस टेम्पलेट का 2-भाग 1)	रुपये []/-
2	लोन अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में) (क्रम संख्या केएफएस टेम्पलेट का 4-भाग 1)	24
a)	नॉन-इंकेटेड पीरियोडिक लोन के मामले में, मूलधन के भुगतान के लिए	NA

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

	किश्तों की संख्या	
b)	ईपीआई का प्रकार प्रत्येक ईपीआई की राशि (रुपये में) और संख्या ईपीआई की संख्या (जैसे, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई की संख्या) (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 5-भाग 1)	मासिक रु. []/- 24
c)	पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो	NA
d)	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 5 - भाग 1)	[]
3	ब्याज दर का प्रकार (फिक्स्ड/फ्लैट या फ्लोटिंग/रिड्यूसिंग या हाइब्रिड) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 6-भाग 1)	फ्लैट
4	ब्याज दर (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 6 - भाग 1)	[] %
5	स्वीकृति की तारीख पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपयों में)	रुपये []/-
6	देय शुल्क/चार्ज (रुपये में) ⁹	रुपये []/-
A	आरई को देय (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 8ए - भाग 1)	रुपये []/-
B	आरई के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 8बी - भाग 1)	रुपये []/-
7	शुद्ध वितरित राशि (1-6) (रुपये में)	रुपये []/-
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में) ^{10 1}	रुपये []/-
9	वार्षिक प्रतिशत दर - प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट का भाग- 1, की क्रम संख्या 9) ¹¹	[] %
10	नियम और शर्तों के अनुसार संवितरण का अनुसूची	एक बार और अग्रिम।
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की तय तारीख ¹²	अगले महीने की 4 तारीख या संवितरण की तारीख से अगले महीने की 4 तारीख तक।

⁹ जहाँ मंजूरी से पहले ऐसे शुल्क निर्धारित नहीं किए जा सकते, वहाँ आरई एक ऊपरी सीमा बता सकते हैं

¹⁰ विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत दी गई किश्तों की कुल गणना की गई पुनर्भुगतान राशि में अंतर, यानी ₹ [] (= [] * 24) बनाम (8) के तहत उल्लिखित ₹ [] (₹ [] (ऋण राशि) * ₹ [] (ब्याज शुल्क) की राशि, विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत ₹ [] से ₹ [] की किस्त राशि को पूर्णांकित करने के कारण है।

¹¹ आईआरआर दृष्टिकोण और शेष राशि को कम करने की विधि का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर गणना की जाती है।

¹² किस्त शुरू होने की तारीख की गणना इस प्रकार की जाएगी (उदाहरण):

i) अगर लोन 15 अक्टूबर को या उससे पहले संवितरण किया जाता है, तो हर महीने की 4 तारीख को ईएमआई देय तिथि के साथ, पहली किस्त 4 नवंबर को देय होगी। पहली किस्त के लिए, कोई प्री-ईएमआई ब्याज लागू नहीं होगा, इस मामले में ब्याज की गणना संवितरण की तारीख से 3 नवंबर तक की जाएगी।

ii) अगर लोन 16 अक्टूबर को या उसके बाद संवितरण किया जाता है, तो हर महीने की 4 तारीख को ईएमआई देय तिथि के साथ, पहली किस्त 4 दिसंबर को देय होगी। इस मामले में, प्री-ईएमआई ब्याज की गणना संवितरण की तारीख से 3 नवंबर (ईएमआई भुगतान चक्र शुरू होने की तारीख) तक की जाएगी और इसका भुगतान 4 दिसंबर को देय पहली किस्त के साथ किया जाएगा।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची VIII

उधारकर्ता द्वारा केएफएस स्वीकृति

- मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ और समझ सकता हूँ और तदनुसार मुख्य तथ्य कथन की सामग्री, नियमों और शर्तों की पुष्टि और स्वीकार करता हूँ।
- मैं इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैंने अनुलग्नक ए में उल्लिखित शर्तों, विज्ञापनों और अनुलग्नक बी में उल्लिखित गणनाओं को समझने के बाद मुख्य तथ्यों के कथन और इसके निहितार्थ को समझने के बाद मुख्य तथ्यों के कथन पर सहमति दी है।
- मैं आगे पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैंने इस स्वीकृति को बिना किसी अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, गलत प्रस्तुति या धोखाधड़ी के निष्पादित किया है और मैंने अपनी स्वतंत्र सहमति और इच्छा के साथ यह स्वीकृति दी है।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुलग्नक I

सुविधा समझौते का स्थानीय भाषा में सारांश:

संवितरण

- सुविधा वितरण उधारकर्ता के अभ्यावेदन और वारंटी के अधीन है।
- सुविधा का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों तक सीमित है या जैसा कि मंजूरी पत्र/मुख्य तथ्य कथन में निर्दिष्ट है; अनैतिक, अवैध या सट्टा उद्देश्यों के लिए अनुमति नहीं है।
- उधारकर्ता को मांगे जाने पर लोन के उपयोग की जानकारी और सबूत देने होंगे।
- प्रोसेसिंग शुल्क नॉन-रिफंडेबल हैं और सुविधा राशि से अग्रिम रूप से कटौती की जाती है।
- ऑफ़र किए जाने वाले इश्योरेंस प्रॉडक्ट्स वैकल्पिक हैं, अगर प्रीमियम लिया जाता है, तो उसमें कटौती की जाती है और ऋणदाता इश्योरेंस की शर्तों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं।

ब्याज और पुनर्भुगतान

- ब्याज की गणना बकाया लोन पर की जाती है और जैसा कि 'की फैक्ट स्टेटमेंट' में बताया गया है।
- ब्रोकन पीरियड के ब्याज (अगर कोई हो) का भुगतान सिर्फ पहली ईएमआई किस्त के साथ किया जाएगा।
- ओवरड्यू पेमेंट पर पेनल चार्ज पर ब्याज लगता है।
- ईएमआई भुगतान समय पर होना चाहिए; बकाया राशि की तुरंत मांग की जा सकती है।
- ऋणदाता द्वारा ब्याज दर संशोधन बाध्यकारी है; उधारकर्ता बिना किसी जुमनि के दर संशोधन के 30 दिनों के भीतर प्रीपे कर सकते हैं।
- फोरक्लोज़र के लिए ऋणदाता की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है और शुल्क लग सकता है।
- सभी भुगतान लागू टैक्स, शुल्क और लेवी के अधीन हैं।

भुगतान का तरीका, पुनर्भुगतान, और फॉरेक्लोज़र

- भुगतान नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मैडेन के माध्यम से किया जाता है।
- उधारकर्ता एनएसीएच भुगतान के लिए बैंक खाते में पर्याप्त धन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
- असम्मानित एनएसीएच भुगतानों पर आरोप लगते हैं और विशिष्ट कानूनों के तहत एक आपराधिक अपराध होता है।
- किसी भी विवाद की परवाह किए बिना, उधारकर्ता समय पर ईएमआई भुगतान के लिए उत्तरदायी रहता है।

उधारकर्ता के अनुबंध, अभ्यावेदन और वारंटी

- उधारकर्ता को:
 - वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत दायित्वों को पूरा करना होगा।
 - ऋणदाता को मुकदमों, प्रतिकूल प्रभावों, पते में बदलाव और विदेश में लंबी अवधि के प्रवास के बारे में सूचित करना होगा।
 - मनी लॉन्ड्रिंग नियमों सहित सभी लागू कानूनों का पालन करना होगा।
 - लोन का इस्तेमाल सिर्फ निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए करना होगा।
- बॉरोअर दी गई जानकारी के सही होने और रीपेमेंट की क्षमता को खतरे में डालने वाली घटनाओं के न होने की गारंटी देता है।

चूक की घटनाएं

- डिफॉल्ट घटनाओं में शामिल हैं:
 - देय तिथि पर चूक गए भुगतान।
 - शर्तों का उल्लंघन, धोखाधड़ी, या गलत तरीके से प्रस्तुत करना।
 - अनधिकृत उद्देश्यों के लिए लोन का उपयोग।
 - जाली दस्तावेजों या डेटा को प्रस्तुत करना।
 - रीपेमेंट की क्षमता या एसेट ज़ब्त होने पर असर डालने वाली घटनाओं का होना।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

चूक के परिणाम

- ऋणदाता ये काम कर सकता है:
 - बकाया राशि के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग करना।
 - कानूनी या वसूली की कार्यवाही शुरू करना।
 - जाली दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या जमा करने के लिए आपराधिक कार्रवाई करना।
- उधारकर्ता चूक के परिणामस्वरूप होने वाले सभी कानूनी खर्चों और खर्चों को वहन करेगा।

खुलासा

- ऋणदाता उधारकर्ता का डेटा थर्ड पार्टी, आरबीआई और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों के साथ शेयर कर सकता है।
- उधारकर्ता इस तरह के खुलासे के लिए ऋणदाता को जिम्मेदार नहीं ठहराने के लिए सहमत है।

रिकवरी एजेंटों का गठन

- बकाया भुगतान के लिए उधारकर्ता से कॉल, ईमेल, पत्र या व्यक्तिगत विज़िट के जरिए संपर्क किया जा सकता है।
- रिकवरी एजेंटों को आचार संहिता का पालन करना होगा, जिसके तहत वे केवल निर्धारित समय (सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक) के बीच ही विज़िट कर सकते हैं।
- ऋणदाता लोन एडमिनिस्ट्रेशन और रिकवरी के लिए थर्ड-पार्टी एजेंट नियुक्त कर सकता है।

शिकायत निवारण तंत्र

- शिकायतें नामित शिकायत निवारण अधिकारी को संबोधित की जा सकती हैं:
 - नाम - प्रणाली सावंत
 - पता- 6वीं मंजिल, साउथ एनेक्सी, टॉवर 2, वन वर्ल्ड सेंटर, 841, सेनापति बापट मार्ग, एल्फिंस्टन, सैधम नगर, लोअर परेल, मुंबई -400013, महाराष्ट्र भारत।
 - संपर्क: 8879758863 / nodal.grievance@epimoney.com
- विवरण और प्रक्रियाएँ एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट <https://epimoney.in/grievance-redressal.php> पर उपलब्ध हैं।

शासकीय कानून और क्षेत्राधिकार

- वित्तपोषण दस्तावेज भारतीय कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटारा किया जाता है।
- मध्यस्थता स्थान: ऋणदाता के विवेक के अनुसार मुंबई/चेन्नई/कोलकाता या ऐसी अन्य जगह।
- मुंबई/चेन्नई/कोलकाता या ऋणदाता के विवेक के अनुसार ऐसी किसी दूसरी जगह की अदालतों के पास विवादों के लिए खास अधिकार होगा।

असाइनमेंट

- उधारकर्ता ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना दायित्वों को स्थानांतरित या असाइन नहीं कर सकता है।
- ऋणदाता उधारकर्ता की सहमति के बिना अपने लाभों और दायित्वों के लिए ट्रांसफर, असाइन या प्रतिभूतिकरण कर सकता है।

क्षतिपूर्ति

- उधारकर्ता ऋणदाता को डिफॉल्ट की शर्तों या घटनाओं का पालन न करने के कारण होने वाले नुकसान या खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करता है।

एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर- 119, 2 फ्लोर, हरिता टॉवर्स, सेंट मैरी रोड, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
सीआईएन: U71309TN1995PTC030536

अनुसूची IX

पुनर्भुगतान अनुसूची

अनुलग्नक- बी में दर्शाए गए काल्पनिक ऋण के लिए समान आवधिक किस्त के तहत उदाहरणात्मक पुनर्भुगतान अनुसूची

क्रम संख्या	उत्कृष्ट प्रिंसिपल (रुपये में)	प्रिंसिपल (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	किस्त (रुपये में)
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

सह-उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और
डिलीवर किया गया है

ऋणदाता द्वारा साइन और डिलीवर किया गया है